

म.प्र. जन अभियान परिषद

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत

उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिनांक 24.07.2022 हेतु निर्देशिका

1. यह कार्यक्रम समस्त अध्ययन केन्द्रों में आयोजित किया जावेगा, जिसमें बी.एस.डब्ल्यू. तथा एम.एस.डब्ल्यू. (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) के समस्त प्रवेशित छात्र सहभागिता करेंगे। उन्मुखीकरण का समय प्रातः 11.00 बजे से 03.00 बजे के मध्य सुविधा अनुसार रखा जा सकता है। संपर्क कक्षाओं के लिए प्रथम से समय सारिणी उपलब्ध करायी जावेगी।
2. जिला समन्वयकों की दिनांक 22.07.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में पाठ्यक्रम संचालन के विविध पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। पाठ्यक्रम की मूल भावना और कार्यक्रम का लक्ष्य पूर्ण हो इस हेतु आवश्यक निर्देश विकासखंड समन्वयको को प्रदान करें। जिला समन्वयक अध्ययन सामग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें विकासखंड समन्वयकों के माध्यम से पंजीकृत विद्यार्थियों को वितरित किया जावे। दोनों पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के सेट में 04-04 पुस्तकें हैं जिनमें से एक प्रवेश विवरणिका और शेष 03 अनिवार्य विषयों की हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

| क्र. | बी.एस.डब्ल्यू. हेतु | एम.एस.डब्ल्यू. हेतु |
|------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. | प्रवेश विवरणिका | प्रवेश विवरणिका |
| 2. | समाज कार्य परिचय | सामाजिक सामूहिक कार्य |
| 3. | समाज कार्य एवं अन्य अवधारणायें | समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र |
| 4. | विकास अवधारणा एवं क्रियान्वयन | सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी |

यह अनिवार्य अध्ययन सामग्री है, अगली कड़ी में वैकल्पिक विषयों, व्यावसायिक विषयों और आधार पाठ्यक्रम सम्बन्धित पुस्तकें माह सितम्बर 2022 में प्रदान की जावेंगी।

3. इस वर्ष बी.एस.डब्ल्यू. प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को अनिवार्य मुख्य विषय के रूप में 02, अनिवार्य गौण विषय के रूप में 01, वैकल्पिक विकासधारा का 01, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में 01 और आधार पाठ्यक्रम के रूप में 04 प्रश्न/विषयों, इस प्रकार कुल 09 प्रश्नपत्रों का अध्ययन करना होगा। आधार पाठ्यक्रम की प्रथम से नियमित कक्षाएं संचालित होने के स्थान केवल मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जावेगा।
4. एम्.एस.डब्ल्यू. प्रथम वर्ष में अनिवार्य मुख्य विषय के रूप में 02, अनिवार्य गौण विषय के रूप में 02, वैकल्पिक विकासधारा का 01, इस प्रकार कुल 05 प्रश्नपत्रों का अध्ययन करना होगा।
5. अध्ययन सामग्री वितरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि पहले पंजीकृत विद्यार्थियों को सेट प्रदान किये जावें, अवशेष रहने पर ही मॅटर्स को सेट दिए जावें। सामान्य उपयोग के लिए

बी.एस.डब्ल्यू. तथा एम्.एस.डब्ल्यू. का एक-एक सेट कार्यालय में रख लिया जावे जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

6. वितरित की गयी समस्त अध्ययन सामग्री एल.एम्.एस. पर .pdf प्रारूप में उपलब्ध है। जिसे सुलभ सन्दर्भ हेतु परिशिष्ट -1 पर संलग्न कर भेजा जा रहा है।
7. उन्मुखीकरण कार्यक्रम में विद्यार्थियों की जिज्ञासा सबसे अधिक पाठ्यक्रम संचालन के विविध आयामों को जानने के बारे में होगी। यह समस्त जानकारियां प्रवेश विवरणिका में है, जिसे इस पत्र के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। विकासखंड समन्वयक उन्मुखीकरण कार्यक्रम में पाठ्यक्रम संचालन के विविध पहलु यथा प्रश्नपत्रों के नाम और संख्या, संपर्क कक्षाओं का कार्यक्रम, अनिवार्य उपस्थिति के प्रावधान, फील्ड वर्क, असाइनमेंट, इंटरनशिप आदि की जानकारी विषय छात्रों की जिज्ञासा का समाधान करेंगे।
8. नवाचार के रूप में इस शैक्षणिक सत्र से एल.एम्.एस. (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) एवं एप्प के माध्यम से भी विभिन्न सुविधाएँ छात्रों को प्राप्त होंगी। अतः इनकी जानकारी छात्रों को देना सुनिश्चित करें। एल.एम्.एस. (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) में अध्ययन सामग्री के अलावा अभ्यास के प्रश्न, प्रदत्त कार्य, मोड्यूल से सम्बंधित दृश्य/श्रव्य व्याख्यान तथा अन्य डिजिटल स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब सन्दर्भ उपलब्ध रहेंगे।
9. ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में : एलएमएस या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शिक्षित करने के लिए एक मंच है। यह शिक्षकों और छात्रों को पारंपरिक कक्षा प्रणाली के बाहर सीखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। (विस्तृत जानकारी परिशिष्ट '2' पर संलग्न है)
10. कक्षाओं का क्रम प्रारंभ होगा अतः अगली कक्षा 31 जुलाई 2022 को और उसके बाद प्रत्येक रविवार को लगेंगी।
11. समस्त विकासखंड समन्वयक से अनुरोध है कि वे रूचि लेकर उन्मुखीकरण कार्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों एवं पाठ्यक्रम संचालन से जुड़े अन्य लोगों को आमंत्रित करें

परिशिष्ट '1'

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम
Chief Minister's Community Leadership Development Programme (CMCLDP)

प्रवेश विवरणिका
Admission Brochure

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (BSW)
(सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास)

एवं

समाजकार्य परास्नातक पाठ्यक्रम (MSW)
(सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास)



महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला-सतना (मध्यप्रदेश) – 485334

Phone : 07670 - 265622, e-mail : cmldpcourse@gmail.com
www.cmldp.org

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना (Introduction)
2. उद्देश्य (Objectives)
3. समतुल्यता, मान्यता एवं संचालन विधि (Equivalency, Recognition and Procedure)
4. न्यूनतम अर्हता (Minimum Qualifications)
5. आयु सीमा (Age Limit)
6. सीट एवं अवधि (Seats and Duration)
7. प्रवेश अधिसूचना (Admission Notice)
8. आवेदन करने की विधि (Procedure to Apply)
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज (Documents to be Attached)
10. आवेदनपत्र निरस्त करने के कारण (Reasons for Rejection)
11. नामांकन/पंजीयन प्रक्रिया (Enrollment/Registration Procedure)
12. शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (Learner Support Centers)
13. स्व-अध्ययन सामग्री (Self-Learning Material)
14. संरचना एवं प्रश्नपत्र चयन (Structure of Programme and Selection of Courses)
15. मूक या अन्य पाठ्यक्रमों के चयन का विकल्प (Choice to select the MOOC or other Courses)
16. अकादमिक कैलेंडर एवं समय-सारणी (Academic Calendar and Time Table)
17. सम्पर्क कक्षाएँ (Contact Classes)
18. उपस्थिति (Attendance)
19. सामुदायिक प्रयोगशाला के रूप में ग्राम/क्षेत्र (Villages/Areas as Community Laboratories)
20. व्यावहारिक अभ्यास कार्य (Field Work Practice) : Assignments, Field Work and Internship
21. व्यावहारिक अभ्यास कार्य का प्रतिवेदन लेखन (Report Writing of Field Work)
22. आन्तरिक मूल्यांकन/सी.सी.ई. (Continuous Comprehensive Evaluation)
23. वार्षिक परीक्षा (Annual Examination)
24. व्यावहारिक अभ्यास कार्य मूल्यांकन (Evaluation of Field Work)
25. वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन (Conduction of Annual Exam)
26. परिणामों की घोषणा (Announcement of Results)
27. उत्तीर्ण एवं श्रेणी (Pass and Category)
28. पुनर्परीक्षा (Repeat Examination)
29. अनुचित साधन (Unfair Means)
30. पुनर्गणना (Retotaling)
31. कृपांक (Grace Marks)
32. परीक्षा परिणाम सम्बन्धी स्पष्टीकरण (Clarifications related to Results)
33. खण्ड-2 : विषय/प्रश्नपत्रों का विस्तृत विवरण

1. प्रस्तावना (Introduction)

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.) मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में वंचित और उपेक्षित समुदाय को शासकीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाकर समाज को सक्षम नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित समूह तैयार करना है।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने विकास को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 'आओ बनायें स्वर्णिम मध्यप्रदेश' का संकल्प लिया है। विकास की मुख्य धारा से समाज को जोड़ने के लिए केन्द्र और राज्य शासन की अनेक हितग्राही मूलक योजनाएँ हैं। जिनमें आम और जरूरतमंद लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर हम विकास को जन भागीदारी और समुदाय भागीदारी आधारित बना सकते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सिर्फ शासकीय प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं। समुदाय की भी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका आवश्यक है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम जनसहभागिता आधारित विकास कार्य को सुनिश्चित करने के लिए क्षमतावान नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने का आधुनिक प्रकल्प है।

शिक्षा को समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत सरकार द्वारा निर्मित एवं अंगीकृत की गयी है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया है। साथ ही इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए सफल एवं समर्पित प्रयास भी किया है। इसी कड़ी में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय और मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद जनभागीदारी आधारित विकास के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास' के संदेशों के साथ विकास का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति को प्रदान करने हेतु भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित एवं अंगीकृत प्रावधानों के आलोक में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) का निर्माण और संचालन करने जा रही है।

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का संकल्प सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया। 17 एसडीजी लक्ष्य और 169 टॉर्गेट निर्धारित किये गये। दुनियाँ को बदलने के लिये इस संकल्प को 01 जनवरी 2016 से प्रभाव में लाया गया। वर्ष 2030 तक प्रत्येक देश एवं प्रदेश को भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में 200 से अधिक योजनाएँ तथा केन्द्र सरकार एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी 100 से अधिक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनमें से अधिकाँश योजनाएँ समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण

एवं उनके प्रति समाज में सकारात्मक भावना विकसित करने हेतु संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक तभी पहुँचाया जा सकता है, जब इनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो।

प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो स्वेच्छा से समाज के विकास एवं उत्थान के लिए कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को चिन्हित कर जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज के विकास के लिए कार्य कर सकेंगे। ऐसे ही स्व-प्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य स्वप्रेरणा से ग्राम विकास में योगदान के अभिलाषी नवयुवकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और सामाजिक हितों में उनका अधिकतम उपयोग है। जिससे वे सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सकें।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा स्थानीय स्तर पर युवकों विशेषकर महिलाओं को एक दीर्घकालीन सघन अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) का संचालन किया जा रहा है, जिससे गाँव के क्षमतावान नवयुवक एवं नवयुवतियाँ समुदाय की भागीदारी प्राप्त कर विकासात्मक गतिविधियों हेतु नेतृत्व प्रदान करेंगे। वे शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में सक्रिय प्रेरक की भूमिका निभायेंगे और विकास अभिकर्ता का कार्य करेंगे, साथ ही समाज कार्य के क्षेत्र में अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल का उपयोग कर अच्छे भावी जीवन का निर्माण भी कर सकेंगे।

समाज कार्य स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद के माध्यम से प्रदेश के समस्त 313 विकास खण्डों में अध्ययन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों से संचालित किया जा रहा है। अपने ग्राम को ही समाज कार्य की व्यावहारिक प्रयोगशाला मानकर शिक्षार्थी उसमें विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय की भागीदारी से प्रयास करेंगे और इस कार्य में शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचा कर शासकीय विभागों के साथ व्यवहारिक कार्यानुभव प्राप्त कर स्वयं को दक्ष और निपुण बनायेंगे।

2. उद्देश्य (Objectives)

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत संचालित महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय करके 313 विकासखण्डों के मुख्यालयों पर स्थित शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्रस्थापित कर प्रत्येक रविवार को संपर्क कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत

अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ताओं को चयनित कर गाँवों में प्रायोगिक कार्य हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध किया जाता है। 2015 से अब तक इस पाठ्यक्रम में 1,25,000 छात्रों ने प्रवेश लेकर सफलता प्राप्त कर लिया है। एवं उनमें से 66 प्रतिशत छात्रों ने स्नातक की उपाधि अर्जित किया है। विगत वर्षों में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुक्रम में आवश्यक सुधारों को समाहित करते हुए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं—

1. शासकीय विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के लिए सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने हेतु सक्षम एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
2. ऐसे प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना जो विकास गतिविधियों से जुड़े सामाजिक उद्यमियों, सामुदायिक संगठनों के मध्य शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक उद्यमी एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में सार्थक भूमिका का निर्वहन करेंगे।
3. सकल नामांकन दर की वृद्धि के लिए उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को इस पाठ्यक्रम से जोड़कर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
4. वंचित समूहों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा गरीबी रेखा से नीचे व ड्राप आउट विद्यार्थियों के लिए भी समय और ससाधन की सीमाओं में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
5. सतत विकास लक्ष्यों एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश (ANMP-2023)के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास मॉडल तैयार करने के लिए विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता विकसित करना।
6. आत्म-निर्भर आदर्श ग्राम के निर्माण हेतु सामुदायिक क्षमता का विकास करना।

3. समतुल्यता, मान्यता एवं संचालन विधि (Equivalency, Recognition and Procedure)

यह पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission - UGC) नई दिल्ली के दूरवर्ती माध्यम (Open and Distance Learning - ODL) से संचालित पाठ्यक्रमों के लिए गठित मान्यतादायी निकाय दूरवर्ती शिक्षा ब्यूरो (Distance Education Bureau - DEB) से मान्यता प्राप्त है। पाठ्यक्रम के अध्ययन विषय/प्रश्नपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मॉडल कैरिकुलम (Model Curriculum) एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किये गये हैं। पाठ्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयों में संचालित समाजकार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समतुल्य है। पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय के दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत **ओपेन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग पद्धति** से किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का संचालन मॉड्यूलर शैली में होगा। अर्थात् प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने पर समाज कार्य में प्रमाणपत्र (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) Certificate in Social Work (with Specialisation in Community Leadership and Sustainable Development)] द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने पर समाजकार्य में पत्रोपाधि (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) Diploma in Social Work (with Specialisation in Community Leadership and Sustainable

Development)] और तृतीय वर्ष उत्तीर्ण करने पर समाजकार्य में स्नातक उपाधि (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) Bachelor of Social Work (with Specialisation in Community Leadership and Sustainable Development) प्रदान की जायेगी। चतुर्थ वर्ष में वे ही शिक्षार्थी प्रवेश की पात्रता रखेगा, जिसे तृतीय वर्ष में 7.5 से अधिक OGPA प्राप्त हुआ हो। जो छात्र पंचम वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर निर्धारित क्रेडिट अर्जित करेंगे, उन्हें समाज कार्य में परास्नातक उपाधि (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) Master of Social Work (with Specialisation in Community Leadership and Sustainable Development) प्रदान की जायेगी।

इस पाठ्यक्रम की विषयवस्तु का लाभ व्यापक अर्थों में शिक्षार्थियों को मिल सके इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय ने शिक्षार्थियों की आवश्यकता, योग्यता और रुचि के अनुरूप अनेक प्रमाणपत्र और पत्रोपाधि स्तर के पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित किये हैं। ऐसे पाठ्य विषयों को स्वतंत्र पाठ्यक्रमों के रूप में (Stand Alone Courses) के रूप में मान्य किया है। जिन्हें किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में पंजीकृत शिक्षार्थी समुदाय कार्य (Community Engagement) के अंतर्गत इन पाठ्यक्रमों के प्रश्नपत्र पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें इस विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराकर निर्धारित शुल्क जमा कर यह सुविधा प्राप्त हो सकती है। शिक्षार्थी द्वारा इन प्रश्नपत्रों से अर्जित क्रेडिट अन्य विश्वविद्यालय/शिक्षण निकायों को ट्रांसफर की जा सकती हैं, जो उनकी अंकसूची में प्रत्यक्षतः प्रदर्शित होंगी। शासकीय निकायों, स्वैच्छिक संगठनों या विकास के अन्य किसी आयामों में कार्यरत व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता संवर्द्धन हेतु इन पाठ्यक्रमों का लाभ लेना चाहते हैं, तो वे भी निर्धारित विषय पंजीकरण कर और निर्धारित शुल्क जमा कर पूर्ण कर सकते हैं। यदि कोई शिक्षार्थी अपनी आवश्यकता और रुचि के आधार पर कोई प्रश्नपत्र पढ़ता है और बाद में उसे यह लगता है कि उसे समाज कार्य का स्नातक या परास्नातक पाठ्यक्रम भी कर लेना चाहिए तो यह विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षार्थियों को पंजीकरण और निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत निर्धारित क्रेडिट प्राप्त कर स्नातक या परास्नातक उपाधि के लिए अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार कोई भी शिक्षार्थी इस पाठ्यक्रम का लाभ विविध रूपों में प्राप्त कर सकता है।

समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास)

निर्धारित अर्हता प्राप्त शिक्षार्थी पंजीकृत होकर निर्धारित शुल्क जमा कर 1 वर्ष का सर्टीफिकेट, 2 वर्ष का डिप्लोमा, 3 वर्ष की उपाधि या 4 वर्षों की स्नातक स्तरीय शोध उपाधि प्राप्त कर सकता है।

निर्धारित अर्हता प्राप्त शिक्षार्थी पंजीकृत होकर निर्धारित शुल्क जमा कर 1 वर्ष का पी.जी. डिप्लोमा, 2 वर्ष की परास्नातक उपाधि प्राप्त कर सकता है। 4 वर्षों की स्नातक स्तरीय शोध उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी 1 वर्ष में परास्नातक उपाधि प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र अपने मूल पाठ्यक्रम के साथ-साथ इस पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के आधार पर ले सकते हैं। इनसे अर्जित क्रेडिट उनके विश्वविद्यालयों में ट्रांसफर होकर अंकसूची में प्रदर्शित होंगे।

शासकीय या गैर-शासकीय संवर्ग में कार्यरत अथवा अपनी रुचि से इस तरह के पाठ्यक्रमों को करने के इच्छुक शिक्षार्थी प्रश्नपत्रों का चयन कर क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं तथा सर्टीफिकेट और डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं।

4. न्यूनतम अर्हता (Minimum Qualifications)

समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, म.प्र.भोपाल या अन्य समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/मण्डल/परिषद से 10+2 (इण्टरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण होना है। प्रवेश केवल पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रदान किये जायेंगे अर्थात् पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की लेटरल इंट्री मान्य नहीं है। स्वतंत्र विषय के रूप में प्रश्नपत्रों का चयन करने वाले शिक्षार्थियों के लिए जिस स्तर के प्रश्नपत्र का चयन वे कर रहे हैं, उस स्तर की निर्धारित अर्हता होना अनिवार्य है।

• बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास व्यवस्था (Multiple Entry and Multiple Exit System)

यद्यपि पाठ्यक्रम पांच वर्षों का है किन्तु किसी भी वर्ष में प्रवेश की सुविधा होगी। स्तर-5 में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखने वाला कोई भी छात्र प्रवेश ले सकता है। किन्तु स्तर-6 से स्तर-9 तक इसी पाठ्यक्रम के पूर्व स्तर में सफलतापूर्वक अध्ययन कर उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेश ले सकेगा। इसी प्रकार स्तर-5 से स्तर-9 तक प्रत्येक स्तर का निर्धारित क्रेडिट का अध्ययन पाठ्यक्रम करके उत्तीर्ण होकर यदि छात्र अध्ययन छोड़ता है। तो उसे प्रत्येक स्तर पर जो प्रमाणपत्र प्राप्त होगा उसका विवरण निम्नांकित तालिका में है-

| स्तर | न्यूनतम अर्हता | क्रेडिट |
|--------|---|---------|
| स्तर-5 | जो छात्र प्रथम वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर बाहर जायेंगे उन्हें समाज कार्य में प्रमाणपत्र (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) प्रदान किया जायेगा। | 40 |
| स्तर-6 | जो छात्र द्वितीय वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर बाहर जायेंगे उन्हें समाज कार्य में डिप्लोमा (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) प्रदान किया जायेगा। | 80 |
| स्तर-7 | जो छात्र तृतीय वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर बाहर जायेंगे उन्हें समाज कार्य में स्नातक उपाधि (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) प्रदान की जायेगी। | 120 |
| स्तर-8 | जो छात्र चतुर्थ वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर बाहर जायेंगे उन्हें समाज कार्य में स्नातक उपाधि (आनर्स/रिसर्च) (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित) प्रदान की जायेगी। | 160 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| स्तर-9 | जो छात्र पंचम वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर बाहर जायेंगे उन्हें समाज कार्य में परास्नातक उपाधि सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास में विशेषज्ञता सहित प्रदान की जायेगी। | 200 |
|---------------|---|------------|

5. आयु सीमा (Age Limit)

पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु-सीमा का बंधन नहीं होगा। 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। महिलाओं सहित वंचित वर्गों को प्रधानता दी जायेगी।

6. सीट एवं अवधि (Seats and Duration)

वर्तमान में पाठ्यक्रम विकासखण्ड मुख्यालयों पर संचालित है। सीट्स का निर्धारण समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। स्नातक स्तर पर उपाधि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि तीन/चार वर्ष एवं अधिकतम अवधि सात/आठ वर्ष है। स्नातकोत्तर स्तर पर उपाधि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि पाँच वर्ष एवं अधिकतम अवधि नौ वर्ष है।

7. प्रवेश अधिसूचना (Admission Notice)

- 7.1 पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में विश्वविद्यालय/जनमाध्यमों/वेब माध्यमों में विज्ञापन दिया जायेगा।
- 7.2 क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों को आकर्षित करने हेतु विविध निकाय विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित कर पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित कर सकेंगे।
- 7.3 ऐसे शासकीय निकाय जो अपने कर्मियों को पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित कराना चाहते हैं। प्रायोजित अभ्यर्थी के रूप में विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर प्रवेश ले सकते हैं।

8. आवेदन करने की विधि (Procedure to Apply)

- 8.1 मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया विकासखंडवार संचालित की जायेगी।
- 8.2 शिक्षार्थी को अपनी योग्यता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेब पोर्टल की सूचना शिक्षार्थी को प्रदान की जायेगी।
- 8.3 इस पाठ्यक्रम का संचालन एवं निगरानी एक अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। यह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एल.एम.एस.) के रूप में कार्य करेगा। शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम प्रबंधन के लिए एक मोबाइल एप भी होगा। जिससे वांछित जानकारियाँ शिक्षार्थी अपने स्मार्ट फोन से एक्सेस कर सकते हैं।

- 8.4 आवेदन करने के लिए निर्धारित वेब साइट पर जाकर शिक्षार्थी को बी.एस.डब्ल्यू., एम.एस.डब्ल्यू. किसी एक प्रश्नपत्र या किसी डिप्लोमा/सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कराना होगा। इस हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र के साथ शिक्षार्थी को वांछित अभिलेख डिजिटल फार्म में वेब साइट पर अपलोड करने होंगे।
- 8.5 शिक्षार्थी द्वारा ऑन लाइन जमा किये गये अभिलेखों के आधार पर पात्रता का परीक्षण होगा। न्यूनतम अर्हता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर शिक्षार्थी को प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- 8.6 उपलब्ध सीटों के आधार पर मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा में प्रचलित आरक्षण व्यवस्था का पालन करते हुए छात्रों की वरीयता सूची तैयार की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। सम्पूर्ण व्यवस्था ऑन लाइन संचालित होगी। शुल्क भी ऑन लाइन जमा करना होगा।
- 8.7 पंजीकरण के उपरान्त शुल्क जमा कर शिक्षार्थी इस पाठ्यक्रम से जुड़ जायेंगे। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत तथा मोबाइल एप में दी जा रही विविध सुविधाओं के पात्र होंगे।
- 8.8 शिक्षार्थियों को समस्त सूचनायें एल.एम.एस. और एप के माध्यम से प्राप्त होंगी। समय-समय पर उन्हें सूचनाओं के मैसेज भी रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किये जायेंगे।

9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज (Documents to be Attached)

पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑन लाइन आवेदन करने के उपरांत विधिवत और पूर्ण रूप से भरे और निर्धारित शुल्क जमा करने के प्रमाण के साथ विधिवत् अग्रसारित आवेदनपत्र की हार्ड कापी विश्वविद्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। जिसके साथ निम्नांकित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है—

- दसवीं की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र।
- बारहवीं (10+2) की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र।
- विशेषज्ञता और क्रेडिट अर्जन के उद्देश्य से पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र/सर्टीफिकेट/डिप्लोमा में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को निर्धारित अर्हता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं आधार कार्ड।
- विवाहित महिलायें उपनाम (सरनेम) परिवर्तित होने की दशा में शपथपत्र अथवा अंतिम अंकसूची जिसमें वांछित नाम और सरनेम दर्ज हो।
- अन्य कोई दस्तावेज जिसके आधार पर रियायत या छूट चाहते हों।

10. आवेदनपत्र निरस्त करने के कारण (Reasons for Rejection)

- दस्तावेजों के बिना जमा किये गये आवेदनपत्र।
- बिना निर्धारित शुल्क अदा किये गये आवेदनपत्र।
- फर्जी बोर्ड/परिषद्/मण्डल द्वारा अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण किये गये अभ्यर्थियों के आवेदनपत्र।
- बिना सक्षम अग्रसारण के विश्वविद्यालय को भेजे गये आवेदनपत्र।
- बिना हस्ताक्षर कर विश्वविद्यालय को भेजे गये आवेदनपत्र।

11. नामांकन/पंजीयन प्रक्रिया (Enrollment/Registration Procedure)

निर्धारित समय-सीमा में जो आवेदनपत्र विश्वविद्यालय को निर्धारित प्रारूप में विधिवत् अग्रसारण उपरान्त प्राप्त होंगे। विश्वविद्यालय उन आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करेगा। स्क्रीनिंग में वैध पाये गये आवेदनपत्र का डिजिटल डेटा तैयार किया जायेगा। इसके पश्चात् अर्ह अभ्यर्थी को इस पाठ्यक्रम में पंजीयन प्रदान किया जायेगा। यह पंजीयन पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी वर्ष में परिवर्तित नहीं होगा। यह अभ्यर्थी के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन (यूआई.डी.) कोड के रूप में कार्य करेगा। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में समस्त पत्राचार इसी कोड को आधार बनाकर करेंगे। यही कोड अभ्यर्थी के लिए परीक्षा में अनुक्रमांक भी होगा।

12. शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (Learner Support Centers)

- 12.1 पाठ्यक्रम ओपेन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग पद्धति से संचालित होना है। अतः अकादमिक गतिविधियों के समुचित और सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को एक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (अध्ययन केन्द्र) आवंटित किया जायेगा। अभ्यर्थी की समस्त अकादमिक गतिविधियाँ उसी केन्द्र में सम्पन्न की जायेगी। आवश्यकतानुसार इसे परिवर्तित करने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व से ही सूचित किया जायेगा।
- 12.2 जिस जिला व विकासखण्ड के शिक्षार्थी होंगे उस जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर शासकीय महाविद्यालय अथवा उत्कृष्ट विद्यालय उनके शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (अध्ययन केन्द्र) होंगे। विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर अध्ययन केन्द्र अन्यत्र भी संचालित किये जा सकेंगे।
- 12.3 शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (अध्ययन केन्द्रों) को विश्वविद्यालय अपने पंजीकृत अध्ययन केन्द्रों के रूप में मान्य कर अकादमिक गतिविधियों को संपन्न कराने हेतु अधिकृत करेगा।
- 12.4 पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वैधानिक परिसीमा, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रदेश शासन के निर्देशानुसार म.प्र. जन अभियान परिषद के सहयोग से संचालित किये जायेंगे।
- 12.5 पाठ्यक्रम संचालन हेतु किसी भी निजी संस्था या संगठन को किसी प्रकार का दायित्व नहीं सौंपा गया है। पाठ्यक्रम संचालन हेतु कोई भी फ्रेंचाइजी व्यवस्था नहीं है।

13. स्व-अध्ययन सामग्री (Self-Learning Material)

- 13.1 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का नामांकन/पंजीयन और अध्ययन केन्द्र निर्धारित हो जाने पर संबंधित पाठ्य विषयों की मुद्रित अध्ययन सामग्री प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी। इस सामग्री के माध्यम से अध्ययन के साथ ही साथ विद्यार्थी अपने प्रगति की समीक्षा भी कर सकेंगे।
- 13.2 पंजीयन उपरान्त विद्यार्थियों को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) के माध्यम से CMCLDP Portal के द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से पाठ्यक्रम की गतिविधियों से जोड़ा जायेगा। जिसमें अध्ययन सामग्री चार चतुर्थांशों (Four Quardrent) में उपलब्ध रहेगी। जिससे माध्यम से शिक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षण सामग्री के साथ-साथ अन्य लर्निंग रिसोर्सेज पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री को भी एक्सेस कर सकेगा।

14. पाठ्यक्रम की संरचना एवं प्रश्नपत्र चयन (Structure of Programme and Selection of Courses)

- 14.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं उच्चशिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अध्यादेश 14(B) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम के लिये विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से एक अध्यादेश बनाया गया है जो राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग सहित विश्वविद्यालय के समस्त संवैधानिक निकायों से स्वीकृत है। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार स्नातक और परा-स्नातक स्तर पर शिक्षार्थी को प्रश्न-पत्रों के अलग-अलग संकुल (बास्केट) में से निम्नानुसार विषय/प्रश्न-पत्रों का चयन करना होगा।

| क्र. | प्रश्नपत्र/विषय की प्रकृति | प्रश्नपत्र/विषय की संख्या | क्रेडिट |
|--------------|---|---------------------------|------------|
| 1 | मुख्य विषय(Major) | 02 | 56 |
| 2 | गौण विषय(Minor) | 01 | 26 |
| 3 | वैकल्पिक विषय(Generic Electives) | 01 | 18 |
| 4 | कौशल/व्यावसायिक विषय(Skill Enhancement Course/Vocational Course) | 01 | 12 |
| 5 | क्षमता संवर्धन/आधार पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course/Foundation Course) | 01 | 24 |
| 6 | व्यावहारिक/प्रायोगिक कार्य (Field Project/Internship/Apprenticeship /Community Engagement and Services) | 01 | 24 |
| Total | | | 160 |

पाठ्यक्रम के अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक पद्धति से संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में विषय/प्रश्नपत्र, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक तथा आंतरिक एवं बाह्य अंकों की संरचना निम्नानुसार होगी-

Structure of Credit Course (Yearly System)

| SN | Course (Credit) | Course Type | Credits Allocated | | | Distribution of Theory Marks | | Distribution of Practical Marks | | Tutorial Marks |
|----|--|-------------|--|--------------|----------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Theory | Practical | Tutorial | Internals (Through CCE) | External (Year and Exam) | Internal | External Year End Practical Exam) | |
| 1 | Core/GE/DSE(6) | Type-1 | 6 | NA | NA | 30 | 70 | NA | NA | NA |
| 2 | Core//DSE/GE(6) | Type-2 | 4 | 2 | NA | 30 | 70 | NA | 100 | NA |
| 3 | Core//DSE/GE(6) | Type-3 | 2 | 4 | NA | 30 | 70 | 50 (through CCE) | 50 | NA |
| 4 | Core//DSE/GE(6) | Type-4 | 5 | NA | 1 | 30 | 70 | NA | NA | 100 |
| 5 | Core/SEC (Vocational Course) (4) | Type -1 | 4 | 0 | NA | 30 | 70 | Na | NA | NA |
| 6 | Core/SEC (Vocational Course) (4) | Type-2 | 3 | 1(P,T,W,etc) | NA | 30 | 70 | NA | 100 | NA |
| 7 | Core/SEC (Vocational Course) (4) | Type-3 | 1 | 3(P,T,W,etc) | NA | NA | 100 | 50 (through CCE) | 50 | NA |
| 8 | DSE/SEC(Vocational Course) (4) | Type-4 | 3 | NA | 1 | 30 | 17 | NA | NA | 100 |
| 9 | AECC (Foundation Course) (4) | Type-1 | 4 | NA | 1 | 30 | 70 | NA | NA | 100 |
| 10 | AECC (Foundation Course) (4) | Type-2 | 2 | 2 | NA | NA | 50 | NA | 50 | NA |
| 11 | Field-Projects/Internship/Apprenticeship/ Community engagement & service (4/6) | NA | (i) Field-project/Internship/Apprenticeship /community engagement & Service 3/4 credit (75 Marks) (ii) Evaluation of report ½ credit (25 Marks) | | | | | | | |
| 12 | Research Methodology (4) | Type-4 | 3 | NA | 1 | 30 | 70 | NA | NA | 100 |
| 13 | Dissertation/Research Project (4/6) | NA | Evaluation of thesis 2/4 credits 50 Marks + pre submission viva-vice 1/1credit (25 marks + external viva-vice 1/1 Credit 25 marks | | | | | | | |

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम की संरचना (वार्षिक पद्धति) Structure for Under-graduate Programme: Annual System

| Year | Main Faculty (as per prerequisite) | | Any Faculty Subject III | Skill Enhancement Course (SEC) | Ability Enhancement Course (AEC) | Field Project/ apprenticeship/ Internship/ community | Credits in | Qualificati on (Credit Requirement) |
|------|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|
| | Subject I | Subject II | | | | | | |

| | | Subject I | Subject II | Subject III | Course (SEC) | Course (AEC) | Internship/ community engagement and Service | | |
|----------------------|------|--|--|---|------------------------|------------------------|--|-----------|---|
| Level | year | Major | Minor | Generic Elective Course | Vocational Course | Fundamental Course | Inter/ intra Faculty | | |
| | | No of Course (Credits) | No of Course (Credits) | No of Course (Credits) | No of Course (Credits) | No of Course (Credits) | No of Course (Credits) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Level 8 | 4 | 1. सामाजिक सामूहिक कार्य (समूह एवं संस्थायें)-6 | शोध प्रविधि- 6 | वैकल्पिक धारा में से किसी एक का प्रश्न पत्र-4-6 | | | apprenticeship/ Internship or Research Project - 10 | 40 | 160 Bachelor Degree (Honors) Bachelor Degree (Research) |
| | | 1. समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र - 6 | सतत विकास के आयाम-6 | | | | | | |
| Level 9 | 5 | सामुदायिक कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा एवं क्रिया- 6 2. सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी- 6 | 1. सामाजिक सुरक्षा एवं सुधार- 6 2. संगठित एवं असंगठित श्रमिकों के साथ समाज कार्य- 6 | वैकल्पिक धारा में से किसी एक का प्रश्न पत्र-5-6 | | | Dissertation/apprenticeship/ Internship or Research Project - 10 | 40 | Master Degree |
| Total Credits | | 24 | 24 | 12 | | | 20 | 80 | |

अनिवार्य, वैकल्पिक, व्यावसायिक एवं आधार पाठ्यक्रम के विषय

- (अ) अनिवार्य विषय (Major Courses)- समाज कार्य (Social Work): समाजकार्य स्नातक एवं परास्नातक की उपाधि के लिए मुख्य/अनिवार्य (Major/Core) विषय समाजकार्य है। समाजकार्य के 10 प्रश्नपत्र अनिवार्य धारा के मुख्य विषय (Major Subject) होंगे। शिक्षार्थी को इनमें से किन्हीं दो विषयों/प्रश्नपत्रों का चुनाव प्रत्येक वर्ष के लिये करना होगा। समाजकार्य धारा से चुनने के लिये शिक्षार्थी के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे :

| क्रम | विषय/ प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|---------------------|---------|
| 1 | समाज कार्य का परिचय | 6 (6+0) |

| | | |
|----|--|---------|
| 2 | समाज कार्य के अन्य अवधारणाएं | 6 (6+0) |
| 3 | समाज कार्य की पद्धतियाँ | 6 (3+3) |
| 4 | भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक समाज कार्य | 6 (6+0) |
| 5 | सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य एवं परामर्श | 6 (3+3) |
| 6 | सामाजिक मनोविज्ञान | 6 (6+0) |
| 7 | सामाजिक सामूहिक कार्य (समूह एवं संस्थाएं) | 6 (3+3) |
| 8 | समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र | 6 (3+3) |
| 9 | सामुदायिक संगठन (सामुदायिक कार्य एवं सामाजिक क्रिया) | 6 (3+3) |
| 10 | सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी | 6 (6+0) |

(ब) **गौण विषय (Minor Courses)– विकास, सामुदायिक नेतृत्व, संचार (Development, Community Leadership, Communication)** : अनिवार्य विषय के साथ शिक्षार्थी को एक गौण (Minor) विषय का चयन भी करना होगा। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से विकास, नेतृत्व एवं संचार की त्रिवेणी पर केन्द्रित है। अतः पाठ्यक्रम को समग्रता में समझने के लिये इन्हें जानना भी आवश्यक है। अतः पाठ्यक्रम की संरचना में अनिवार्य विषयों की श्रृंखला के अंतर्गत गौण विषय के रूप में निम्नलिखित पांच प्रश्नों को रखा गया है। जिसमें से प्रत्येक वर्ष शिक्षार्थी को एक विषय लेना अनिवार्य होगा।

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|----------------------------------|---------|
| 1 | विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन | 6 (6+0) |
| 2 | सामुदायिक नेतृत्व | 6 (6+0) |
| 3 | विकास के लिए संचार | 6 (3+3) |
| 4 | सतत विकास | 6 (3+3) |
| 5 | जीवन कौशल शिक्षा | 6 (3+3) |

(स) **वैकल्पिक विषय (Generic Electives)** : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सबसे प्रमुख प्रावधानों में से एक है अध्ययन विषय के चयन के लिये विकल्पों की बहुलता। इस पाठ्यक्रम में विकास विषयक सभी आयामों को पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस दृष्टि से दस आयामों पर मुख्य विषय के साथ एक वैकल्पिक विषय के चयन की उपलब्धता होगी। यह मुख्य विषयों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होंगी। वैकल्पिक विषय के उपलब्ध किसी भी आयाम में से शिक्षार्थी को प्रतिवर्ष एक विषय/प्रश्न-पत्र का चयन करना होगा। इसके अन्तर्गत विषय के चयन के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक विषयों की दस धाराओं में पांच-पांच प्रश्नपत्रों के बास्केट तैयार किये गये हैं। छात्र एवं अपनी रुचि एवं आवश्यकता के

अनुसार किसी भी बास्केट से एक विषय चयनित कर सकता है। शिक्षार्थी वैकल्पिक विषय में अपने मूल विषय से मिलते-जुलते विकल्प का चयन कर सकता है अथवा किसी अन्य अध्ययन आयाम को चुन सकता है। वैकल्पिक विषयों के दस आयामों में से शिक्षार्थी किसी एक आयाम के एक विषय को प्रतिवर्ष चुनेगा। जिस आयाम को प्रथम वर्ष में लेगा। उसी से सम्बन्धित प्रश्न-पत्र आगे के वर्षों में लेना अनिवार्य होगा।

● **पंचायतीराज एवं ग्रामस्वराज**

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--|---------|
| 1 | पंचायती राज: अवधारणा और क्रियान्वयन | 6 (6+0) |
| 2 | विकेन्द्रीकरण नियोजन, बजट निर्माण एवं सहभागी विकास | 6 (6+0) |
| 3 | ग्रामीण प्रौद्योगिकी | 6 (3+3) |
| 4 | सामाजिक अंकेक्षण | 6 (3+3) |
| 5 | पंचायतीराज में चुनौतियाँ एवं समाधान के लिये नवाचार | 6 (3+3) |

● **महिला एवं बाल विकास**

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--|---------|
| 1 | महिला सशक्तिकरण | 6 (6+0) |
| 2 | पोषण और स्वास्थ्य | 6 (6+0) |
| 3 | बाल विकास सुरक्षा और शिक्षा | 6 (3+3) |
| 4 | लैंगिक समानता एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध | 6 (3+3) |
| 5 | बाल सुरक्षा प्रावधान और चुनौतियाँ | 6 (3+3) |

● **प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि**

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|---------------------------|---------|
| 1 | कृषि प्रणाली और सतत कृषि | 6 (6+0) |
| 2 | प्राकृतिक एवं जैविक खेती | 6 (3+3) |
| 3 | कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन | 6 (6+0) |
| 4 | उद्यानिकी एवं विकास | 6 (3+3) |
| 5 | पशुपालन एवं प्रबंधन | 6 (6+0) |

● **पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन**

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|------------------------------------|---------|
| 1 | पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास | 6 (3+3) |
| 2 | पर्यावरण प्रदूषण : कारण एवं निवारण | 6 (3+3) |

| | | |
|---|---|---------|
| 3 | प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन : महत्त्व और प्रयास | 6 (3+3) |
| 4 | वाटरशेड प्रबंधन : जल संकट का वैज्ञानिक समाधान | 6 (3+3) |
| 5 | ऊर्जा संरक्षण और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विकास | 6 (3+3) |

● **स्वैच्छिकता एवं विकास**

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--------------------------------------|---------|
| 1 | स्वैच्छिकता: अवधारणा एवं पृष्ठभूमि | 6 (6+0) |
| 2 | स्वैच्छिक संगठनों का गठन एवं प्रबंधन | 6 (6+0) |
| 3 | परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन | 6 (3+3) |
| 4 | आपदा प्रबंधन | 6 (3+3) |
| 5 | निगमिय सामाजिक उत्तरदायित्व | 6 (6+0) |

● **आजीविका एवं कौशल**

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|-----------------------------|---------|
| 1 | उद्यमिता विकास | 6 (3+3) |
| 2 | वित्त प्रबंधन | 6 (3+3) |
| 3 | उपयुक्त प्रौद्योगिकी | 6 (3+3) |
| 4 | परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन | 6 (3+3) |
| 5 | विपणन प्रबंधन | 6 (3+3) |

● **स्वच्छता एवं स्वास्थ्य**

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|---|---------|
| 1 | मानव जीवन और स्वच्छता | 6 (6+0) |
| 2 | सूक्ष्म स्वच्छ भारत चरण-2 (अपशिष्ट प्रबंधन एवं ओडीएफ प्लस ग्राम) | 6 (3+3) |
| 3 | पेयजल प्रबंधन | 6 (6+0) |
| 4 | आजीवन स्वास्थ्य और भारतीय चिकित्सा पद्धतियां | 6 (3+3) |
| 5 | योग एवं स्वास्थ्य | 6 (2+4) |

● **विधिक विशेषज्ञता**

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--|---------|
| 1 | भारतीय संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया | 6 (6+0) |
| 2 | विधिक सेवार्य एवं विधिक सहायता तंत्र | 6 (6+0) |
| 3 | महिला, किशोर एवं बाल अधिकारों का संरक्षण | 6 (6+0) |

| | | |
|---|---------------------------------|---------|
| 4 | वंचित/विशेष वर्गों के लिए न्याय | 6 (3+3) |
| 5 | जन-अधिकारों का संरक्षण | 6 (3+3) |

● **संस्कृति, कला एवं देशज ज्ञान**

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--------------------------------------|---------|
| 1 | कला एवं संस्कृति | 6 (6+0) |
| 2 | संस्कृति के मूलतत्व | 6 (6+0) |
| 3 | कला के विविध आयाम | 6 (3+3) |
| 4 | सांस्कृतिक परम्परा एवं देशज ज्ञान | 6 (3+3) |
| 5 | कला संस्कृति : संरक्षण एवं संवर्द्धन | 6 (6+0) |

● **सामाजिक समरसता**

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|---|---------|
| 1 | समाज और संस्कृति | 6 (6+0) |
| 2 | समाज और परम्परा | 6 (6+0) |
| 3 | समरसता के संस्थागत प्रयास | 6 (6+0) |
| 4 | सामाजिक समरसता एवं संविधान | 6 (6+0) |
| 5 | पाश्चात्य देशों में रंगभेद संघर्ष और परिणाम | 6 (6+0) |

(द) **व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course/Vocational Course):** उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक एवं कौशल दक्षता संवर्धन के पाठ्यक्रमों पर बल दिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाकर सामान्य शैक्षणिक विषयों के साथ ही व्यावसायिक एवं कौशल दक्षता संवर्धन के पाठ्यक्रमों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावी अंग बनाया है। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 25 व्यावसायिक विषयों को अंगीकृत किया गया है इनका चयन केन्द्र स्तर पर उपलब्ध कौशल उन्नयन केन्द्र की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जायेगा। जिन 25 विषयों को प्रथम चरण में बी.ए., बी. एस-सी. एवं बी. काम. पाठ्यक्रमों के लिए चयन हेतु निर्धारित किया गया है उनकी सूची निम्नांकित है-

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | परिधान विन्यास प्रौद्योगिकी | Apprel Technology | 4 (2+2) |
| 2 | नवीकरणीय ऊर्जा | Renewable Energy | 4 (2+2) |
| 3 | सौन्दर्य और स्वास्थ्य कल्याण | Beauty and Wellness | 4 (2+2) |
| 4 | व्यक्तित्व विकास | Personality Development | 4 (2+2) |

| | | | |
|----|--|---|---------|
| 5 | पर्यटन परिवहन और यात्रा सेवार्ये | Tourism Transport and Travel Services | 4 (2+2) |
| 6 | कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी | Computer Science and Information Technology | 4 (2+2) |
| 7 | सुरक्षा सेवार्ये | Security Services | 4 (2+2) |
| 8 | औषधीय पौधे | Medicinal Plant | 4 (2+2) |
| 9 | जैविक खेती | Organic Farming | 4 (2+2) |
| 10 | बागवानी | Horticulture | 4 (2+2) |
| 11 | वर्मीकम्पोस्टिंग | Vermi-composting | 4 (2+2) |
| 12 | डेयरी प्रबंधन | Dairy Management | 4 (2+2) |
| 13 | पोषण एवं आहार विज्ञान | Nutrition and dietetics | 4 (2+2) |
| 14 | विद्युत प्रौद्योगिकी | Electrical Technology | 4 (2+2) |
| 15 | (इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी) | Electronic Technology | 4 (2+2) |
| 16 | हस्तशिल्प | Handicrafts | 4 (2+2) |
| 17 | खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण | Food Preservation and Processing | 4 (2+2) |
| 18 | चिकित्सा निदान | Medical Diagnostics | 4 (2+2) |
| 19 | निर्यात आयात प्रबंधन | Export Import Management | 4 (2+2) |
| 20 | जीएसटी के साथ ई-एकाउंटिंग और कराधान | E-Accounting and Taxation With GST | 4 (2+2) |
| 21 | वित्त सेवार्ये एवं बीमा | Finance Service and Insurance | 4 (2+2) |
| 22 | खुदरा प्रबंधन | Retail Management | 4 (2+2) |
| 23 | डिजिटल मार्केटिंग | Digital Marketing | 4 (2+2) |
| 24 | बिक्री कौशल | Salesmanship | 4 (2+2) |
| 25 | एकाउंटिंग एवं टैली कोर्स | Accounting and Tally | 4 (2+2) |
| 26 | कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार | Office Procedure and Practice | 4 (2+2) |
| 27 | डेस्क टॉप प्रकाशन (डीटीपी) | Desktop Publishing | 4 (2+2) |
| 28 | वेब डिजाइनिंग | Web Designing | 4 (2+2) |

(य) आधार पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course/Foundation Course)

प्रथम वर्ष (भाषा विषय कोई दो)

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|-------------------|---------|
| 1 | हिन्दी | 2 (2+0) |

| | | |
|---|-----------------|---------|
| 2 | अंग्रजी | 2 (2+0) |
| 3 | संस्कृत | 2 (2+0) |
| 4 | पर्यावरण अध्ययन | 2 (2+0) |
| 5 | योग एवं ध्यान | 2 (2+0) |

द्वितीय वर्ष (भाषा विषय कोई दो)

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|-------------------------|---------|
| 1 | हिन्दी | 2 (2+0) |
| 2 | अंग्रजी | 2 (2+0) |
| 3 | संस्कृत | 2 (2+0) |
| 4 | स्टार्ट अप एवं उद्यमिता | 2 (2+0) |
| 5 | महिला सशक्तिकरण | 2 (2+0) |

तृतीय वर्ष (भाषा विषय कोई दो)

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|-------------------------------------|---------|
| 1 | हिन्दी | 2 (2+0) |
| 2 | अंग्रजी | 2 (2+0) |
| 3 | संस्कृत | 2 (2+0) |
| 4 | डिजिटल जागरूकता | 2 (2+0) |
| 5 | व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण | 2 (2+0) |

(र) स्वतंत्र प्रमाण पत्र एवं पत्रोपाधि (Stand Alone Certificate/Diploma Course)

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--------------------------------------|---------|
| 1 | सतत विकास प्रमाण पत्र | |
| 2 | सतत विकास डिप्लोमा | |
| 3 | महिला सशक्तिकरण प्रमाण पत्र | |
| 4 | महिला सशक्तिकरण डिप्लोमा | |
| 5 | ग्रामीण विकास प्रमाण पत्र | |
| 6 | ग्रामीण विकास डिप्लोमा | |
| 7 | स्वैच्छिकता एवं विकास प्रमाण पत्र | |
| 8 | स्वैच्छिकता एवं विकास डिप्लोमा | |
| 9 | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रमाण पत्र | |
| 10 | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन डिप्लोमा | |
| 11 | प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि प्रमाण पत्र | |
| 12 | प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि डिप्लोमा | |
| 13 | पर्यावरण संरक्षण प्रमाण पत्र | |

| | | |
|----|--|--|
| 14 | पर्यावरण संरक्षण डिप्लोमा | |
| 15 | विधिक साक्षरता प्रमाण पत्र | |
| 16 | विधिक साक्षरता डिप्लोमा | |
| 17 | कला एवं संस्कृति प्रमाण पत्र | |
| 18 | कला एवं संस्कृति डिप्लोमा | |
| 19 | सामाजिक समरसता प्रमाण पत्र | |
| 20 | सामाजिक समरसता डिप्लोमा | |
| 21 | आजीविका एवं कौशल प्रमाण पत्र | |
| 22 | आजीविका एवं कौशल डिप्लोमा | |
| 23 | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग प्रमाण पत्र | |
| 24 | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग डिप्लोमा | |
| 25 | पत्रकारिता एवं जनसंचार प्रमाणपत्र | |
| 26 | पत्रकारिता एवं जनसंचार डिप्लोमा | |
| 27 | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र | |
| 28 | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य डिप्लोमा | |
| 29 | कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र | |
| 30 | कम्प्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा | |

15. मूक या अन्य पाठ्यक्रमों के चयन का विकल्प (Choice to select the MOOC or other Courses)

पाठ्यक्रम में स्वयं प्लेटफार्म (SWAYAM Platform) या किसी अन्य MOOC (Masive Open online Courses) प्लेटफार्म से वैकल्पिक धारा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम या आधार पाठ्यक्रम के निर्धारित क्रेडिट के विषय का चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य पाठ्यक्रम में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान में अध्ययनरत छात्र इस पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों का चयन कर सकते हैं।

16. अकादमिक कैलेण्डर एवं समय-सारणी (Academic Calendar and Time Table)

विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अकादमिक सत्र में समय-समय पर सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी से परिपूर्ण अकादमिक कैलेण्डर सत्रारम्भ के समय प्रदान किया जायेगा। समस्त अकादमिक गतिविधियाँ अकादमिक कैलेण्डर में दी हुई तिथियों और व्यवस्थानुसार सम्पादित होंगी। दिवस विशेष में सम्पन्न होने वाली कक्षाओं की समय-सारणी उपलब्ध कराई जायेगी। जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन सक्षम स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।

17. सम्पर्क कक्षाएँ (Contact Classes)

पाठ्यक्रम ओपेन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग पद्धति से संचालित किया जा रहा है। इस विधि में स्व-अध्ययन सामग्री प्रदान किये जाने पर विद्यार्थी स्वयं के प्रयास से इस सामग्री को पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं।

सीखने के मार्ग या प्रक्रिया में जो जिज्ञासा या प्रश्न उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं उनके सम्यक् समाधान के लिए वह सम्पर्क कक्षाओं में विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करता है। प्रश्नों और शंकाओं का समाधान पाठ्य सामग्री को और अधिक बोधगम्य बनाकर सीखने की प्रक्रिया आसान बना देता है। इन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्य तथा प्रायोगिक प्रयोगात्मक कार्य मेन्टर्स के मार्गदर्शन में जन अभियान परिषद के सहयोग से विशेषज्ञों द्वारा कराया जायेगा।

18. उपस्थिति (Attendance)

- 18.1 प्रत्येक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (अध्ययन केन्द्र) पर अकादमिक कैलेण्डर की समय-सारणी के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अभ्यर्थियों के लिए 40 सम्पर्क कक्षाएं आयोजित की जायेंगी। ये कक्षाएं रविवार के दिन प्रातः 10:00 से 5:30 के मध्य सम्पन्न होंगी। यदि 40 कक्षाएँ समस्त रविवार को लेने पर भी पूरी नहीं हो रही हों तो छात्रों और विशेषज्ञों के परामर्श से रविवार के अतिरिक्त अन्य दिवसों में भी कक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी।
- 18.2 प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पाठ्यक्रम की अगली अकादमिक गतिविधि में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात् पूरे पाठ्यक्रम में सम्पन्न 40 संपर्क कक्षाओं में से 32 संपर्क कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम की गतिविधियों में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। सम्पन्न होने वाली समस्त सम्पर्क कक्षाओं की संख्या में आवश्यकतानुसार 5 प्रतिशत की कमी या वृद्धि सक्षम सहमति से की जा सकेगी।
- 18.3 उपस्थिति के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (अध्ययन केन्द्र) पर वर्षवार एक उपस्थिति रजिस्टर संधारित किया जायेगा। जिसमें छात्र सम्पर्क कक्षा के दिवस पर उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर करेगा। प्रत्येक माह की उपस्थिति अध्ययन केन्द्र प्रभारी द्वारा सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।
- 18.4 शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (अध्ययन केन्द्र) प्रभारी को प्रत्येक सम्पर्क कक्षा दिवस पर विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी विश्वविद्यालय को उसी दिन ई-मेल द्वारा सूचित करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी ब्लॉक स्तर पर चिन्हित समन्वयक द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल में भी अपलोड की जायेगी।

19. सामुदायिक प्रयोगशाला के रूप में ग्राम/क्षेत्र (Villages/Areas as Community Laboratories)

पाठ्यक्रम में व्यावहारिक अभ्यास कार्य (एसाइनमेंट +फील्ड वर्क) सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि अथवा परामर्श से अध्ययन अवधि के दौरान एक ग्राम/क्षेत्र का चयन अनिवार्यतः करना होगा। यह ग्राम उसकी सामुदायिक प्रयोगशाला के रूप में होगा। विद्यार्थीको अपनी प्रत्येक विषय से सम्बन्धित फील्ड वर्क संबंधी समस्त गतिविधियाँ इसी ग्राम में लोगों की सहभागिता से सम्पन्न

करनी होगी। पाठ्यक्रम के अंत में इस क्षेत्र में किये गये कार्यों के आधार पर ही विद्यार्थीके प्रायोगिक कार्य प्रतिवेदन का मूल्यांकन किया जायेगा।

20. व्यावहारिक अभ्यास कार्य

(Field Work Practice) : Assignments, Field Work and Internship

पाठ्यक्रम के व्यावहारिक अभ्यास कार्य (एसाइनमेंट+फील्ड वर्क) के लिए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अभ्यर्थी को निर्धारित कार्य दी गई समय-सीमा में चयनित गाँव/क्षेत्र में पूर्ण करना होगा। इस कार्य का प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों (फार्मेट) में दस्तावेज बनाकर सुरक्षित रखना होगा। मूल्यांकन के समय प्रत्येक अभ्यर्थी को व्यावहारिक अभ्यास कार्य के रूप में किये गये कार्यों की प्रस्तुति करना अनिवार्य होगा। व्यावहारिक कार्य से संबंधित संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी जा रही है—

- 20.1 व्यावहारिक अभ्यास कार्य (एसाइनमेंट+फील्ड वर्क+इंटरनशिप) पाठ्यक्रम का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कार्य मेंटर्स या विशेषज्ञों के द्वारा दिये गये परामर्श से शिक्षार्थी को पूरा करना होगा।
- 20.2 व्यावहारिक अभ्यास कार्य (एसाइनमेंट+फील्ड वर्क+इंटरनशिप) का आयोजन पूर्व में घोषित निर्धारित रविवार को आयोजित होने वाली सम्पर्क कक्षाओं के अलावा कभी भी किया जा सकता है। इसके अंक परीक्षा में शामिल किये जायेंगे।
- 20.3 व्यावहारिक अभ्यास कार्य (एसाइनमेंट+फील्ड वर्क) 30 अंकों का होगा। जिसमें से क्षेत्रीय कार्य के लिए 15 अंक एवं एसाइनमेंट के लिए 15 अंक निर्धारित किये गये हैं।
- 20.4 प्रत्येक प्रश्नपत्र में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य SDGs के किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये शासन की योजनाओं के आधार पर समुदाय के व्यावहारिक परिवर्तन (Behavioural Change) के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप (Intervention) हेतु कार्य करना होगा। ऐसे प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए जिसमें प्रायोगिक कार्य का प्रावधान किया गया है उसमें किसी निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चयनित गाँव में जन सहभागिता या सामुदायिक प्रयास (Community Engagement) प्राप्त कर लक्ष्यगत, व्यवहारगत अथवा कोई अन्य सकारात्मक परिवर्तन से सम्बन्धित प्रायोगिक कार्य छात्र द्वारा किया जायेगा।
- 20.5 प्रायोगिक कार्य के अन्तर्गत प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक निर्धारित सूचकांक (Indicator) होगा जिसके लिए सर्वप्रथम चयनित गाँव का आधारभूत सर्वेक्षण (Baseline Survey) तथा कार्यायान्तक सर्वेक्षण (Endline Survey) करते हुए परिणामों को मापना होगा। इसके लिए गाँव में किये गये प्रत्येक कार्यों का प्रक्रियागत दस्तावेज (Process Documentation) तैयार कर प्रतिवेदन लिखना होगा। इसी प्रतिवेदन के मासिक प्रगति को प्रदत्तकार्य प्रतिवेदन (Assignment Report) के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

- 20.6 फील्डवर्क का मूल्यांकन वर्षवार तैयार प्रतिवेदन एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा। यह वार्षिक परियोजना प्रतिवेदन (Project Report) प्रतिवेदन मासिक प्रक्रियागत दस्तावेज (Process Documentation) के आधार पर तैयार किया जायेगा जिसका प्रस्तुतीकरण वाह्य परीक्षक के समक्ष करना होगा। वर्ष भर किये जाने वाले प्रायोगिक कार्य के प्रक्रियागत दस्तावेज (Process Documentation) पर चर्चा मेन्टर के साथ सम्पर्क कक्षाओं में की जावेगी।
- 20.7 प्रक्रियागत दस्तावेज (Process Documentation) एवं परियोजना प्रतिवेदन (Project Report) समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत करने पर 30 अंक विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- 20.8 प्रायोगिक कार्य के तहत इंटर्नशिप/प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। इसके तहत छात्रों को जिला प्रशासन के सहयोग से 45 दिन के लिए किसी शासकीय विभाग के अंतर्गत इंटर्नशिप करने हेतु लगाया जायेगा। जहाँ पर वे व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे।
- 20.9 प्रायोगिक कार्य (Field Work) तथा प्रदत्त कार्यों के लिये समुदाय के साथ किये जा सकने वाले कार्य उदाहरण स्वरूप निम्नानुसार प्रस्तुत हैं—

| क्र. | माह | कार्य/विषय/गतिविधि |
|------|-------|---|
| 1. | जून | <ol style="list-style-type: none"> 1. जल संरक्षण अंतर्गत छोटी-छोटी संरचनाओं का निर्माण एवं जल स्रोतों की साफ-सफाई करना। जैसे-बोरी बंधान, सोखता गड्ढा / सोख पीठ तालाब गहरीकरण, कुआँ/ बावड़ी का साफ सफाई तथा गहरीकरण आदि कार्य करना। 2. शिक्षा (स्कूल चलो अभियान) अंतर्गत शाला त्यागी बच्चों का स्कूल में नियमितीकरण हेतु अभिभावकों से मिलकर बच्चों के शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूक करना तथा बच्चों का शाला में प्रवेश कराना। 3. 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 26 जून अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं का सेवन एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस, 27 जून विश्व मधुमेह दिवस पर जन जागरूकता बैठको चौपालों का आयोजन। 4. प्रत्येक परिवार में तथा सामुदायिक व सरकारी खुले पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण, किचिन गार्डन इत्यादि से पंचवटी से पोषण के लिये सम्पूर्ण कार्य की कार्य योजना तैयार कर अंतिम रूप देना। ग्रामवासियों, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यानिकी, वन कृषि विभाग, आदि के जमीनी अमले के साथ मिलकर बनाई जाये। 5. डायरिया एवं मौसमी बीमारियों के बारे में जागरूकता लाना। 6. "आंगनवाड़ी चलो" अभियान में सक्रिय भागीदारी। 7. लाडली लक्ष्मी योजना हेतु पात्र बालिकाओं का चिन्हांकन। 8. लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही बालिकाओं का छात्रवृत्ति हेतु चिन्हांकन व परियोजना अधिकारियों को रिपोर्टिंग। |
| 2. | जुलाई | <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्रामवासियों को विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत योजना निर्माण में समुदाय एवं ग्राम सभा की भूमिका के संबंध में चौपाल/बैठक का आयोजन कर जागरूक/प्रशिक्षित करना। 2. स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत शाला त्यागी एवं शाला जाने योग्य बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर समस्त बच्चों को प्रवेश दिलवाना। 3. पंचवटी से पोषण के लिए सम्पूर्ण ग्राम की कार्य योजना के अनुरूप कार्य करना। 4. "आंगनवाड़ी चलो" अभियान में सक्रिय भागीदारी। 5. 1-7 अगस्त में स्तनपान सप्ताह के आयोजन पूर्व पर्याप्त प्रचार प्रसार। |

| | | |
|---|---------|--|
| 3 | अगस्त | <ol style="list-style-type: none"> 1. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जंगलो भूमिक्षरण और जैवविविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने हेतु जनजागरण। ग्राम के सामुदायिक भवनों एवं स्कूलों के मैदानों में फलदार छायादार एवं फूलों के पौधों का रोपण तथा विद्यार्थियों व आमजन को वृक्षों के महत्व व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर पौधों के संरक्षण हेतु उनकी जिम्मेदारी तय करना। 2. ग्राम सभा में भागीदारी करने हेतु प्रेरित करना। 3. 1-7 अगस्त स्तनपान सप्ताह का आयोजन। 4. 1-7 सितम्बर राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह के आयोजन के पूर्व आवश्यक तैयार एवं प्रचार प्रसार। |
| 4 | सितम्बर | <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि की विभिन्न विधाओं जैसे- रेशम कीट, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन/फूल/फल/ सब्जी उत्पादन, मिथेन फार्मिंग, पशुपालन आदि को बढ़ावा देने तथा जैविक खेती के प्रमाणीकरण हेतु पंजीयन का कार्य एवं शासकीय योजनाओं व तकनीकी ज्ञान का प्रचार प्रसार। 2. पोषण ज्ञान जागरूकता के लिये घर-घर जाकर सम्पर्क करना। 3. लालिता अभियान के अंतर्गत रक्ताल्पता (एनीमिया) अर्थात् शरीर में खून की कमी में सुधार लाने हेतु शालाओ में जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करना। 4. डायरिया एवं मौसमी बीमारियों के बारे में जागरूकता लाना। 5. 1-7 सितम्बर राष्ट्रीय पोषण-आहार सप्ताह के आयोजन की भागीदारी। |
| 5 | अक्टूबर | <ol style="list-style-type: none"> 1. शासन द्वारा विविध सहायता हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी ग्रामीणजनों को उपलब्ध कराना एवं विविध साक्षरता के संबन्ध में उन्हें शिक्षित/प्रशिक्षित करना। लैंगिक समानता प्राप्त करने हेतु महिलाओं को उनके अधिकार एवं नियमों के संबन्ध में जागरूक करना। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों का प्रचार-प्रसार जो रोजगार सृजन एवं सूक्ष्म लघु उद्योग इकाई स्थापित करने में सहायक हो। 3. लाडो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह रोकने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाना। 4. गाँधी जयंती पर ग्राम सभा में आयोजन में भागीदार करने हेतु प्रेरित करना। 5. पंचवटी से पाषण में लगाये गये पौधों की जीवितता सुनिश्चित करना। |
| 6 | नवम्बर | <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्रामवासियों को गंदगी के विभिन्न कारणों के प्रति जागरूक कर स्वच्छता अभियान चलाना तथा गाँव को कचरे एवं गंदगी से मुक्त कराने की योजना बनाना लागू करना। 2. लाडो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह रोकने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाना। 3. बाल दिवस 14 नवम्बर पर आँगनबाडी केन्द्रों पर महिलाओं एवं बच्चों को सप्ताह में एक बार देश प्रेम वीरता की प्रेरणा देने वाली अथवा मिट्टी, पानी व वृक्षों के प्रति संवेदनशील करने वाली सत्य घटनायें सुनाना, लोकगीत नृत्य अथवा अन्य स्थानीय रुचि के अनुरूप सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित करना। |
| 7 | दिसम्बर | <ol style="list-style-type: none"> 1. शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति जन-जागरूकता। ग्राम में संचालित शासकीय योजनाओं की सूची बनाना, पात्र हितग्राही की पहचान करना तथा उन्हें उपयुक्त शासकीय योजना से जोड़ने का प्रयास करना एवं शासकीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु आमजन को प्रोत्साहित करना। 2. महिलाओं को महिला संरक्षण के जुड़े कानूनों की जानकारी, योजनाओं आदि पर जागरूकता अभियान चलाना। |

| | | |
|----|-----------------|---|
| | | 3. महिला हिंसा एवं बालकों के प्रति होने वाली हिंसा के प्रति जन-जागरूकता लाना। |
| 8 | जनवरी | 1. बीमारी की रोकथाम, निवारण तथा आहार एवं पोषण के महत्व के प्रति ग्रामवासियों को जागरूक करना। 2. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ग्राम सभा में स्वयं उपस्थित रहना एवं अन्य को ग्राम सभा में भागीदारी हेतु प्रेरित करना। 3. राष्ट्रीय पर्वों में उत्साह के साथ समाज को जोड़ना व स्वयं उपस्थित रहना। बच्चों का देश में प्रगाढ़ रिश्ता बनाने के लिए छोटी-छोटी सरल कविताओं व नारे बच्चों से बुलवाना। 4. घरेलू हिंसा के प्रति लोगो को जागरूक करना। |
| 9. | फरवरी | 1. मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक शासकीय विभागों से विभिन्न दस्तावेज (आधर कार्ड, वोटर आदि) अनुमति व प्रमाण पत्र (जन्म/विवाह/मृत्यु प्रमाण पत्र) आदि बनवाने व प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबन्ध में ग्रामवासियों को जागरूक करना। 2. हितग्राही फलक योजनाओं के लाभ लेने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराना। 3. लाडली लक्ष्मी योजना हेतु पात्र बालिकाओं का चिन्हांकन। |
| 10 | मार्च से अप्रैल | 1. ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम में उपलब्ध एवं ग्राम के आसपास के जल स्रोतों जैसे- कुआ, नाला, तालाब, बावडी, पोखर, नहर, नदी झरना, आदि के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए अभियान चलाकर कार्य करना तथा स्थानीय आवश्यकता एवं वातावरण के अनुसार जल संरक्षण हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करना। 2. लाडो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह रोकने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाना। 3. स्वच्छता और कूपोषण के लिए जन-जागरूकता अभियानों की रूपरेखा बनाना। |

21. व्यावहारिक अभ्यास कार्य का प्रतिवेदन लेखन (Report Writing of Field Work)

व्यावहारिक अभ्यास कार्य (एसाइनमेंट+फील्ड वर्क+इन्टर्नशिप) का ऑकलन अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण एवं अभिलेखीकरण पर आधारित होता है। अभिलेखीकरण के अभाव में छात्र के द्वारा किया गया बेहतर कार्य भी प्रभावहीन माना जाता है। अतः व्यावहारिक अभ्यास कार्य (एसाइनमेंट+फील्ड वर्क+इन्टर्नशिप) का प्रतिवेदन समस्त छात्र पूर्ण मनोयोग से तैयार करें। प्रतिवेदन से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं का विवरण निम्नांकित है-

- अध्ययन हेतु चयनित ग्राम/क्षेत्र में रहवासी परिवारों से सम्बन्धित जानकारी सबसे पहले बेसलाइन सर्वे के रूप में प्राप्त की जायेगी।
- बेसलाइन सर्वे में कार्य प्रारम्भ के पूर्व अध्ययन हेतु चयनित ग्राम/क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान समय में स्थिति की जानकारी प्राप्त की जायेगी।
- इस प्रारूप का प्रयोग व्यावहारिक अभ्यास कार्य (एसाइनमेंट+फील्ड वर्क+इन्टर्नशिप) प्रत्येक के प्रतिवेदन निर्माण के लिए किया जा सकता है।
- प्रपत्र में दर्शाये गये बिन्दु मार्गदर्शन एवं प्रतिवेदनों के स्वरूप में एकरूपता लाने के लिए दिये गये हैं। यदि कोई अन्य उल्लेखनीय बिन्दु हों तो उन्हें पृथक से प्रस्तुत किया जा सकता है।

- प्रतिवेदन हस्तलिखित एवं सुपाठ्य अक्षरों में हो तथा उन्हें तैयार करने के लिए नीले अथवा काले स्याही का उपयोग किया जाए।
- छायाचित्र, समाचार पत्रों के क्लिपिंग एवं अन्य साक्ष्य जो छात्र के कार्य को प्रमाणित करें उन्हें अवश्य संलग्न करें।
- व्यवहारिक अभ्यासकार्य के अंत में सम्बन्धित ग्राम में एक इण्डलाईन सर्वे छात्र को करना होगा जिसके अन्तर्गत सतत विकास लक्ष्यों में किये गये कार्यों से प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

फील्ड वर्क प्रतिवेदन का प्रारूप
मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम
समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम/समाज कार्य परास्नातक पाठ्यक्रम
(सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास)

| | |
|-----------------------------|--|
| अध्ययन वर्ष या Level | |
| प्रतिवेदन क्रमांक – | |
| छात्र का नाम – | |
| अनुक्रमांक/यू.आई.डी. नम्बर– | |
| दिन एवं दिनांक – | |
| समय एवं स्थान — | |
| केन्द्र का नाम – | |

| क्र. | प्रतिवेदन प्रस्तुति के बिन्दु | विवरण |
|------|--|-------|
| 1. | गतिविधि का नाम | |
| 2. | उद्देश्य | |
| 3. | पूर्व में की गई तैयारी | |
| 4. | गतिविधि के आयोजन का स्वरूप (कार्य क्या था एवं कैसे किया गया, क्या कठिनाइयाँ आयी, कैसे दूर किया, क्या परिणाम आया) | |
| 5. | प्रयोग की गई सामग्री/उपकरण | |
| 6. | सहभागियों की संख्या | |
| 7. | गतिविधि के फोटोग्राफ | |
| 8. | समाचार पत्रों की क्लिपिंग | |
| 9. | अन्य उल्लेखनीय विवरण | |
| 10. | हमने क्या सीखा | |
| 11. | भावी योजना | |

शिक्षार्थी के हस्ताक्षर

मेंटर के हस्ताक्षरपरीक्षक के हस्ताक्षर

21. आन्तरिक मूल्यांकन/सी.सी.ई. (Continuous Comprehensive Evaluation)

प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र से सम्बन्धित एस.डी.जी. से निर्धारित टारगेट में तय किये गये निर्धारित सूचकांक की प्राप्ति के लिए छात्र अपने चयनित क्षेत्र— ग्राम या शहरी मलीन बस्ती में सामुदायिक प्रयास (Community Engagement) या जन सहभागिता (People Participation) के माध्यम से लक्ष्यगत, व्यवहारगत या कोई अन्य सकारात्मक परिवर्तन से सम्बन्धित कार्य करेगा।

इसके लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में 5 प्रदत्त कार्य प्रदान किये जायेंगे। 30 अंक में से 15 अंक इन 5 प्रदत्त कार्यों की प्रक्रियागत दस्तावेज (Process Document) समयसीमा में प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित परामर्शदाता द्वारा प्रदान किया जायेगा। शेष 15 अंक पूरे वर्ष के सम्बन्धित प्रश्नपत्र के प्रक्रियागत दस्तावेज के आधार पर निर्मित परियोजना प्रतिवेदन (Project Report) पर बाह्य विशेषज्ञ के द्वारा मौखिक साक्षात्कार के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

22. वार्षिक परीक्षा (Annual Examination)

- 22.1 वार्षिक या सत्रांत परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की व्यवस्था और मूल्यांकन कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- 22.2 वार्षिक परीक्षा का आयोजन पूर्व में घोषित अकादमिक कैलेंडर में निर्धारित तिथियों पर प्रत्येक अध्ययन केन्द्र पर किया जायेगा। परीक्षा में बैठने के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 22.3 वार्षिक या सत्रांत परीक्षा का संचालन प्रत्येक अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के नेतृत्व में होगा।
- 22.4 इस पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्येक विषय के लिए एक प्रश्नपत्र होगा।
- 22.5 प्रत्येक प्रश्नपत्र 70 अंक का होगा, जिसमें निम्नांकित प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं—
- विश्लेषण और वैचारिक समझ के परीक्षण के लिए निबंधात्मक प्रश्न।
 - लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न।
 - प्रकरण सामग्री/समस्या निराकरण गतिविधियां/प्रेक्टिकल कार्यों पर आधारित प्रश्न।

23. व्यावहारिक अभ्यास कार्य मूल्यांकन (Evaluation of Field Work)

व्यावहारिक अभ्यास कार्य (एसाइनमेंट+फील्ड वर्क) का मूल्यांकन सतत और सत्रांत दोनों रूपों में सम्पन्न होगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को चयनित ग्राम/क्षेत्र में निर्धारित विषय पर तीन-तीन अंक के 05 प्रदत्त कार्य करने होंगे।

फील्डवर्क का मूल्यांकन वर्षवार तैयार प्रतिवेदन एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा। यह वार्षिक परियोजना प्रतिवेदन (Project Report) मासिक प्रक्रियागत दस्तावेज (Process Documentation) के आधार पर तैयार किया जायेगा जिसका प्रस्तुतीकरण बाह्य परीक्षक के समक्ष करना होगा। वर्ष भर किये

जाने वाले प्रायोगिक कार्य के प्रक्रियागत दस्तावेज (Process Documentation) पर चर्चा मेन्टर के साथ सम्पर्क कक्षाओं में की जावेगी।

प्रायोगिक कार्य के तहत इंटरनशिप/प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। इसके तहत छात्रों को जिला प्रशासन के सहयोग से 45 दिन के लिए किसी शासकीय विभाग के अंतर्गत इंटरनशिप करने हेतु लगाया जायेगा जहाँ पर वे व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त करेंगे।

प्रायोगिक कार्य के पांच प्रदत्त कार्य पर प्रति प्रदत्त कार्य 3 अंक के अनुसार कुल 30 अंक में से 15 अंक आंतरिक मूल्यांकन के तहत सम्बन्धित परामर्शदाता द्वारा प्रदान किया जायेगा। 30 अंक में से शेष 15 अंक बाह्य परीक्षक द्वारा प्रदान किया जायेगा।

24. वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन (Conduction of Annual Exam)

वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन अकादमिक कैलेंडर के अनुसार पूर्व घोषित समय-सारणी के आधार पर किया जायेगा। फील्ड वर्क की परीक्षा सैद्धांतिक विषयों की परीक्षाओं के पूर्व ही संपन्न करा ली जायेगी। प्रत्येक दिवस में एक विषय का प्रश्नपत्र सम्पन्न होगा जिसका पूर्णांक 70 होगा। सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए अधिकतम तीन घण्टे का समय प्रदान किया जायेगा।

25. परिणामों की घोषणा (Announcement of Results)

अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और नियमानुसार परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। घोषित परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cmcldp.org पर देखे जा सकेंगे। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र प्रभारी को संबंधित केन्द्र का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

26. उत्तीर्ण एवं श्रेणी (Pass and Category)

- 26.1 प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र/विषय की बाह्य एवं आंतरिक परीक्षा में पृथक-पृथक छात्र को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात् प्रत्येक सैद्धान्तिक विषयवार/प्रश्नपत्रवार 30 अंक के आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 10 अंक एवं बाह्य परीक्षा के 70 अंकों में से न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 26.2 फील्ड वर्क में आंतरिक और बाह्य परीक्षा में पृथक-पृथक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः प्रदत्त कार्य के 20 अंकों में से 10 अंक, व्यावहारिक कार्य के 30 अंकों में से 15 अंक इस प्रकार आंतरिक मूल्यांकन के 50 अंकों में से 25 एवं बाह्य मूल्यांकन के 50 अंकों में से 25 कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

27. पुनर्परीक्षा (Repeat Examination)

- 27.1 वे छात्र जो किसी विषय/प्रश्नपत्र में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सकेंगे वे उस विषय/प्रश्नपत्र में रिपीट परीक्षा देने के पात्र होंगे। रिपीट परीक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में जितने अवसर मिलेंगे, उतनी बार दे सकेंगे।

- 27.2 रिपीट परीक्षा वर्ष में केवल एक बार ही मुख्य परीक्षा के साथ आयोजित की जायेगी जिसके लिए अलग से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने पर परीक्षा हेतु पात्र होंगे।
- 27.3 किसी पाठ्यक्रम विशेष को पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा के अन्दर छात्र को सिर्फ रिपीट विषय/प्रश्नपत्र का शुल्क ही देय होगा। किन्तु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि के बाद भी रिपीट विषय/प्रश्नपत्र उत्तीर्ण नहीं होते तो उसे पुनः पाठ्यक्रम शुल्क जमाकर पाठ्यक्रम में पुनर्प्राप्ति करवाना होगा।

28. अनुचित साधन (Unfair Means)

- 28.1 किसी प्रश्नपत्र में यदि कोई छात्र अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके उस प्रश्नपत्र की परीक्षा स्वमेव निरस्त हो जायेगी। यदि एक ही परीक्षा के दौरान छात्र दो बार ऐसे प्रकरणों में संलिप्त पाया जाता है तो उस वर्ष की पूरी परीक्षा निरस्त हो जायेगी। दो बार से अधिक अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर पाठ्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- 28.2 विश्वविद्यालय के संज्ञान में यदि यह तथ्य आता है कि किसी परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक रूप से अनुचित साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है या प्रयोग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पूरे केन्द्र की परीक्षा निरस्त की जायेगी।

29. पुनर्गणना (Retotaling)

परीक्षा में अधिकतम किन्हीं दो विषय/प्रश्नपत्र में छात्र पुनर्गणना करा सकेगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क प्रति प्रश्नपत्र के अनुसार देय होगा। पुनर्गणना का आवेदन परीक्षाफल घोषित होने के 30 दिवस के अन्दर करना अनिवार्य होगा। निर्धारित दिवस के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। पुनर्गणना में अंकों में जो भी परिवर्तन होगा वही मान्य होगा।

30. कृपांक (Grace Marks)

- 30.1 पाठ्यक्रम में 03 अंकों के कृपांक की पात्रता होगी। ये उसी दशा में प्रदान किये जायेंगे जब इन्हें प्रदान करने से छात्र उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा हो। कृपांक अधिकतम दो विषयों/प्रश्नपत्रों में दिये जायेंगे।
- 30.2 यदि 01 अंक की कमी से छात्र किसी श्रेणी से वंचित होता है तो कुलपति ग्रेस मार्क के नाम पर 01 अंक का कृपांक दिया जायेगा किन्तु कृपांक पाने वाले छात्रों को यह अंक नहीं दिया जायेगा।

31. परीक्षा परिणाम सम्बन्धी स्पष्टीकरण (Clarifications related to Results)

- परीक्षा परिणाम का अवलोकन करने से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी यहाँ दी जा रही है—
- 31.1 पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक विषयों/प्रश्नपत्रों में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत और व्यावहारिक अभ्यास कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होगा।

- 31.2 **उत्तीर्ण/पास (Pass)** – जिन छात्रों ने पाठ्यक्रम की मूल्यांकन संबंधी समस्त गतिविधियों यथा आन्तरिक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा तथा प्रायोगिक कार्य (फील्ड वर्क) की आन्तरिक और बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होकर निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उन्हें पास घोषित किया जाता है। उन्हें निर्धारित आवेदन पत्र और शुल्क देकर अगले वर्ष में पढ़ने की पात्रता है।
- 31.3 **प्रमोटेड (Promoted)**– जिन छात्रों ने पाठ्यक्रम की मूल्यांकन संबंधी समस्त गतिविधियों यथा आन्तरिक मूल्यांकन (अर्द्धवार्षिक परीक्षा) वार्षिक परीक्षा तथा प्रायोगिक कार्य की आन्तरिक और बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होकर सभी प्रश्नपत्रों में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें प्रमोटेड घोषित किया जाता है। ये छात्र निर्धारित आवेदन पत्र और शुल्क देकर अगले वर्ष में पढ़ने की पात्रता रखते हैं। इन छात्रों को अगले वर्ष की वार्षिक परीक्षा में प्रथम वर्ष की परीक्षा के संबंधित प्रश्नपत्रों, मूल्यांकन गतिविधियों में सहभागिता कर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। इस हेतु उन्हें 100 रुपये का आवेदन पत्र एवं प्रत्येक प्रश्नपत्र जिनमें निर्धारित उत्तीर्णांक नहीं आये हैं के लिए रुपये 250 (दो सौ पचास) की राशि विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी। उदाहरण के लिये यदि एक छात्र नेतृत्व विकास प्रश्नपत्र की परीक्षा में (बाह्य या आन्तरिक) और फील्ड वर्क की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका है तो उसे रुपये 100 आवेदन पत्र के और 02 विषयों के $250 + 250 = 500$ इस तरह कुल 600 रुपये विश्वविद्यालय में जमा कराने होंगे। प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होकर निर्धारित अंक न प्राप्त करने वाले छात्रों को भी इसी प्रकार शुल्क जमाकर संबंधित परीक्षा में शामिल होना होगा।
- 31.4 **ईयर रिपीट (Year Repeat)** – जिन छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क जमाकर नामांकन/पंजीयन कराया किन्तु कुछ कारणोंवश वे मूल्यांकन संबंधी समस्त गतिविधियों यथा आन्तरिक मूल्यांकन (अर्द्धवार्षिक परीक्षा) वार्षिक परीक्षा तथा प्रायोगिक कार्य की आन्तरिक और बाह्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। ऐसे छात्र ईयर रिपीट किये जाते हैं। इन छात्रों को प्रथम वर्ष में फिर से पढ़ना होगा और पूरे वर्ष के लिए पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र स्तर की निर्धारित समस्त गतिविधियों यथा सम्पर्क कक्षाओं, फील्डवर्क और मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों में नियमानुसार शामिल होना होगा। ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष की कक्षा या किसी अन्य गतिविधि में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के साथ-साथ निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करने होंगे। इसी शर्त पर वे पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे।
- 31.5 **GPA = (Grade Point Average or Percentage)**– जी.पी.ए. परीक्षाफल में छात्र की सम्पूर्ण उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। परीक्षाफल क्रेडिट सिस्टम एवं 10 प्वाइंट स्केल में तैयार किया जाता है। सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र के आंतरिक 30 अंक एवं बाह्य 70 अंक एवं फील्ड वर्क के आंतरिक 50 अंक एवं बाह्य 50 अंक इस प्रकार दोनों में कुल पूर्णांक 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को 10 प्वाइंट में विभाजित कर इस प्रश्नपत्र के कुल क्रेडिट के गुणक से टी.जी.पी. निकाला जाता है। जैसे – प्रश्नपत्र 1 का कुल क्रेडिट 6 है तो सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र के आन्तरिक 30 में 15 एवं बाह्य 70 में 45 अंक अर्जित किये तो पूर्णांक 100 में प्राप्त कुल प्राप्तांक 60 को 10 प्वाइंट में विभाजित करने एवं 6 क्रेडिट के गुणक में टी.जी.पी. 18.0 हुआ। इसी प्रकार सभी प्रश्नपत्रों के टी.जी.पी. के योग में कुल क्रेडिट से विभाजित करने पर जी.पी.ए. प्राप्त होता है।

कुल जी.पी.ए. को कुल क्रेडिट से विभाजन करने पर सी.जी.पी.ए./ओ.जी.पी.ए. निकाला जाता है। किसी छात्र के परीक्षाफल के इस जी.पी.ए./सी.जी.पी.ए./ओ.जी.पी.ए. कालम में यदि 7.6 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसे परीक्षा में 76 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। ग्रेडिंग 10 प्वाइंट स्केल में होगी, जिसका विवरण निम्नांकित सारणी में दिया जा रहा है:-

| Letter Grade | Grade Points | Description | Range of Marks (%) |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| O | 10 | Outstanding | 90-100 |
| A+ | 9 | Excellent | 80-89 |
| A | 8 | Very good | 70-79 |
| B+ | 7 | Good | 60-69 |
| B | 6 | Above Average | 50-59 |
| C | 5 | Average | 40-49 |
| P | 4 | Pass | 33-39 |
| F | 0 | Fail | 0-32 |
| Ab | 0 | Absent | Absent |

खण्ड-2 : विषय / प्रश्नपत्रों का विस्तृत विवरण



1. अनिवार्य विषय/प्रश्नपत्र : समाज कार्य

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--|---------|
| 1 | समाज कार्य का परिचय | 6 (6+0) |
| 2 | समाज कार्य एवं अन्य अवधारणाएँ | 6 (6+0) |
| 3 | समाज कार्य की पद्धतियाँ | 6 (6+0) |
| 4 | भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक समाज कार्य | 6 (6+0) |
| 5 | सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य एवं परामर्श | 6 (6+0) |
| 6 | सामाजिक मनोविज्ञान | 6 (6+0) |
| 7 | सामाजिक सामूहिक कार्य (समूह एवं संस्थाएं) | 6 (6+0) |
| 8 | समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र | 6 (6+0) |
| 9 | सामाजिक शोध : परिचय एवं पद्धतियाँ | 6 (6+0) |
| 10 | सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक क्रिया | 6 (6+0) |
| 11 | सामाजिक शोध, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग | 6 (6+0) |
| 12 | मानव संसाधन प्रबंधन | 6 (6+0) |
| 13 | औद्योगिक संगठनों में समाज कार्य | 6 (6+0) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|---|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकास की समझ रखने वाले कार्यकर्ता तैयार करना है। विकास विषयक कार्यों को करने के लिये विशेष दक्षता की जरूरत होती है। व्यावसायिक समाज कार्य व्यक्ति में वह क्षमतायें उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति समाज में परिवर्तन के लिये हस्तक्षेप करने की योग्यता, निपुणता और विधियों का जानकारी हासिल करता है और इनका प्रयोग करता है। पाठ्यक्रम के मूल स्वरूप की दृष्टि से इसे आधार माना गया है और मेजर कोर्स के रूप में पाँचों वर्ष इसके सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान के विषय/प्रश्नपत्र अध्ययन हेतु निर्धारित किये गये हैं। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> 1-17 तक सभी लक्ष्यों की सम्बद्धता इस अध्ययन धारा से है। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> लगभग सभी शासकीय विभागों से समाजकार्य विषयक जानकार जुड़ते हैं और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से मनःस्थिति और परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> इस अध्ययन धारा के विषय हितग्राही मूलक योजनाओं से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं। शासकीय योजनाओं के माध्यम से ही समाजकार्य कार्यकर्ता हस्तक्षेप का कार्य करते हैं तथा आवश्यकतानुसार शासकीय प्रावधानों और योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति और समाज को सशक्त बनाते हैं। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> समाजकार्य एक व्यावसायिक विषय है। केवल शौक के रूप में नहीं, प्रोफेशन के रूप में इस अध्ययन धारा से ग्राम को समझने, मनोविज्ञान को समझने, योजनाओं की रूपरेखा बनाने, उन्हें लागू करने और निगरानी करने की विविध प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक सूझबूझ का कौशल इस अध्ययन धारा से विकसित |

| | |
|--|--|
| | होगा और एक कुशल समाजकार्य कार्यकर्ता में जो खूबियाँ होनी चाहिए, जो कौशल होना चाहिए, उनका विकास होगा। |
|--|--|

समाज कार्य परिचय **(Introduction to Social Work)**

इकाई-1 : समाज कार्य की अवधारणा

- 1.1 समाज कार्य की अवधारणा
- 1.2 अर्थ एवं परिभाषा
- 1.3 उद्देश्य एवं महत्व

इकाई-2 : समाज कार्य एवं अन्य अवधारणायें

- 2.1 समाज कार्य, समाज सेवा, सामाजिक सुधार
- 2.2 समाज कल्याण, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक विकास
- 2.3 सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय, व्यावसायिक समाज कार्य एवं स्वैच्छिक समाज कार्य

इकाई-3 : भारत में समाज कार्य का इतिहास

- 3.1 प्राचीन काल
- 3.2 मध्य काल
- 3.3 आधुनिक काल
- 3.4 समाज कार्य का व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप

इकाई-4 : समाज कार्य का दर्शन एवं मौलिक मूल्य

- 4.1 समाज कार्य का दर्शन
- 4.2 समाज कार्य के मौलिक मूल्य

इकाई-5 : समाज कार्य के सिद्धान्त एवं तकनीकियाँ

- 5.1 समाज कार्य के सिद्धान्त
- 5.2 समाज कार्य की तकनीकियाँ- सम्बन्ध, संबल, सहभागिता, साधन-उपयोग
- 5.3 व्याख्या, स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण, परिस्थिति परिवर्धन, स्थानान्तरण

Reference:

1. **Samaj Karya Prichaya** – Prof. Rajaram Shastri
2. **Samaj Karya** - Kunwar Singh Tilara
3. **Samaj Karya Ka Itihas Evam Darshan**- Prof.Mirza Raffiudin Ahmad
4. **Samaj Karya**- Dr.A.S Inam Shastri.
5. **Samaj Karya**- Shidhant Evam Abhyas- Dr. Kripal Singh Sudan

समाज कार्य एवं अन्य अवधारणायें (Social Work and Other Concepts)

इकाई-1 : समाज कार्य अवधारणा

- 1.1 भारत में समाज कार्य का इतिहास
- 1.2 इंग्लैण्ड में समाज कार्य का इतिहास
- 1.3 अमेरिका में समाज कार्य का इतिहास
- 1.4 भारत में व्यवसायिक समाज कार्य का शैक्षणिक विकास

इकाई-2 : समाज कार्य एवं अन्य अवधारणायें

- 2.1 समाज कार्य का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सम्बन्ध – समाज कार्य एवं समाजशास्त्र
- 2.2 समाज कार्य एवं मनोविज्ञान
- 2.3 समाज कार्य एवं अर्थशास्त्र
- 2.4 समाज कार्य एवं राजनीति शास्त्र
- 2.5 समाज कार्य एवं ग्रामीण विकास

इकाई-3 : भारत में समाज कार्य का इतिहास

- 3.1 समाज कार्य- अवधारणा एवं दर्शन
- 3.2 आचार संहिता
- 3.3 समाज कार्य में मूल्य एवं नैतिक दायित्व
- 3.4 सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार उन्मुखीकरण

इकाई-4 : समाज कार्य का दर्शन एवं मौलिक मूल्य

- 4.1 समाज कार्य के लक्ष्य – सुधारात्मक, उपचारात्मक
- 4.2 समाज कार्य के लक्ष्य – पुनर्वासन, संवर्धनकारी
- 4.3 समाज कार्य के लक्ष्य – विकासात्मक, रूपांतरकारी
- 4.4 समाज कार्य के लक्ष्य – निरोधक

इकाई-5 : समाज कार्य के सिद्धान्त एवं तकनीकियाँ

- 5.1 समाज कार्य की भूमिका
- 5.2 समाज कार्य प्रक्रिया
- 5.3 समाज कार्य में गांधीवादी दृष्टिकोण

समाज कार्य की पद्धतियाँ (Methods of Social Work)

इकाई-1 : वैयक्तिक समाज कार्य

- 1.1 वैयक्तिक समाज कार्य अवधारणा एवं परिभाषाएं
- 1.2 वैयक्तिक समाज कार्य के विभिन्न सिद्धांत
- 1.3 वैयक्तिक समाज कार्य की तकनीकियां एवं दक्षता
- 1.4 वैयक्तिक समाज कार्य के अवयव- सेवार्थी, समस्या, संस्था एवं प्रक्रिया

इकाई-2 : सामूहिक समाज कार्य

- 2.1 सामूहिक समाज कार्य अवधारणा एवं परिभाषाएं
- 2.2 सामूहिक समाज कार्य के विभिन्न सिद्धांत
- 2.3 सामूहिक समाज कार्य की तकनीकियां

इकाई-3 : सामुदायिक संगठन

- 3.1 सामुदायिक संगठन की अवधारणा एवं परिभाषाएं
- 3.2 सामुदायिक संगठन के विभिन्न सिद्धांत
- 3.3 सामुदायिक संगठन की तकनीकियां

इकाई-4 : समाज कल्याण प्रशासन

- 4.1 समाज कल्याण प्रशासन की अवधारणा एवं परिभाषाएं
- 4.2 समाज कल्याण प्रशासन के घटक (POSDCORB)

इकाई-5 : सामाजिक क्रिया

- 5.1 सामाजिक क्रिया (सामाजिक आंदोलन) : अवधारणा एवं परिभाषाएं
- 5.2 सामाजिक क्रिया की तकनीकियां
- 5.3 सामाजिक क्रिया की आवश्यकता एवं महत्व

इकाई-6 : सामाजिक शोध

- 6.1 सामाजिक शोध की अवधारणा एवं परिभाषाएं
- 6.2 उद्देश्य, प्रकार, चरण

6.3 तथ्यों के प्रकार एवं तथ्य संकलन के स्रोत

भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक समाज कार्य (Professional Social Work in Indian Context)

इकाई-1 : भारत में व्यावसायिक समाज कार्य

- 1.1 वैचारिक परिप्रेक्ष्य— सिद्धान्त, दान, परोपकार, मानवतावाद, तर्कवाद, आमूल परिवर्तनकारी, सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार उन्मुखीकरण
- 1.2 समाज कार्य के उपागम— एकीकृत, अन्तःक्रियावाद, समस्या समाधान उपागम, मनोसामाजिक, व्यवहारवादी, संकटकालीन हस्तक्षेप एवं सर्वोदय

इकाई-2 : समाज कार्य की आचार संहिता

- 2.1 अवधारणा एवं दर्शन, आचार संहिता, समाज कार्य में नैतिक दायित्व
- 2.2 नीतिपरक निर्णय प्रक्रिया, सूक्ष्म एवं वृहद समाज कार्य अभ्यास, समाज कार्य के मूल्य

इकाई-3 : समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में

- 3.1 समाज कार्य व्यवसाय का उद्भव, अर्थ, व्यवसाय की विशेषताएँ, व्यावसायीकरण की आवश्यकता, व्यावसायीकरण में निहित खतरे, समाज कार्य का व्यावसायिक स्तर
- 3.2 समाज कार्य के लक्ष्य— सुधारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वसन, संवर्धनकारी, विकासात्मक, रूपान्तरकारी, निरोधक, मूल्य
- 3.3 समाज कार्य के प्रकार्य, प्रक्रिया एवं भूमिका

इकाई-4 : सामाजिक परिवर्तन की समसामयिक विचारधाराएँ

- 4.1 नवउदारवाद, भूमण्डलीकरण, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद,
- 4.2 नागरिक समाज का पुनरोत्थान, बहुसंस्कृतिवाद, सतत् विकास एवं जनकेन्द्रित विकास
- 4.3 कार्यकारी समूह एवं सामाजिक आन्दोलन की विचारधारा

इकाई-5 : गाँधी जी की विचारधारा एवं नानाजी की विचारधारा के दार्शनिक आयाम

- 5.1 गाँधी जी एक विचारक के रूप में, वैश्विक दृष्टि, मानव की अवधारणा, प्रकृति, ईश्वर एवं उनका सम्बन्ध, गाँधी जी की आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक विचारधारा

- 5.2 नानाजी की ग्रामीण पुनर्रचना की अवधारणा (पीड़ित एवं उपेक्षित वर्गों के विशेष संदर्भ में), पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन
- 5.3 समाज कार्य का अन्य क्षेत्रों के साथ समन्वय एवं एकीकरण— संवेदनशील समूह का सीमान्तीकरण, व्यावसायिक समाज कार्य का परिसीमन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन प्रणाली, वंचित, सीमान्त एवं दिव्यांग वर्ग, समस्याग्रस्त व्यक्ति एवं समूह

सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य एवं परामर्श (Social Case Work and Counselling)

इकाई—1 : दर्शन, प्रणालियां एवं तकनीकियां

- 1.1 वैयक्तिक समाज कार्य पद्धति, पद्धतियों का उद्विकास, एक पद्धति के रूप में वैयक्तिक कार्य का महत्व, वैयक्तिक कार्य मूल्य का दार्शनिक महत्व, वैयक्तिक कार्य का दार्शनिक अनुमान एवं वैयक्तिक कार्य मूल्य,
- 1.2 वैयक्तिक कार्य प्रक्रिया— अध्ययन, आंकलन, हस्तक्षेप, निदान, उपचार, समापन, मूल्यांकन, वैयक्तिक सेवा कार्य के तत्व— व्यक्ति, स्थान, समस्या, प्रक्रिया
- 1.3 वैयक्तिक सेवा कार्य में सहायता की तकनीकियां— साक्षात्कार, सहायक तकनीकियां, अर्न्तदृष्टि विकास, तादात्म्यकरण, पर्यावरण संशोधन, गृह भ्रमण, अवलोकन, सम्बन्ध निर्माण, सहवर्ती सम्पर्क एवं सन्दर्भित सम्पर्क, सहयोगी, संसाधन वृद्धि, अभिलेखन
- 1.4 समस्या समाधान तकनीकियां, संचार— मौखिक एवं अमौखिक, चिन्तनशील, तार्किक विमर्श, विरोध, कार्यक्रम संचार का प्रयोग, शैक्षणिक तकनीकी—सुनना, व्यावसायिक संबंध, व्यावसायिक सम्बन्ध, जागरूकता के साथ स्व का प्रयोग

इकाई—2 : वैयक्तिक समाज कार्य की उपचारात्मक विधियां एवं सिद्धान्त

- 2.1 वैयक्तिक समाज कार्य अवधारणा एवं सिद्धान्त
- 2.2 वैयक्तिक कार्य में निदान, अन्य सैद्धान्तिक पद्धतियों के साथ सम्बन्ध, चिकित्सकीय हस्तक्षेप अथवा मनोचिकित्सा, मनोविश्लेषणात्मक, मनोगत्यात्मक उपचार, व्यवहार आत्मशोधन व्यवहार, उपचार, संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार, मानवीय अनुभावात्मक, समूह चिकित्सा, परिवार चिकित्सा, वैवाहिक उपचार, इनकाउण्टर समूह चिकित्सा, जैविक चिकित्सा
- 2.3 अभिलेख प्रक्रिया— व्यक्ति कार्य के उपकरण के रूप में अभिलेखों का प्रयोग, ब्लाक सारांश, सारांश अभिलेखन, लाभ एवं प्रयोग, अभिलेखों का रखरखाव, अभिलेखों का डिजिटल स्वरूप, व्यावसायिक विकास हेतु अध्यायों का प्रयोग, शिक्षण कक्ष विमर्श, तथा विभिन्न संचार माध्यमों में प्रसारित सफल कहानियां

इकाई—3 : सहायता हेतु समाज कार्य सिद्धान्त एवं व्यवस्था

- 3.1 वैयक्तिक सेवा कार्य में निदान— उपचारात्मक सिद्धान्त, निदानात्मक सिद्धान्त, व्यवहार संशोधन सिद्धान्त, अस्तित्ववादी सिद्धान्त, परिवार एवं विवेकीकरण,
- 3.2 सेवार्थी तंत्र को समझना, सिद्धान्त एवं उपागम, परिवर्तन अभिकर्ता पद्धति, सेवार्थी— कार्यकर्ता सम्बन्ध, प्रतिरक्षा प्रणाली, आवश्यकता, प्रकृति एवं प्रकार
- 3.3 अर्न्तविषयक कार्य— उपचार के मॉडल— दीर्घकालिक, अल्पकालिक, लक्ष्यकेन्द्रित, संकटकालीन हस्तक्षेप, उदारवादी उपागम, परिवार चिकित्सा

इकाई—4 : असामान्य मनोविज्ञान

- 4.1 मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, मानसिक स्वास्थ्य के अवयव, महत्व, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के मॉडल— चिकित्सकीय मॉडल, सामुदायिक मॉडल, सामाजिक क्रिया मॉडल
- 4.2 असामान्य व्यवहार— असामान्य व्यवहार के कारण, तनाव, चिन्ता, व्यक्तित्व विकार, समायोजन एवं असमायोजन, मनोदशा विकृति एवं आत्महत्या, सीजोफ्रीनिया (मनोविदलता), उन्माद विकृति, मानसिक मंदता, यौनिक एवं लैंगिक पहचान विकार, संज्ञानात्मक विकार

इकाई—5 : परामर्श के सिद्धान्त एवं तकनीकियां

- 5.1 वैयक्तिक कार्य अभ्यास में सहायता के उपकरण के रूप में परामर्श : अर्थ, प्रकार, पद्धतियां, तकनीकियां एवं सिद्धान्त

- 5.2 व्यक्ति के साथ कार्य करने की पारम्परिक भारतीय पद्धति— परिवार, पुरोहित, कुलगुरु। रामायण, महाभारत, गीता, योग वशिष्ट, बुद्ध, महावीर, एवं पुनर्जागरणकाल के संतो और गांधी जी के उद्धारण
- 5.3 अन्य संस्थाओं से समन्वय एवं एकीकरण : व्यक्ति एवं परिवार के साथ वैयक्तिक सेवा कार्य— संस्थागत एवं गैरसंस्थागत सेवाएँ— परिवार, बाल परामर्श केन्द्र, भासकीय एवं निजी चिकित्सालय, वृद्धाश्रम, ग्रामीण वृद्ध, गृहिणियों, अल्प आवास गृह, महिला निरीक्षण गृह, बाल सुधार गृह, बंदी सुधारगृह, केन्द्रीय जेल, विद्यालय एवं महाविद्यालय, नर्सरी विद्यालय, बालिका विद्यालय, महाविद्यालय, युवा एवं किशोरियां, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के युवा, विद्यालय शिक्षक, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक, दिव्यांग युवा एवं वृद्ध, दिव्यांगों हेतु संस्थायें, ग्रामीण युवा, बेरोजगार युवा, ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक एवं श्रमिक, ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय जनता, प्रशासन द्वारा चिन्हित अपराधी एवं नक्सलवादी, आर्थिक संगठन एवं उनके नेतृत्वकर्ता, सामाजिक सुधार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक दल, राजनेता, आध्यात्मिक नेता, नागरिक समाज नेतृत्वकर्ता, विवाहपूर्व एवं विवाह पश्चात् वैयक्तिक सेवा कार्य, आध्यात्मिक वैयक्तिक सेवा कार्य एवं परामर्श— मठ, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि, विभिन्न संगठनों के कर्मचारी एवं मालिक एवं अन्य आध्यात्मिक स्थल

सामाजिक मनोविज्ञान (Social Psychology)

इकाई-1 : सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय

- 1.1 परिभाषा, सामाजिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 1.2 सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र
- 1.3 सामाजिक मनोविज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, विधि विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र

इकाई-2 : सामाजीकरण एवं प्रेरणा

- 2.1 समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा, समाजीकरण के अभिकरण, समाजीकरण के सिद्धांत-कूले, मीड एवं दुर्खीम
- 2.2 प्रेरणा-अर्थ एवं परिभाषा ,विशेषताएं, प्रेरणाओं के प्रकार
- 2.3 प्रेरणा के सिद्धांत-फ्रायड, मैस्लो, टालमैन, मानव व्यक्तित्व के विकास में प्रेरणा की भूमिका

इकाई-3 : मनोवृत्ति एवं नेतृत्व

- 3.1 मनोवृत्ति- अर्थ एवं परिभाषा , विशेषताएं ,मनोवृत्ति से सम्बद्ध प्रत्यय – विश्वास, प्रेरणा, मूल्य, निर्णय
- 3.2 मनोवृत्ति का निर्माण एवं विकास, मनोवृत्तियों में परिवर्तन
- 3.3 नेतृत्व- नेतृत्व का अर्थ, विशेषताएं, नेतृत्व के सामान्य गुण, नेता के प्रकार

इकाई-4 : सामाजिक समूह, प्रचार एवं जनमत

- 4.1 सामाजिक समूह-अर्थ , परिभाषा, विशेषताएं, समूह निर्माण, सामाजिक समूहों के प्रकार
- 4.2 प्रचार – प्रचार का अर्थ, परिभाषा, प्रचार के प्रकार, प्रचार का मनोविज्ञान, प्रचार के साधन, प्रचार का महत्व
- 4.3 जनमत – अर्थ, विशेषताएं, जनमत निर्माण के साधन, जनमत निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, जनमत का सामाजिक महत्व, लोकतंत्र में जनमत की भूमिका

इकाई-5 : जनप्रवाद या अफवाह, भीड़ एवं श्रोता समूह

- 5.1 अफवाह-अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, अफवाह फैलाने वाली परिस्थितियां, अफवाह फैलाने वाले साधन, अफवाह को रोकने के सामाजिक एवं कानूनी उपाय

- 5.2 भीड़ एवं श्रोता समूह—भीड़ का अर्थ एवं विशेषताएं, भीड़ के प्रकार, भीड़ व्यवहार के सिद्धांत; श्रोता समूह – अर्थ, विशेषताएं, प्रकार तथा भीड़ से अंतर
- 5.3 समाज कार्य अभ्यास में सामाजिक मनोविज्ञान का उपयोग

सामाजिक सामूहिक कार्य (समूह एवं संस्थाएं) **Social Group Work Practice (Groups & Institutions)**

इकाई-1 : परिचय, मूल्य एवं सिद्धान्त

- 1.1 सामाजिक समूह कार्य का परिचय एवं इतिहास— समूह की समझ, विशेषताएं एवं महत्व, सामाजिक समूह कार्य की परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य
- 1.2 समूह कार्य के मूल्य एवं सिद्धान्त, समूह कार्य की समस्या समाधान के प्रभावी कार्य हेतु समूह कार्य के कौशल एवं तकनीक का ज्ञान
- 1.3 भारत तथा पश्चिमी देशों में सामाजिक समूह कार्य का ऐतिहासिक उद्विकास, एक प्रणाली के रूप में समूह कार्य (भारत के विशेष संदर्भ में)

इकाई-2 : समूह गत्यात्मकता

- 2.1 समूह गत्यात्मकता : परिभाषा, समूह के नियम, व्यक्ति समूह की सदस्यता क्यों ग्रहण करता है? समूह में कार्य, कार्य (लक्ष्य) के प्रकार एवं कार्य निष्पादन
- 2.2 समूह की विशेषतायें, कार्य एवं उत्पाद
- 2.3 समूह विकास के स्तर, विभिन्न प्रकार की सामूहिक गतिविधियों के बीच समायोजन की प्रक्रिया के रूप में मनुष्य का जीवन, समूह में संचार
- 2.4 समूह निर्णय लेना तथा व्यक्ति पर समूह निर्णय का प्रभाव

इकाई-3 : समूह संरचना एवं समूह नेतृत्व

- 3.1 समूह संरचना : उद्देश्यों का निर्माण एवं कार्यक्रम नियोजन, आंकलन, क्रियान्वयन का चरण, समापन का चरण, मूल्यांकन
- 3.2 समूह में नेतृत्व : इसकी प्रकृति एवं समूह पर प्रभाव, नेतृत्व की प्रभावशीलता, रूपान्तरकारी नेतृत्व एवं समाज कार्य में व्यावसायिक नेतृत्व
- 3.3 समूह के प्रकार : प्रकार एवं प्रयोजन तथा उद्देश्य पर आधारित अभिगम, समूह सदस्यता के प्रकार, समयवधि, समूह प्रक्रिया का विश्लेषण

इकाई-4 : निदान एवं कार्यक्रम नियोजन

- 4.1 समूह कार्य में कार्यक्रम नियोजन : अर्थ, महत्व, नियोजन एवं विकास प्रक्रिया,
- 4.2 समूह में निदान एवं उपचार, समूह में निदान की कार्य प्रक्रिया, समूह निदान की प्रक्रिया, समूह निदान की तकनीकियां, प्रकार एवं उद्देश्य एवं उपचार की तकनीकियां
- 4.3 विभिन्न संस्थाओं (संस्थागत एवं गैर संस्थागत) में समूह कार्य का विस्तार। विभिन्न संस्थाएं, जिनमें समूह कार्य का अभ्यास किया जाता है।

इकाई-5 : पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन

- 5.1 समूह कार्य में अभिलेख लेखन— उद्देश्य, प्रकार, सिद्धान्त एवं महत्व

- 5.2 समूह कार्य में मूल्यांकन— मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन की विधियां, समूह कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका
- 5.3 समूह कार्य में पर्यवेक्षण— भूमिका, प्रकार, कौशल, पर्यवेक्षणीय सम्मेलन, व्यक्तिगत एवं समूह सम्मेलन

समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र (Fields of Social Work Practice)

इकाई-1 : विभिन्न समुदायों के साथ समाज कार्य

- 1.1 ग्रामीण कल्याण
- 1.2 नगरीय कल्याण
- 1.3 जनजातीय कल्याण

इकाई-2 : चिकित्सा सम्बन्धी क्षेत्रों में

- 2.1 युवा एवं वृद्धों के साथ समाज कार्य
- 2.2 परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य एवं नैदानिक परामर्श, चिकित्सकीय परामर्श, महिला एवं बाल परामर्शदाता, बाल निर्देशन केंद्र, परिवार परामर्श केंद्र
- 2.3 जनस्वास्थ्य, महामारी एवं आपदा प्रबंधन में सामाजिक कार्य

इकाई-3 : परिवार कल्याण

- 3.1 परिवार कल्याण, दिव्यांग, मानसिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार के क्षेत्र में समाज कार्य
- 3.2 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शरणार्थियों के साथ सहायता कार्य, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में समाज कार्य, मलिन बस्ती वालों के साथ समाजकार्य
- 3.3 वंचित वर्गों के साथ सामाजिक पैरवी

इकाई-4 : नेतृत्व के साथ समाजकार्य

- 4.1 सामाजिक नेतृत्व के साथ समाज कार्य
- 4.2 राजनैतिक नेतृत्व के साथ समाज कार्य
- 4.3 धार्मिक/आध्यात्मिक नेतृत्व के साथ समाज कार्य

इकाई-5 : अन्य क्षेत्र

- 5.1 विद्यालयागत समाज कार्य, बाल सुधार गृह, महिला संरक्षण केन्द्र के साथ समाज कार्य,
- 5.2 आंगनवाडी केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, किशोर एवं किशोरियों के साथ समाज कार्य
- 5.3 कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ समाज कार्य एवं अन्य क्षेत्रों में समाज कार्य

सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक क्रिया **Community Organisation and Social Action**

इकाई-1 : अवधारणा, सिद्धान्त एवं तकनीकी

- 1.1 सामुदायिक संगठन की अवधारणा, सामुदायिक संगठन अभ्यास का ऐतिहासिक विकास
- 1.2 सामुदायिक संगठन, अवधारणा, परिभाषा, प्रक्रिया, चरण, मूल्य एवं सिद्धान्त, तकनीकियां, सामुदायिक संगठन एक हस्तक्षेप की पद्धति एवं उसका क्षेत्र
- 1.3 सामुदायिक संगठन में मानव अधिकार की समझ

इकाई-2 : सामुदायिक सशक्तिकरण, शक्ति संरचना एवं प्रारूप

- 2.1 सामुदायिक शक्ति संरचना, भाक्ति की अवधारणा, भाक्ति के आयाम, सामुदायिक संगठन की प्रासंगिकता, भाक्ति के आधार एवं निर्णय प्रक्रिया, भाक्ति संरचना एवं शोषण, भाक्ति संरचना की भोशण प्रक्रिया का सामना करने के लिए रणनीति, उपागम, राथमैन उपागम का अवलोकन, राथमैन उपागम की आलोचना
- 2.2 सामुदायिक सशक्तिकरण उपागम— सशक्तिकरण की अवधारणा, सिद्धान्त, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण के अवरोधक, सशक्तिकरण चक्र, समस्या समाधान एवं सामान्यीकरण उपागम, लैंगिक संवेदनशील सामुदायिक संगठन विषमता के केन्द्र में लैंगिक, जाति, वर्ग, के मुद्दे, सशक्तिकरण के नारीवादी सिद्धान्त
- 2.3 आधुनिक उपागम— क्षेत्रीय विकास उपागम, सामाजिक नियोजन एवं सामाजिक क्रिया (सामाजिक आन्दोलन) स्वदेशी उपागम— गौधीवादी, सर्वोदय।
उपरोक्त सभी उपागमों में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका— जनहित याचिका, विरोध एवं प्रदर्शन, सत्ताधारियों के साथ बर्ताव एवं व्यवहार, जनसम्पर्क, नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
- 2.4 सॉल एलेन्सकी प्रारूप, महिला केन्द्रित प्रारूप

इकाई-3 : सामाजिक पैरवी एवं सामुदायिक नेतृत्व

- 3.1 सामाजिक पैरवी एवं लामबंदी
- 3.2 संगठनात्मक रणनीति: सामुदायिक बैठक, क्षेत्र एवं मुद्दे आधारित समितियाँ एवं संगठन एवं सोच कार्यकारी समूह
- 3.3 सामुदायिक नेतृत्व— आवयकता प्रकार सामुदायिक नेतृत्व को गतिशील बनाना, सामाजिक आंदोलन की रणनीति एवं भूमिका, सामाजिक आंदोलन के प्रकार एवं स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका
- 3.4 सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज अवधारणा, ऐतिहासिक परिदृश्य ग्रामीण एवं नगरीय विकास कार्यक्रम।

इकाई-4 : सामुदायिक संगठन में सामाजिक मुद्दे

- 4.1 निर्देशित एवं अनिर्देशित उपागम, समूह के साथ कार्य, नेतृत्व के कार्य संस्थागत एवं गैर संस्थागत संस्थाओं के साथ कार्य, समाज कार्य की अन्य पद्धतियों के साथ कार्य
- 4.2 सामुदायिक कार्य में संचार, संचार की प्रक्रिया, सामुदायिक कार्य में प्रभावशाली संचार सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका, सामुदायिक संगठन अभ्यास कार्यकर्ता की निपुणतायें, समस्या विश्लेषण, संसाधन संग्रहण, संघर्षों का समाधान, बैठकों का संचालन, दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन लेखन, नेटवर्किंग प्रशिक्षण, सामाजिक अंकेक्षण
- 4.3 सामुदायिक संगठन में सामाजिक क्रिया (सामाजिक आंदोलन) अवधारणा, उद्देश्य, एवं तकनीकियाँ, सिद्धान्त, सामुदायिक संगठन में संघर्ष प्रबन्धन
- 4.4 अभिलेखन

इकाई-5 : एकीकृत समाजकार्य अभ्यास

- 5.1 एकीकृत समाजकार्य अभ्यास— अवधारणा, प्रकार, तत्व, एवं सामाजिक व्यवस्था की विशेषतायें

- 5.2 प्रणाली उपागम, पर्यावरणीय उपागम, सेवार्थी उपागम, परिवर्तनकारी प्रतिनिधि (चेंज एजेंट उपागम) एवं कार्य
- 5.3 व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में
- 5.4 अन्य संस्थानों के साथ एकीकरण एवं समन्वय

सामाजिक शोध : परिचय एवं पद्धतियां **(Social Research : Introduction and Methods)**

इकाई-1 : सामाजिक शोध का अर्थ

- 1.1 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक शोध का अर्थ एवं उद्देश्य, शोध के क्षेत्र, शोध की सीमाएं
- 1.2 वैज्ञानिक पद्धति – अर्थ, चरण, उपयोगिता, सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण
- 1.3 शोध के प्रकार – मौलिक शोध, वर्णनात्मक शोध, क्रियात्मक शोध

इकाई-2 : शोध प्रारूप

- 2.1 शोध प्रारूप– आवश्यकतायें, प्रकार एवं महत्व, शोध प्रारूप के चरण
- 2.2 समस्या का चयन एवं परिसीमन, उद्देश्य, कार्यकारी परिभाषा, उपकल्पना, तथ्य संकलन, प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोत
- 2.3 सामाजिक शोध में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका एवं दायित्व

इकाई-3 : तथ्य संकलन की पद्धतियाँ

- 3.1 निदर्शन – अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, निदर्शन की पद्धतियाँ, दैव निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन
- 3.2 तथ्य संकलन की पद्धतियाँ – अवलोकन, साक्षात्कार, केस स्टडी, परीक्षण एवं प्रयोग, पीआरए पद्धतियाँ, तथ्य संकलन से सम्बंधित एप्स का प्रयोग (गूगल फॉर्म) एवं अन्य एप्स का प्रयोग
- 3.3 तथ्य संकलन के उपकरण– प्रश्नावली एवं अनुसूची, प्रक्षेपण विधि, तथ्य संकलन के द्वितीयक श्रोतों का उपयोग, तथ्यों का विश्लेषण, कोडिंग, सारणीयन एवं प्रतिवेदन लेखन

इकाई-4 : सामाजिक शोध में कम्प्यूटर का प्रयोग

- 4.1 सामाजिक शोध में कम्प्यूटर का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के एप्स का प्रयोग
- 4.2 तथ्यों को एक्सेल शीट में संग्रह करना एवं आंकड़ों को तालिका प्रारूप में प्रस्तुतीकरण करना

इकाई-5 : शोध में सांख्यिकी का प्रयोग

- 5.1 सांख्यिकी का अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं क्षेत्र, सांख्यिकी पद्धतियाँ, तथ्यों का वर्गीकरण
- 5.2 केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप, समानांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलांक

सामाजिक शोध, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग **(Social Research, Statistics and Computer Application)**

इकाई-1 : अवधारणा एवं प्रकार

- 1.1 सामाजिक विज्ञानों में शोध कार्य का अर्थ एवं उद्देश्य समाज कार्य एवं सामाजिक विज्ञानों में शोध का क्षेत्र एवं सीमायें
- 1.2 वैज्ञानिक विधि— अर्थ, चरण, क्रियान्वयन, सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक शोध
- 1.3 शोध के प्रकार— मौलिक, व्यवहारिक, आधारभूत, क्रियात्मक, मूल्यांकनात्मक, परिचयात्मक, सहभागी

इकाई-2 : शोध प्रारूप

- 2.1 शोध प्रारूप — आवश्यकता, प्रकार एवं महत्व, भोध प्रारूप के चरण एवं तत्व— गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, निदानात्मक, प्रयोगात्मक
- 2.2 समस्या का चयन एवं परिसीमन— उद्देश्य, परिभाषा, उपकल्पना, तथ्य संकलन के स्रोत— प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत
- 2.3 सामाजिक शोधकर्ता की भूमिका एवं दायित्व

इकाई-3 : पद्धतियां एवं उपकरण

- 3.1 तथ्य संकलन की विधियां— अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, वैयक्तिक अध्ययन, पी.आर.ए. पद्धतियां
- 3.2 शोध के उपकरणों की प्रमाणिकता, एवं विश्वसनीयता, तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों का उपयोग, तथ्य विश्लेषण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं प्रत्यावेदन लेखन
- 3.3 शोध परियोजना, नियोजन, समय सारिणी का निर्धारण, बजट निर्माण, कार्यकर्ताओं का चयन एवं प्रशिक्षण

इकाई-4 : सांख्यिकी का महत्व

- 4.1 सांख्यिकी की प्रकृति एवं महत्व, सांख्यिकीय का क्षेत्र, सांख्यिकीय विधियां, तथ्यों का वर्गीकरण, चर—आश्रित, स्वतंत्र
- 4.2 कोडिंग एवं सारणीयन, डाटा का प्रस्तुतिकरण, रेखाचित्र एवं ग्राफ, केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप— समान्तर माध्य, माध्यिका, बहुलक

इकाई-5 : शोध में कम्प्यूटर का प्रयोग

- 5.1 मानक विचलन, सह सम्बन्ध
- 5.2 निदर्शन — आवश्यकता एवं अर्थ, निदर्शनका प्रतिनिधित्व एवं तकनीकियां, दैव निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन एवं कोटा निदर्शन
- 5.3 सामाजिक शोध में कम्प्यूटर अनुप्रयोग

मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management)

इकाई-1 : परिचय

- 1.1 मानव संसाधन प्रबंधन : अर्थ, परिभाषा एवं महत्व
- 1.2 भारत में मानव संसाधन प्रबंधन का विकास
- 1.3 मानव संसाधन प्रबंधन विभिन्न प्रारूप
- 1.4 मानव संसाधन प्रबंधन के प्रकार्य
- 1.5 मानव संसाधन प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास के मध्य अन्तर्सम्बन्ध

इकाई-2 : मानव संसाधन नियोजन

- 2.1 अवधारणा, उद्देश्य, परिभाषा एवं विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन नियोजन
- 2.2 भर्ती एवं चयन, कार्य पर नियुक्ति
- 2.3 आगमन, प्रशिक्षण, पदोन्नति व पदावनति एवं स्थानांतरण
- 2.4 निष्पादन, मूल्यांकन
- 2.5 अधिशाषी विकास, कर्मचारी मंत्रणा, क्षतिपूर्ति

इकाई-3 : औद्योगिक मनोविज्ञान

- 3.1 अभिप्रेरणा, पुरस्कार, कार्य मूल्यांकन
- 3.2 योग्यता अंकन
- 3.3 प्रशिक्षण एवं विकास
- 3.4 वैज्ञानिक चयन की आवश्यकता
- 3.5 अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत

इकाई-4 : मानवीय एवं संगठनात्मक संघर्ष

- 4.1 अवधारणा एवं परिभाषा
- 4.2 संघर्षों के कारण, प्रकार एवं प्रक्रिया
- 4.3 संघर्षों का सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष
- 4.4 संगठनात्मक संघर्ष के प्रतिरूप एवं समाधान की विभिन्न तकनीकियां
- 4.5 संघर्षों के समाधान में समाज कार्यकर्ता एवं विधियों की उपादेयता

इकाई-5 : मानवीय संबंध एवं सामूहिक समझौता

- 5.1 मानवीय संबंध : विचारधारा, उद्गम एवं विकास
- 5.2 मानवीय संबंध : अर्थ, परिभाषा, महत्व, दर्शन, मान्यतायें एवं सिद्धांत
- 5.3 मानवीय संबंधों में सुधार के उपाय
- 5.4 उद्योगों में मानव अधिकारों की आवश्यकता

5.5 सामूहिक समझौता : उद्देश्य, क्षेत्र एवं प्रक्रिया

औद्योगिक संगठनों में समाज कार्य (Social Work in Industries)

इकाई-1 : औद्योगिक समाज कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा

- 1.1 औद्योगिक समाज कार्य : अवधारणा, उद्देश्य एवं सिद्धांत
- 1.2 आधुनिक श्रम एवं सामाजिक विधान : अवधारणा एवं सिद्धांत
- 1.3 भारत में आधुनिक श्रम विधानों का इतिहास
- 1.4 भारत में सामाजिक सुरक्षा, अर्थ एवं पद्धतियां
- 1.5 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

इकाई-2 : भारत में औद्योगिक विकास एवं श्रम कल्याण

- 2.1 भारत में औद्योगिक विकास : अवधारणा, आवश्यकता एवं सिद्धांत
- 2.2 भारत में श्रम कल्याण : अवधारणा, कार्यक्रम एवं नीतियां
- 2.3 भारतीय श्रमिकों की समस्याएँ, प्रवजन, अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता, नशा, ऋण-ग्रस्तता
- 2.4 औद्योगिक विवाद, शिकायत, तालाबन्दी
- 2.5 हड़ताल : परिभाषा, अवधारणा एवं कारण

इकाई-3 : श्रम कल्याण अधिकारी

- 3.1 श्रम कल्याण अधिकारी : कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व
- 3.2 श्रम कल्याण अधिकारी : भूमिका एवं कार्य
- 3.3 श्रमिक कल्याण में समाज कार्य पद्धतियों का प्रयोग
- 3.4 श्रमिक परामर्श की आवश्यकता
- 3.5 श्रम कल्याण अधिकारी के लिए सम्भावित चुनौतियां

इकाई-4 : श्रम संघ

- 4.1 श्रम संघ : परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य एवं कार्य
- 4.2 श्रम संघों के कार्य करने के तरीके एवं उनका वर्गीकरण
- 4.3 भारतीय श्रम संघ आंदोलन का इतिहास
- 4.4 भारत में श्रम संघों की चुनौतियां एवं समाधान के उपाय
- 4.5 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

इकाई-5 : श्रम कल्याण विधान

- 5.1 भारत में श्रम विधानों का ऐतिहासिक विकास, श्रमिक विधानों का वर्गीकरण
- 5.2 स्वतंत्रता के पूर्व श्रम विधान : श्रम संघ अधिनियम 1926, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936
- 5.3 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
- 5.4 स्वतंत्रता के पश्चात् श्रम विधान : कारखाना अधिनियम 1948, प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961

5.5 बोनस अधिनियम 1965, ग्रेच्युटी अधिनियम 1965

2. अनिवार्य विषय/प्रश्नपत्र : विकास, नेतृत्व और संचार

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|----------------------------------|---------|
| 1 | विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन | 6 (6+0) |
| 2 | सामुदायिक नेतृत्व | 6 (6+0) |
| 3 | विकास के लिए संचार | 6 (3+3) |
| 4 | सतत विकास के आयाम | 6 (3+3) |
| 5 | जीवन कौशल शिक्षा | 6 (3+3) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|--|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> समुदाय के साथ कार्य करने के लिये कुछ विशेष योग्यतायें आवश्यक होती हैं। ये योग्यताएँ न सिर्फ कार्य को आसान बनाती हैं, बल्कि उसे प्रभावी और दीर्घजीवी भी बनाती हैं। विकास कार्यकर्ता के लिये समुदाय से जुड़ने हेतु तीन जादुई मंत्र हैं— विकास की अच्छी समझ, समुदाय का नेतृत्व करने की क्षमता और अपनी बातों को सहमत करने के लिये प्रभावी संप्रेषण कौशल। समाजकार्य को मूल विषय मानकर सहमूल विषय के रूप में विकास के विविध आयामों की समझ, नेतृत्व के गुण विकसित करने के सूत्र, समुदाय को साथ लेकर चलने का कौशल और अच्छे संप्रेषक के गुण विकसित करने के लिये गौण विषयों की अध्ययन धारा विकास, नेतृत्व और संचार की त्रिवेणी के रूप में है। विकास की समझ से अपने परिवेश को विकसित करने का हुनर आता है। नेतृत्व सामुदायिक, सामूहिकता को बढ़ाता है और संचार अपनी बातों से लोगों को सहमत करने के काम आता है। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> 1-17 तक सभी लक्ष्यों की सम्बद्धता इस अध्ययन धारा से है। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> शासकीय विभागों से सम्बद्धता के लिये विकास, नेतृत्व और संचार की सम्बद्धता के लिये आवश्यकता होती है। सभी विभागों की योजनायें निचले स्तर पर लागू करने के लिये इन तीनों प्रकार के गुणों का होना योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का आधार बन जाता है। |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> विकास नेतृत्व और संचार विषयक योग्यताओं का सभी शासकीय योजनाओं को निचले स्तर पर पहुँचाने में योगदान होता है। सभी शासकीय योजनाओं में सूचना-शिक्षा-संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों का प्रावधान होता है। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> विकास विषयक ज्ञान से क्षेत्र की आवश्यकता, उपलब्ध संसाधन और उनके युक्ति युक्त उपयोग की क्षमता विकसित होती है। विकास के लिये संसाधनों के आधार पर योजना निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिये |

| |
|--|
| आवश्यक कौशल आता है। नेतृत्व क्षमता से लोगों को विकास में सहभागी बनाने का गुण और संचार से व्यवहार परिवर्तन करने का हुनर विकसित होता है। |
|--|

विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन (Concept of Development and Implementation)

इकाई-1 : विकास : एक संवाद

- 1.1 अवधारणा
- 1.2 विकास की प्रक्रिया का सांकेतिक प्रादर्श
- 1.3 सूचकांक
- 1.4 चुनौतियाँ

इकाई-2 : विकास का आकलन

- 2.1 सतत् विकास की अवधारणा का उद्भव
- 2.2 विकास के पैमाने
- 2.3 सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness)
- 2.4 वैश्विक स्तर पर मापन
- 2.5 विकास के अवरोध

इकाई-3 : विकास की चुनौतियां : सामाजिक मुद्दे

- 3.1 लिंग-विभेद
- 3.2 महिला के प्रति हिंसा
- 3.3 बाल-विकास की समस्या
- 3.4 मद्य सेवन, भ्रष्टाचार
- 3.5 आतंक एवं नक्सलवाद
- 3.6 प्राकृतिक आपदा
- 3.7 वंचित वर्गों की समस्या
- 3.8 पर्यावरणीय समस्या

इकाई-4 : विकास : सामाजिक अधोसंरचना

- 4.1 पड़ोसी समूह
- 4.2 महिला समूह
- 4.3 शिल्पी समूह
- 4.4 विकास के प्रेरक

इकाई-5 : मध्यप्रदेश : विकास की सम्भावनायें एवं चुनौतियाँ

- 5.1 प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति
- 5.2 शासकीय एवं अशासकीय प्रयास
- 5.3 सफलता के बढ़ते कदम
- 5.4 पठार पर विकास का परवान : झाबुआ
- 5.5 विकास का सामाजिक सफर : शहडोल
- 5.6 उन्मुक्त किसान : डी.पी.आई.पी. की सफलता
- 5.7 प्रदेश के विकास की दिशायें

नेतृत्व विकास (Leadership Development)

इकाई-1 : विषय प्रवेश

- 1.1 विकास के लिए नेतृत्व – मध्यप्रदेश के प्रेरक उदाहरण
- 1.2 स्थानीय संघर्षों से बनता है विश्वस्तरीय अभियान : सत्यार्थी का उदाहरण
- 1.3 अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में नेतृत्व के उदाहरण

इकाई-2 : नेतृत्व : विशेषताएँ एवं कौशल

- 2.1 विकास के लिए नेतृत्व : एक संवाद
- 2.2 स्व-प्रेरित सामाजिक नेतृत्व
- 2.3 नेतृत्व की विशेषताएँ
- 2.4 विकास के संदर्भ में नेता के प्रमुख दायित्व
- 2.5 नेतृत्व की शैलियाँ

इकाई-3 : आंतरिक प्रशासन द्वारा सामुदायिक अगुवाई

- 3.1 स्वयं की पहचान से संबंधित कुछ बुनियादी सिद्धांत
- 3.2 सामाजिक नेतृत्व के सन्दर्भ में स्वयंसेवक की अवधारणा
- 3.3 आंतरिक प्रशासन की आवश्यकता
- 3.4 सामाजिक नेता के व्यवहारिक सफलता के कुछ रास्ते
- 3.5 सामाजिक नेतृत्व की एक ताबीज : समाज के लिए समाज द्वारा

इकाई-4 : सामुदायिक सहभागिता : योजना निर्माण एवं निर्णय

- 4.1 समुदाय क्या है ?
- 4.2 सामुदायिक भागीदारी : अर्थ एवं आवश्यकता
- 4.3 योजना निर्माण में सामुदायिक सहभागिता
- 4.4 सामुदायिक सहभागिता से निर्णय लेना

इकाई-4 : सामुदायिक नेतृत्व एवं सामाजिक उद्यमिता

- 5.1 सामुदायिक नेतृत्व : एक पुनर्दर्शन
- 5.2 सामाजिक उद्यमिता
- 5.3 सामाजिक उद्यमिता – उदाहरण
- 5.4 मोहम्मद युनूस का सामाजिक व्यवसाय सिद्धांत
- 5.5 सामाजिक नेता किस प्रकार आर्थिक स्वावलंबन स्थापित करें
- 5.6 प्रदेश में गरीबों के विकास के अवसर: डीपीआईपी परियोजना की सफल कहानी

इकाई-5 : सामुदायिक नेतृत्व द्वारा परिवर्तन : अनुकरणीय उदाहरण

- 5.1 सामाजिक भेदभाव के प्रति समता की आवाज – महात्मा अय्यंकाली
- 5.2 समता और सम्मान की मिसाल : कृष्णम्मा
- 5.3 पर्यावरण के पहलू : चंडी प्रसाद भट्ट और सुन्दरलाल बहुगुणा
- 5.4 सूचना का अधिकार, हक का हथियार – अरुणा राय एवं बंकर राय

- 5.5 प्रेम की प्रतिमूर्ति : मदर टेरेसा
- 5.6 आजीविका से आधार : इला भट्ट
- 5.7 जल जंगल जमीन की समस्या—पी वी राज गोपाल

विकास के लिए संचार (Communication for Development)

इकाई— 1. संचार का परिचय

- 1.1 संचार की अवधारणा
- 1.2 संचार का अर्थ और परिभाषा
- 1.3 संचार कौशल : आवश्यकता एवं महत्व
- 1.4 प्रभावी संचार के आवश्यक तत्व
- 1.5 संचार से सशक्तीकरण

इकाई— 2. संचार की प्रक्रिया और प्रकार

- 2.1 संचार के तत्व
- 2.2 संचार की प्रक्रिया
- 2.3 संचार के चरण एवं प्रकार
- 2.4 संचार के कार्य
- 2.5 संचार की बाधाएँ

इकाई— 3. जनसंचार और माध्यम

- 3.1 जनसंचार का परिचय
- 3.2 जनसंचार के माध्यम
- 3.3 जनसंचार की विशेषताएं
- 3.4 संचार दक्षता बढ़ाने के सूत्र
- 3.5 जनसंचार और व्यवहारगत परिवर्तन

इकाई— 4. न्यू मीडिया

- 4.1 न्यूमीडिया का परिचय
- 4.2 सोशल मीडिया
- 4.4 विकास के सूचना—संचार—प्रौद्योगिकी
- 4.5 माध्यमों के लिए लेखन

इकाई— 5. विकास के लिए संचार

- 5.1 सहभागी विकास एवं जनमाध्यम
- 5.2 विकास संचार
- 5.3 संचार और सामुदायिक नेतृत्व
- 5.4 स्थानीय परिस्थितियों के लिए संचार रणनीति
- 5.5 सफल संचार के अनुकरणीय उदाहरण

सतत विकास के आयाम (Dimensions of Sustainable Development)

इकाई-1 : विकास एवं सतत विकास

- 1.1 विकास अर्थ परिभाषा एवं आयाम,
- 1.2 जीवन की गुणवत्ता एवं उसके सूचकांक
- 1.3 मानव विकास सूचकांक
- 1.4 विकास से उपभोक्तावाद में वृद्धि
- 1.5 विकास से पृथ्वी एवं लोगों के समक्ष आयी चुनौतियाँ

इकाई-2 : सतत विकास का तात्पर्य एवं उसके लिए वैश्विक प्रयास

- 2.1 सातत्यता—अर्थ, परिभाषा, आयाम, जीवन्त सातत्यता
- 2.2 सतत समाज के सिद्धान्त, सतत समाज के सूचकांक
- 2.3 सततविकास के लिए किए गए प्रयास
- 2.4 एम.डी.जी. 2015 के प्रमुख प्रावधान एवं क्रियान्वयन की समीक्षा
- 2.5 सतत विकास लक्ष्य 2030 के प्रमुख प्रावधान

इकाई-3 : सतत विकास के आयाम—सामाजिक सातत्यता

- 3.1 सामाजिक सातत्यता की अवधारणा
- 3.2 सतत विकास लक्ष्यों में सामाजिक सातत्यता
 - गरीबी उन्मूलन (लक्ष्य - 1)
 - भूखमरी से मुक्ति (लक्ष्य - 2)
 - उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली (लक्ष्य - 3)
 - सर्वोत्तम शिक्षा (लक्ष्य - 4)
 - लैंगिक समानता (लक्ष्य - 5)
 - असमानता कम करना (लक्ष्य - 10)
 - शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थायें (लक्ष्य - 16)

इकाई-4 : आर्थिक एवं पर्यावरणीय सातत्यता

- 4.1 आर्थिक सातत्यता
 - स्वच्छ जल एवं साफ सफाई (लक्ष्य - 6)
 - सस्ती और प्रदूषण मुक्त उर्जा (लक्ष्य - 7)
 - उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास (लक्ष्य - 8)
 - उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधाये (लक्ष्य - 9)
 - सतत उत्पादन एवं उपभोग (लक्ष्य - 12)
- 4.2 पर्यावरणीय सातत्यता
 - सतत शहर एवं संतुलित समुदाय (लक्ष्य - 11)
 - जलवायु परिवर्तन कार्यवाही (लक्ष्य - 13)
 - जलीय जीवों की सुरक्षा (लक्ष्य - 14)
 - थलीय जीवों की सुरक्षा (लक्ष्य - 15)

इकाई-5 : सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति

- 5.1 लक्ष्यों हेतु साझेदारी (लक्ष्य - 17)
- 5.2 समाज में आमसहमति का निर्माण
- 5.3 राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई नीतियाँ
- 5.4 प्रदेश स्तर पर तैयार की गई नीतियाँ एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित चुनौतिया
- 5.5 छात्रों के लिए प्रायोगिक कार्य—

- सतत् विकास के लिए नियोजन
- सतत् ग्राम का निर्माण :-नानाजी का प्रादर्श
- सतत ग्राम के लिए एक कार्य योजना तैयार करना
- तैयार कार्य योजना का चयनित गांव में क्रियान्वयन
- किसी सतत विकास की रणनीति को क्रियान्वित करने वाले गांव का अवलोकन

जीवन कौशल शिक्षा (Life Skill Education)

इकाई-1 : जीवन कौशल (संप्रेषण कौशल)

- 1.1 श्रवण
- 1.2 वाचन
- 1.3 पठन
- 1.4 लेखन और लेखन के विविध प्रकार
- 1.5 डिजिटल साक्षरता
- 1.6 सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग
- 1.7 गैर-मौखिक संप्रेषण

इकाई-2 : जीवन कौशल (नेतृत्व कौशल)

- 2.1 नेतृत्व और इसके महत्व को समझना
- 2.2 नेतृत्व के लक्षण और मॉडल
- 2.3 मूल नेतृत्व कौशल

इकाई-3 : जीवन कौशल : कैरियर कौशल

- 3.1 जीवनवृत्त तैयार करने का कौशल
- 3.2 साक्षात्कार कौशल
- 3.3 समूह परिचर्चा कौशल
- 3.4 कैरियर के अवसरों की तलाश

इकाई-4 : जीवन कौशल : टीम कौशल

- 4.1 प्रस्तुति कौशल
- 4.2 टीम कौशल के रूप में श्रवण व विचार-मंथन: विश्वास और सहयोग
- 4.3 सामाजिक और सांस्कृतिक शिष्टाचार
- 4.4 आंतरिक सम्प्रेषण

इकाई-5 : जीवन कौशल (प्रबंधकीय कौशल)

- 5.1 आधारभूत प्रबंधकीय कौशल

5.2 स्व प्रबंधन कौशल

वैकल्पिक धारा-1 : पंचायती राज एवं ग्रामस्वराज

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--|---------|
| 1 | पंचायती राज: अवधारणा और क्रियान्वयन | 6 (6+0) |
| 2 | विकेन्द्रीकरण नियोजन, बजट निर्माण एवं सहभागी विकास | 6 (6+0) |
| 3 | ग्रामीण प्रौद्योगिकी | 6 (3+3) |
| 4 | सामाजिक अंकेक्षण | 6 (3+3) |
| 5 | पंचायतीराज में चुनौतियाँ एवं समाधान के लिये नवाचार | 6 (3+3) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|--|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> ● पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम सभा विकास कार्यों की प्राथमिक किन्तु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ● ग्राम की समस्त योजनाएं ग्राम सभा से ही संचालित होती हैं। अंतः विकास कार्यकर्ता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की समझ, विभिन्न स्तरों के अधिकार और कर्तव्यों की समझ तथा व्यवहारिक कार्य प्रणाली का पूरा ज्ञान आवश्यक है। इस अध्ययन धारा में पंचायती राज व्यवस्था के सभी आयामों और ग्रामीण विकास के विविध अवयवों की विस्तृत जानकारी है। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● 1—सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना। ● 2—भूखमरी समाप्त करना, खाद्य—सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि का बढ़ावा देना। ● 6—सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबन्धन सुनिश्चित करना। ● 8—सभी के लिये सतत समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास ● लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ● खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ● कृषि विभाग। उद्यानिकी विभाग |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ● सांसद आदर्श ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना, ● स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आदि। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> ● पंचायती राज व्यवस्था का ज्ञान होगा। ● त्रि—स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कार्य विभाजन, दायित्व और शक्तियां पता चलेंगी। |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● शिक्षार्थी ग्राम सभा के माध्यम से विकास विषयक अनेक मुद्दों को लोगों के सम्मुख रखने और उन्हें सहमत करने की योग्यता अर्जित करेंगे। ● शिक्षार्थियों में ग्राम स्तर की समस्याओं की समझ और उन्हें हल करने की अभिनव उपायों को क्रियान्वित करने की क्षमता और कौशल विकसित होगा। |
|--|--|

प्रश्नपत्र : पंचायती राज: अवधारणा और क्रियान्वयन (Panchyatiraj : Concept and Implementation)

इकाई-1 : ग्राम स्वराज एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

- 1.1 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण क्या है?
- 1.2 पंचायती राज व्यवस्था : राजतंत्र से गणतंत्र की ओर
- 1.3 स्वतंत्रता पूर्व किये गये प्रयास : गांधी जी और ग्राम स्वराज
- 1.4 73वाँ संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान एवं उनका म.प्र. में क्रियान्वयन
- 1.5 मध्यप्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2001

इकाई-2 : ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का मंत्रीमंडल

- 2.1 ग्राम सभा
- 2.2 ग्राम सभा : गठन, अधिकार एवं कर्तव्य
- 2.3 ग्राम सभा की बैठक
- 2.4 ग्राम सभा के अधिकार एवं उसके कृत्य
- 2.5 ग्राम सभा की समितियाँ
- 2.6 ग्राम सभा स्तर पर तैयार की जाने वाली कार्ययोजना
- 2.7 ग्राम सभा का बजट

इकाई-3 : पंचायतो के कृत्य एवं शक्तियाँ

- 3.1 ग्राम पंचायत : संरचना एवं मुख्य प्रावधान
- 3.2 ग्राम पंचायत की बैठक
- 3.3 ग्राम पंचायत के कार्य अधिकार एवं दायित्व
- 3.4 पंचायतों के पदाधिकारी और अधिकारियों की भूमिका

इकाई-4 : पंचायतो की स्थापना बजट, लेखे, काराधन एवं दाबो की वसूली

- 4.1 ग्राम सभा का बजट, ग्राम पंचायत का बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना

इकाई-5 : जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत

- 5.1 जनपद पंचायत की संरचना
- 5.2 जनपद पंचायत के पदाधिकारी
- 5.3 जनपद पंचायत की मासिक बैठक
- 5.4 जनपद पंचायत की स्थायी समितियाँ
- 5.5 जनपद पंचायत के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

- 5.6 जनपद पंचायत की आय और खर्च
- 5.7 जनपद पंचायत प्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने के तरीके
- 5.8 जिला पंचायत की संरचना
- 5.9 जिला पंचायत के पदाधिकारियों का पद से हटना
- 5.10 जिला पंचायत की मासिक बैठक
- 5.11 जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ
- 5.12 जिला पंचायत के कृत्य, जिला पंचायत : आय और व्यय
- 5.13 पंचायत पदधारियों द्वारा त्याग पत्र

विकेन्द्रीकरण नियोजन, बजट निर्माण एवं सहभागी विकास (Decentralized Planning, Budget making and Participate Development)

इकाई-1 : नियोजन एवं विकेन्द्रीकृत नियोजन

- 1.1 नियोजन-अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार
- 1.2 केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत नियोजन

इकाई-2 : सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

- 2.1 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन-अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व
- 2.2 सहभागी ग्रामीण समीक्षा (पी0आर0ए0) की सूक्ष्मस्तरीय नियोजन में उपयोगिता एवं प्रमुख विधियाँ

इकाई-3 : बजट निर्माण

- 3.1 बजट-अर्थ, परिभाषा, निर्माण की प्रमुख विधियाँ

इकाई-4 : सहभागी विकास

- 4.1 सहभागिता का अर्थ, प्रकार एवं महत्व
- 4.2 सहभागी विकास
- 4.3 समावेशी विकास
- 4.4 वंचित वर्गों के विकास की चुनौतियाँ एवं समाधान

इकाई-5 : विकेन्द्रीकृत नियोजन का व्यवहारिक ज्ञान

- 5.1 उद्देश्य एवं प्राथमिकता का निर्धारण, संसाधनों का आकलन, गतिविधियों का चयन
- 5.2 बजट की व्यवस्था, योजना का क्रियावयन एवं मूल्यांकन

ग्रामीण प्रौद्योगिकी (Rural Technology)

इकाई-1 : प्रौद्योगिकी की परिभाषा, अर्थ एवं महत्व

- 1.1 ग्रामीण प्रौद्योगिकी का अर्थ एवं उपयोगिता
- 1.2 ग्रामीण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्भावना एवं चुनौतियाँ

इकाई-2 : विभिन्न ग्रामीण प्रौद्योगिकी तकनीकि यथा ग्रामीण

- 2.1 पर्यावरण, जल प्रबन्धन, प्रवाह मापन, सिंचाई तकनीकि, वितरणफ।
- 2.2 मृदा परीक्षण, सौर ऊर्जा, रिसाईकिलिंग, रियूज, रिड्यूस (3R) न्यूनीकरण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण

इकाई-3 : स्वास्थ्य तकनीके

- 3.1 स्वच्छता, आरोग्य, पारम्परिक स्वास्थ्य तकनीकि, पेय जल, अपशिष्ट प्रबन्धन

इकाई-4 : कम लागत में गुणवत्ता युक्त निर्माण

- 4.1 निर्माण की आयोजना, लागत की गणना, निर्माण सामग्री का चयन, निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी यंत्रों का परिचय, निर्माण तकनीकों की जानकारी, नवीन निर्माण सामग्री, निर्माण में नवाचार, शासकीय निर्माण प्रक्रिया की जानकारी।
- 4.2 लागत कम करने सम्बन्धी परामर्श, पर्यावरण अनुकूल निर्माण

इकाई-5 : रोजगार सृजन

- 5.1 ग्रामीण स्थानीय परिवेश अनुकूल रोजगार की सम्भावनाएँ
- 5.2 उपलब्ध संसाधन, परम्परागत कौशल विकास, कम्प्यूटर कौशल
- 5.3 ग्रामीण मार्केटिंग व प्रबन्धन, ई-कौशल, निर्माण कार्यो में कौशल उन्नयन, नवीन/आधुनिक रोजगार की सम्भावनाएँ

इकाई-6 : कृषि, उद्यनिकी, वानिकी सम्बन्धी तकनीकि

- 6.1 सिंचाई तकनीकि, प्रबन्धन, नहरो का प्रबन्धन
- 6.2 कृषि उत्पादो में मूल आवाधन, पैकेजिंग
- 6.3 आयुर्वेदिक जडी बूटियों का उत्पादन व प्रोसेसिंग
- 6.4 पशुपालन, डेयरी, फलोरी कल्चर, सब्जी फार्मिंग व विक्रय।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

इकाई-1 : योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण

- 1.1 सामाजिक अंकेक्षण परिचय, पूर्व की तैयारियाँ, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, ग्राम सभा एवं जन सुनवायी

इकाई-2 : आवास से सम्बन्धित योजनाएँ:

- 2.1 प्रधानमंत्री आवास योजना

इकाई-3 : महिला एवं बाल विकास योजनाएं

- 3.1 आंगनबाडी, पोषण आहार, लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओं योजना

इकाई-4 : सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

- 4.1 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, वृद्धा अवस्था, दिव्यांग, कल्याणी, पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली

इकाई-5 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली:

- 5.1 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना,

इकाई-6 : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

- 6.1 उद्देश्य, पात्रता एवं शर्तें, योजना से लाभ

इकाई-7 : शिक्षा

- 7.1 मध्यान्ह भोजन, विधालय, ड्रेस पुस्तक वितरण पालक शिक्षक संघ का गठन

इकाई-8 : रोजगार सृजन से सम्बन्धित योजनाएँ:

- 8.1 मनरेगा, आजीविका मिशन, पंचपरमेश्वर

पंचायतीराज में चुनौतियाँ एवं समाधान के लिये नवाचार (Challenges of Panchayatiraj and Innovative Solutions)

इकाई-1 : पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास का एक समीक्षात्मक अध्ययन

- 1.1 इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पंचायतीराज व्यवस्था के समक्ष ग्रामीण विकास के पंचायतीराज व्यवस्था एक समीक्षा, पंचायतीराज के समक्ष विविध चुनौतियाँ
- 1.2 अपने गाँव की ग्राम सभा का आयोजन करना

इकाई-2 : ग्राम सभा की चुनौतियाँ

- 2.1 बैठक का न होना, समय पर सूचना न दी जाना, शासकीय पदाधिकारियों का असहयोग, लिये गये निर्णय का परिपालन में प्राथमिकता न दिया जाना, कोरम का अभाव, बजट का अभाव

इकाई-3 : ग्राम पंचायत की चुनौतियाँ

- 3.1 सदस्यों को प्रशिक्षण न दिया जाना, अशिक्षा, एजेण्डा तैयार करने में प्राथमिकता न दिया जाना दिये गये 29 विषयों की जानकारी न होना।

इकाई-4 : जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की चुनौतियाँ

- 4.1 बजट का अभाव, बैठको में अधिकारियों की अरुचि, समय के साथ अधिकारो में कटौती, आर्थिक स्रोत का निर्धारण न होना, प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव, बड़े प्रोजक्टो की अनुमति न मिलना

इकाई-5 : मध्यप्रदेश में चुनौतियों के समाधान के लिए किये गये नवाचार

- 5.1 सम्बन्धित जिलों के माध्यम से जिले स्तर पर हुये नवाचार की प्रस्तुतियों को प्राप्त कर संलग्न किया जायेगा।

वैकल्पिक धारा-2: महिला एवं बाल विकास

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--|---------|
| 1 | महिला सशक्तिकरण | 6 (6+0) |
| 2 | पोषण और स्वास्थ्य | 6 (6+0) |
| 3 | बाल विकास सुरक्षा और शिक्षा | 6 (3+3) |
| 4 | लैंगिक समानता एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध | 6 (3+3) |
| 5 | बाल सुरक्षा प्रावधान और चुनौतियाँ | 6 (3+3) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|--|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> ● सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आधी आबादी की पूरी सहभागिता जरूरी है। ● इस अध्ययन धारा का उद्देश्य है कि नारी सशक्तिकरण की सभी संभावनाओं को प्रस्तुत किया जाये। लैंगिक भेदभाव से रहित क्षमतामूलक समाज की स्थापना प्रयास किया जाये। महिलाओं की अंतर्निहित प्रतिभाओं का उपयोग राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में किया जाये। ● अध्ययन धारा का एक उद्देश्य यह भी है कि महिलाएं शोषण से मुक्ति के लिये प्रावधानिक विधिक उपायों से परिचित हो सकें और प्रोत्साहक योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ें। समाज और परिवार को उनकी योग्यता, क्षमता और उद्यमितावृत्ति का पूरा-पूरा लाभ मिले। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● 5-लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। ● 3-स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिये आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। ● 4-समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● महिला एवं बाल विकास विभाग ● स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग ● समाज कल्याण विभाग ● स्कूल शिक्षा विभाग |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● लाडली लक्ष्मी योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, समेकित बाल विकास योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मातृ वंदना योजना, उदिता योजना, वन स्टॉप सेंटर, आँगनबाड़ी, बालबाड़ी, किशोरी बालिका योजना। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> ● महिलाओं को विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिये प्रेरित करने का कौशल विकसित होगा। |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम और स्थानीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न संरचनाओं, निकायों की जानकारी प्राप्त होगी तथा उनकी कार्यविधि समझने में सहायता मिलेगी। ● शासकीय योजनाओं में महिलाओं के प्रोत्साहन और शोषण से बचाव की योजनाओं के लाभ से महिलाओं को प्रत्यक्षतः अवगत और लाभान्वित करने के लिये आवश्यक पहल करने का कौशल विकसित होगा। |
|--|---|

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)

इकाई-1 : महिला सशक्तिकरण :परिचय और महत्व

- 1.1 अवधारणा, अर्थ, परिभाषा
- 1.2 आवश्यकता और महत्व
- 1.3 पृष्ठ भूमि और प्रयास
- 1.4 सतत विकास लक्ष्य और महिलायें
- 1.5 महिला सशक्तिकरण : केस स्टडी

इकाई-2 : महिला सशक्तिकरण के आयाम

- 2.1 शैक्षणिक आयाम
- 2.2 स्वास्थ्य आयाम
- 2.3 विधिक आयाम
- 2.4 आर्थिक आयाम
- 2.5 राजनीतिक आयाम

इकाई-3 : आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण

- 3.1 आर्थिक स्वावलंबन का अर्थ और महत्व महिलाओं के संदर्भ में
- 3.2 आर्थिक आयाम, उद्यमिता, परिभाषा एवं भूमिका
- 3.3 उद्यमिता: स्थिति और चुनौतियां
- 3.4 कृषक महिलायें
- 3.5 आजीविका के स्रोत एवं चुनौतियां

इकाई-4 : सशक्तिकरण के संदर्भ में महिलाओं के मुद्दे

- 4.1 लैंगिक असमानता
- 4.2 घरेलू हिंसा
- 4.3 कार्य स्थल पर हिंसा
- 4.4 निर्णय व सहभागिता में भागीदारी
- 4.5 सामाजिक कुरीतियां (महिलाओं के संदर्भ में)

इकाई-5 : संस्थायें एवं संरचनायें

- 5.1 महिला बाल विकास विभाग
- 5.2 राष्ट्रीय महिला आयोग
- 5.3 राज्य महिला आयोग
- 5.4 वन स्टाप सेंटर
- 5.5 महिला थाना

पोषण और स्वास्थ्य (Nutrition and Health)

ईकाई-1 : ग्रामीण महिला के स्वास्थ्य की चुनौतियां और विकास

- 1.1 स्वास्थ्य का अर्थ और विकास लक्ष्य के रूप में महत्व
- 1.2 किशोरी बालिका स्तर पर स्वास्थ्य की चुनौतियां
- 1.3 गर्भवती महिला के लिये स्वास्थ्य की चुनौतियां
- 1.4 धात्री महिला के लिये स्वास्थ्य की चुनौतियां
- 1.5 सामुदायिक स्वास्थ्य और विकास

ईकाई-2 : कुपोषण और रोग

- 2.1 कुपोषण का अर्थ और महत्व
- 2.2 पोषण और कुपोषण में अंतर
- 2.3 पोषण और स्वास्थ्य का संबंध (किशोरी बालिका से लेकर धात्री महिला के संदर्भ में)
- 2.4 मातृ कुपोषण एवं प्रभाव
- 2.5 पोषण की कमी के कारण होने वाली प्रमुख बीमारियां, कारण, लक्षण रोकथाम एवं प्रबंधन

ईकाई-3 : सुपोषण, स्वास्थ्य व टीकाकरण

- 3.1 सुपोषण का अर्थ और महत्व
- 3.2 किशोरी बालिका स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन
- 3.3 गर्भवती महिला स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन एवं टीकाकरण
- 3.4 धात्री महिला स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन एवं टीकाकरण
- 3.5 पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में संचार के तरीके व संदेश

ईकाई-4 : सुरक्षित मातृत्व का महत्व और चुनौतियां

- 4.1 सुरक्षित मातृत्व की अर्थ व परिभाषा
- 4.2 मातृ स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व
- 4.3 गर्भावस्था से पहले खतरे के कारक
- 4.4 मातृ अस्वथता और मातृ मृत्यु के मुख्य कारण और देखभाल में बाधाएँ
- 4.5 मातृत्व से जुड़ी योजनाएँ और उनके लाभ

ईकाई-5 : महिला स्वास्थ्य सुरक्षा में आंगनबाड़ी की भूमिका

- 5.1 आंगनबाड़ी : परिचय और गतिविधियाँ
- 5.2 किशोरी बालिकाओं के विकास में आंगनबाड़ी की भूमिका
- 5.3 गर्भवती और धात्री महिला के विकास में आंगनबाड़ी की भूमिका
- 5.4 आंगनबाड़ी में महिलाओं के लिये संचालित योजनाएँ

5.5 महिला स्वास्थ्य सुरक्षा में आंगनबाड़ी की भूमिका

बाल विकास सुरक्षा और शिक्षा (Child Development Security and Education)

इकाई-1 : बाल विकास और स्वास्थ्य की चुनौतियां

- 1.1 बाल विकास का अर्थ
- 1.2 विकास निगरानी और प्रोत्साहन
- 1.3 पोषण की कमी के कारण होने वाली प्रमुख बीमारियां कारण लक्षण रोकथाम एवं प्रबंधन
- 1.4 एनीमिया रक्तअल्पता मानक मूल्य, कारण लक्षण एवं पहचान
- 1.5 मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सूचकांक

इकाई-2 : बाल विकास की अवस्थाएँ

- 2.1 प्रथम दो वर्षों और 1000 दिनों के दौरान बालक का विकास
- 2.2 विकास के मील के पत्थर
- 2.3 बच्चों की आवश्यकताएँ
- 2.4 तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए विकासात्मक गतिविधियां
- 2.5 स्कूल पूर्व वर्षों (03 से 06)के दौरान विकास

इकाई-3 : बाल विकास और शिक्षा

- 3.1 प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य
- 3.2 मद्र में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का अवलोकन
- 3.3 मध्यप्रदेश में ईसीसी सेवाओं की स्थिति
- 3.4 बच्चों के विकास में शिक्षा की आवश्यकता
- 3.5 बच्चों के विकास में शिक्षा का महत्व

इकाई-4 : बाल स्वास्थ्य सुरक्षा में आंगनबाड़ी की भूमिका

- 4.1 बाल स्वास्थ्य की परिभाषा एवं चुनौतियां
- 4.2 बच्चों के विकास में आंगनबाड़ी की भूमिका
- 4.3 गर्भस्थ शिशु के विकास में आंगनबाड़ी की भूमिका
- 4.4 आंगनबाड़ी में बच्चों के लिये संचालित योजनाएँ
- 4.5 बाल स्वास्थ्य सुरक्षा में आंगनबाड़ी की भूमिका

इकाई-5 : प्राथमिक शिक्षा में आंगनबाड़ी की भूमिका

- 5.1 प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य
- 5.2 प्राथमिक शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी की भूमिका
- 5.3 प्राथमिक शिक्षा में आंगनबाड़ी के कार्य
- 5.4 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की शिक्षा का महत्व

5.5 प्राथमिक शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी की चुनैतियां

लैंगिक समानता एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध (Gender Equality and Crime Against Women)

इकाई-1 : लैंगिक समानता और लिंगानुपात

- 1.1 लैंगिक समानता का अर्थ
- 1.2 भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव
- 1.3 भारतीय समाज में लिंगानुपात असंतुलन
- 1.4 लैंगिक भेदभाव और महिलायें
- 1.5 लैंगिक भेदभाव और कानून

इकाई-2 : लैंगिक भेद आधारित सामाजिक भेदभाव

- 2.1 स्वास्थ्य और पोषण के स्तर पर भेदभाव
- 2.2 शिक्षा के अवसरों में भेदभाव
- 2.3 राजनीति और आर्थिक अवसरों में भेदभाव
- 2.4 महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा
- 2.5 लिंग आधारित विकास के अवसरों में भेदभाव

इकाई-3 : लैंगिक आधार पर शोषण और हिंसा

- 3.1 लैंगिक आधार पर शोषण का अर्थ व जेंडर बजटिंग
- 3.2 भ्रूण हत्या
- 3.3 घरेलू हिंसा
- 3.4 बलात्कार
- 3.5 दहेज प्रताड़ना, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न

इकाई-4 : महिला सुरक्षा के विधिक उपाय

- 4.1 लिंग परीक्षण
- 4.2 बाल विवाह
- 4.3 दहेज प्रतिषेध
- 4.4 अपराध कानून
- 4.5 घरेलू हिंसा के विरुद्ध, कार्यस्थल पर महिला हिंसा

इकाई-5 : महिला सुरक्षा के लिये विधिक निकाय व कानून

- 5.1 श्रम आधारित कानून व निकाय
- 5.2 घरेलू आधारित कानून व निकाय
- 5.3 उत्पीड़न संबंधी कानून
- 5.4 कार्य स्थल पर हिंसा संबंधी कानून

5.5 भेदभाव संबंधी कानून व अन्य

बाल सुरक्षा : प्रावधान और चुनौतियां (Child Protection : Provision and Challenges)

इकाई-1 : बाल सुरक्षा एक परिचय

- 1.1 अवधारणा, अर्थ, परिभाषा
- 1.2 बाल सुरक्षा एक दृष्टि
- 1.3 बाल सुरक्षा की आवश्यकता
- 1.4 प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में
- 1.5 बाल सुरक्षा हेतु अब तक के प्रयास

इकाई-2 : बाल अधिकार

- 2.1 परिचय, परिभाषा, अर्थ
- 2.2 बाल अधिकार के प्रकार
- 2.3 बच्चों के साथ होने वाले विभिन्न अपराध
- 2.4 बाल अधिकार हेतु अब तक के प्रयास
- 2.5 बाल अधिकारों पर प्रमुख कानून

इकाई-3 : बाल संरक्षण कानून

- 3.1 बाल संरक्षण का परिचय
- 3.2 बच्चों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा
- 3.3 बाल संरक्षणात्मक वातावरण एवं समाज की भूमिका
- 3.4 भारत में बच्चों से संबंधित कानून
- 3.5 बाल मजदूरी विरोधी कानून

इकाई-4 : बाल संरक्षण अधिनियम

- 4.1 बाल संरक्षण एवं अधिनियम
- 4.2 बंधुआ मजदूरी(समाप्ति) अधिनियम 1976
- 4.3 बाल श्रम (निरोध विनियमन) अधिनियम 1986
- 4.4 मादक द्रव्य तथा नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम
- 4.5 किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम

इकाई-5 : बाल संस्थायें और संरचनायें

- 5.1 बाल सुरक्षा और संरक्षण में संस्थाओं की आवश्यकता
- 5.2 सुरक्षा और संरक्षण में शासकीय / गैरशासकीय संस्थानों की भूमिका
- 5.3 वैधानिक संस्थायें
- 5.4 संस्थागत और गैर संस्थागत सेवायें एवं सहायक सेवायें

5.5 आरएससीपीएस, डीसीपीयू, पीएनसीपीसी, बीएलसीपीसी, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, एसजेपीयू एवं चाइल्ड लाइन तथा अन्य

वैकल्पिक धारा-3 : प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|---------------------------|---------|
| 1 | कृषि प्रणाली और सतत कृषि | 6 (6+0) |
| 2 | प्राकृतिक एवं जैविक खेती | 6 (3+3) |
| 3 | कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन | 6 (6+0) |
| 4 | उद्यानिकी एवं विकास | 6 (3+3) |
| 5 | पशुपालन एवं प्रबंधन | 6 (6+0) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|--|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> • ऋषि एवं कृषि भारतीय जनजीवन की प्राचीनतम पहचानों में से एक है। बदलते समय और तकनीक के साथ कृषि का परम्परागत स्वरूप भी बदला है। इसे समीक्षा कर अच्छी बातों को अपनाने और बुरी बातों को छोड़ने की जरूरत है। • कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाकर कृषकों की आय को दुगुना करना और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाकर कृषकों की जोखिमों से रक्षा करना राष्ट्रीय संकल्प हैं। सतत विकास की पृष्ठभूमि में कृषि एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह ग्राम जीवन और ग्राम अर्थव्यवस्था दोनों की रीढ़ है। अतः इसे समझकर आगे बढ़ना विकास कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> • 1—सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना। • 2—भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। • 12—सतत उपभाग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> • कृषि विभाग • उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग • कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग • खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> • किसान कल्याण योजना, अन्नपूर्णा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मिट्टी परीक्षण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। बीज ग्राम योजना। कृषि बीमा योजना इत्यादि। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> • कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अनेक आयामों की जानकारी होगी। • कृषि संबंधी संरचनाओं के निर्माण और संचालन की योग्यता विकसित होगी। कृषि विपणन के आयामों से परिचित होंगे। |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● आसपास के क्षेत्र की कृषि संबंधी समस्याओं की समीक्षा कर उन्हें प्रचलित और प्रभावी योजनाओं के लाभ से समाप्त करने की योग्यता विकसित होगी। ● व्यावसायिक कृषि और जैविक कृषि के साथ-साथ प्राकृतिक कृषि की जरूरतों को जान सकेंगे और अपने क्षेत्र में इनके प्रोत्साहन के लिये लागों से मिलकर ब्यूह रचना तैयार कर सकेंगे। |
|--|---|

कृषि प्रणाली और सतत् कृषि (Agriculture System and Sustainable Agriculture)

इकाई-1 : कृषि प्रणाली: परिभाषा, सिद्धांत और घटक

- 1.1 कृषि प्रणाली : परिभाषा
- 1.2 कृषि प्रणाली : सिद्धांत
- 1.3 कृषि प्रणाली : घटक
- 1.4 प्रणाली दृष्टिकोण

इकाई-2 : कृषि प्रणाली – प्रणाली और प्रणाली दृष्टिकोण, कृषि प्रणाली के निर्धारक-फसल प्रणाली और संबंधित शब्दावली

- 2.1 कृषि प्रणाली अवधारणा
- 2.2 कृषि प्रणाली की विशेषताएं
- 2.3 कृषि प्रणाली के उद्देश्य
- 2.4 कृषि प्रणाली के निर्धारक
- 2.5 फसल प्रणाली संबंधित शब्दावली

इकाई-3 : सतत् कृषि: परिचय, परिभाषा, लक्ष्य और वर्तमान अवधारणाएं

- 3.1 सतत कृषि परिचय
- 3.2 आधुनिकता के दुष्परिणाम
- 3.3 परिभाषा – अवधारणा – लक्ष्य
- 3.4 तत्व और वर्तमान भारत में सतत कृषि स्थिति

इकाई-4 : परिस्थित तंत्र को प्रभाव करने वाले कारक तथा उनका निवारण और भूजल विकास

- 4.1 पारिस्थितिक संतुलन और कृषि की स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारक साधन
- 4.2 परिचय-भूमि/ मिट्टी से संबंधित समस्याएं – मिट्टी क्षरण, वनों की कटाई, त्वरित मिट्टी का कटाव, गाद की गाद जलाशय आदि
- 4.3 भारत और मध्यप्रदेश में भूजल संसाधनों की उपलब्धता
- 4.4 भूजल विकास परिदृश्य – अधिक भोषण की समस्याएं और सुरक्षित उपज अवधारणा।

इकाई-5 : प्रदूषण के स्रोत के रूप में उर्वरक और कीटनाशक और उनके नियंत्रण के उपाय

- 5.1 प्रदूषण के स्रोत के रूप में उर्वरक

- 5.2 उर्वरक प्रदूषण को कम करने के लिए प्रबंधन कारक
- 5.3 कीटनाशक और कवकनाशी के बारे में परिचय
- 5.4 जैव कीटनाशक और जैव कवकनाशी के बारे में विवरण
- 5.5 कीटनाशक प्रदूषण को कम करने के लिए नियंत्रण उपाय

जैविक खेती (Organic Farming)

इकाई-1 : जैविक खेती का परिचय

- 1.1 जैविक खेती की अवधारणा
- 1.2 जैविक खेती की परिभाषा
- 1.3 भारत में जैविक कृषि एवं विशेषताएं
- 1.4 फसल चक्र

इकाई-2 : जैविक खेती से मृदा स्वास्थ्य में परिवर्तन

- 2.1 मृदा स्वास्थ्य को परिवर्तित करने हेतु जैविक तत्वों का महत्व
- 2.2 विभिन्न प्रकार की जैविक खाद विधि
- 2.3 विभिन्न प्रकार की जैविक कीटनाशक विधि
- 2.4 फसल चक्र

इकाई-3 : जैव उर्वरक एवं खरपतवार प्रबंधन

- 3.1 बीज उपचार
- 3.2 जैव उर्वरक वर्गीकरण एवं लाभ
- 3.3 जैव उर्वरक प्रयोग विधियां
- 3.4 खरपतवार जैविक नियंत्रण विधि
- 3.5 कृषि क्रियाओं द्वारा

इकाई-4 : एकीकृत रोग व कीट प्रबंधन

- 4.1 कीट और रोग से बचाव
- 4.2 जैविक रूप से फसल के विकास का प्रबंधन करना
- 4.3 जैविक विधि से सीधा उपचार
- 4.4 जैविक कृषि में अपनायी जाने वाली अन्य नियंत्रण विधि
- 4.5 जैविक समुदाय प्रबंधन

इकाई-5 : जैव प्रमाणीकरण व योजनाएं

- 5.1 जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकरण करवाना ।
- 5.2 समूह बनाकर आवेदन करवाना ।
- 5.3 महत्वपूर्ण लिंक उपलब्ध करवाना ।

कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन **(Agricultural Processing and Marketing)**

इकाई-1 : कृषि प्रसंस्करण: अवधारणा एवं आवश्यकता

- 1.1 परिचय
- 1.2 अवधारणा
- 1.3 आवश्यकता
- 1.4 मूल्य संवर्धन एवं उसके लाभ
- 1.5 आजीविका एवं समृद्धि से प्रसंस्करण का संबंध

इकाई-2 : कृषि उत्पाद विपणन

- 2.1 ग्रामीण हाट
- 2.2 मंडी
- 2.3 नवाचार- किसान पोर्टल,
- 2.4 ई-नाम

इकाई-3 : नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम

- 3.1 कृषि प्रसंस्करण नीतियां एवं परिवर्तन
- 3.2 एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर
- 3.3 किसान क्रेडिट कार्ड
- 3.4 फसल बीमा योजना
- 3.5 प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने वाले मध्यप्रदेश सरकार के कार्यक्रम

इकाई-4 : किसान संगठन एवं संगठनात्मक ढाँचा

- 4.1 किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ)
- 4.2 संयुक्त आजीविका समूह (जेएलजी)
- 4.3 सहकारी समिति (कोऑपरेटिव समिति)
- 4.4 भंडारण तकनीक एवं कोल्ड स्टोरेज
- 4.5 अधोसंरचना विकास के कार्यक्रम

इकाई-5 : केस स्टडी

- 5.1 अमूल
- 5.2 सांची दुग्ध संघ, मध्यप्रदेश

उद्यानिकी एवं विकास (Horticulture and Development)

इकाई-1 : उद्यानिकी का परिचय

- 1.1 उद्यानिकी की परिभाषा
- 1.2 उद्यानिकी की विभिन्न शाखाएं
- 1.3 उद्यानिकी का पोषण में महत्व
- 1.4 एक व्यवसाय के रूप में उद्यानिकी
- 1.5 उद्यानिकी उत्पादों का वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य

इकाई-2 : उद्यानिकी एवं जलवायु परिवर्तन

- 2.1 ग्रीनहाउस के प्रभाव
- 2.2 ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव
- 2.3 जलवायु परिवर्तन के कारण संरक्षित उद्यानिकी हेतु झुकाव
- 2.4 बेमौसम सब्जी उत्पादन
- 2.5 फूलों की संरक्षित खेती

इकाई-3 : उद्यानिकी फसलों का मूलवर्धन

- 3.1 मूलवर्धन की परिभाषा एवं महत्व
- 3.2 उद्यानिकी फसलों के मूलवर्धक उत्पाद
- 3.3 महत्वपूर्ण सब्जी फसलों का मूलवर्धन
- 3.4 महत्वपूर्ण फल फसलों का मूलवर्धन
- 3.5 मूलवर्धन उद्यानिकी उत्पादों का विपणन

इकाई-4 : गृह वाटिका

- 1.1 गृह वाटिका की परिभाषा
- 1.2 गृह वाटिका की अवधारणा।
- 1.3 गृह वाटिका का महत्व
- 1.4 गृह वाटिका के लिए जगह का चुनाव
- 1.5 गृह वाटिका का आकार एवं फसल चक्र

इकाई-5 : छत पर बागबानी एवं हाइड्रोपोनिक्स

- 5.1 छत पर बागबानी के प्रकार एवं विशेषताएं
- 5.2 छत पर बागबानी के लिए उपयुक्त पौधों
- 5.3 छत पर बागबानी की तकनीक
- 5.4 हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में परिचय एवं परिभाषा

5.5 हाइड्रोपोनिक्स का महत्व व उपयोगिता

पशुपालन एवं प्रबंधन (Animal Husbandary and Management)

इकाई-1 : भारत में पशुधन का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका।

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 पशुपालन की भूमिका।
- 1.3 पशुपालन का इतिहास।
- 1.4 पशुधन की मानव जीवन में उपयोगिता।
- 1.5 भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान

इकाई-2 : पशुधन की नस्ले, गाय, भैस, भेड़, बकरी एवं सुकर

- 2.1 भारतीय गाय की नस्लें एवं वर्गीकरण
- 2.2 भैस की नस्ले एवं वर्गीकरण
- 2.3 बकरी की नस्लें एवं विशेषताएं
- 2.4 भेड़ की नस्लें एवं वर्गीकरण
- 2.5 सूकर की नस्ले।

इकाई-3 : पशुधन उत्पादन में चारागाह और चारे का महत्व।

- 3.1 चारागाह के लाभ एवं महत्व।
- 3.2 चारागाहों की गुणवत्ता का प्रभावित करने वाले कारक।
- 3.4 चारागाह की प्रबंधन क्रियाएं।
- 3.5 चारागाह के लिए उपयोगी फसलें।

इकाई-4 : पशुधन के महत्वपूर्ण लक्षण: पशुओं का सामान्य प्रबंधन एवं भोजन के तरीके

- 4.1 दुधारू पशुओं के देखभाल एवं प्रबंध।
- 4.2 सुखाई एवं गाभिन गाय की देखभाल एवं प्रबंध।
- 4.3 पशुओं के अहार तैयार करना एवं देने की विधि।
- 4.4 अहार की किस्में।
- 4.5 आदर्श अहार की विशेषता एवं पोषण के सिद्धान्त।

इकाई-5 : पशुओं की देखभाल एवं प्रबंधन, आवास व्यवस्था रोग एवं परिजीवी नियंत्रण

- 5.1 पशुओं की आवास व्यवस्था उद्देश्य एवं लाभ।
- 5.2 गोशाला प्रबंधन।
- 5.3 पशुओं की कुछ मुख्य बीमारियाँ एवं उपचार।
- 5.4 पशुओं बाह्य एवं आन्तरिक परिजीवियों की रोकथाम।

वैकल्पिक धारा-4 : पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|---|---------|
| 1 | पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास | 6 (3+3) |
| 2 | पर्यावरण प्रदूषण : कारण एवं निवारण | 6 (3+3) |
| 3 | प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन : महत्त्व और प्रयास | 6 (3+3) |
| 4 | वाटरशेड प्रबंधन : जल संकट का वैज्ञानिक समाधान | 6 (3+3) |
| 5 | ऊर्जा संरक्षण और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विकास | 6 (3+3) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|---|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास समसामयिक संदर्भों में सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। भावी पीढ़ी की संभावनाओं से बिना समझौता किये वर्तमान की विकास विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं साथ-साथ प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण आज की सबसे जटिल चुनौती है। पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर है। अतः विकास के साथ-साथ पर्यावरण की चिंता आवश्यक है। यह केवल एक वैचारिक विषय नहीं अनेक तकनीकी आयाम भी इसमें शामिल हैं। इस धारा के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण जैसे आयामों की व्यावहारिक जानकारी देने का प्रयास किया जायेगी। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> 7-सभी के लिये किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 13-जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिये तात्कालिक कार्रवाई करना। 15-स्थलीय परिस्थिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता की हानि को रोकना। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण एवं ऊर्जा विभाग। वन एवं पर्यावरण विभाग |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> निशुल्क विद्युत प्रदाय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उदय योजना, सरल बिजली बिल मुख्यमंत्री योजना, ग्राम स्वराज अभियान। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> प्रकृति और पर्यावरण की समझ विकसित होगी। इसके दुष्प्रभावों को जानकर ग्राम और आंचलिक स्तर पर सुधार के लिये पहल कर सकने का कौशल विकसित होगा। |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में पर्यावरण सम्बन्धी घटकों के महत्व की जानकारी से स्वयं परिचित होंगे, औरों को करा सकेंगे।● पर्यावरण संरक्षण के तकनीकी उपायों में आवश्यकता, रूचि और योग्यतानुसार विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे। |
|--|---|

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास (Environmental Protection and Sustainable Development)

इकाई-1 : पर्यावरण : अर्थ और महत्त्व

- 1.1 पर्यावरण का अर्थ
- 1.2 पर्यावरण का महत्त्व
- 1.3 पर्यावरण के प्रमुख आयाम
- 1.4 पर्यावरण और मानव जीवन

इकाई-2 : पर्यावरण संकट : वर्तमान परिदृश्य और भविष्य

- 2.1 पर्यावरण संकट का अर्थ
- 2.2 पर्यावरण संकट के आयाम
- 2.3 औद्योगीकरण और पर्यावरण संकट
- 2.4 रासायनिक कृषि और पर्यावरण संकट
- 2.5 पर्यावरण संकट और प्राकृतिक आपदा

इकाई-3 : पर्यावरण , पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता संतुलन

- 3.1 पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ
- 3.2 पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन की
- 3.3 अवधारणा और महत्त्व
- 3.4 जैव विविधता का अर्थ और महत्त्व
- 3.5 पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता आधारित पर्यावरण संतुलन मॉडल

इकाई-4 : पर्यावरण संरक्षण : कानून और समाज

- 4.1 पर्यावरण संरक्षण का अर्थ, आवश्यकता और महत्त्व
- 4.2 पर्यावरण संरक्षण कानून और लोक परंपरा
- 4.3 पर्यावरण संरक्षण और शासन की योजनायें
- 4.4 पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता

इकाई-5 : पर्यावरण संरक्षण आधारित सतत विकास मॉडल

- 5.1 सतत विकास का अर्थ
- 5.2 पर्यावरण संतुलन आधारित विकास
- 5.3 सतत विकास मॉडल
- 5.4 इको फ्रेंडली उद्योग
- 5.5 इको फ्रेंडली कृषि जैविक कृषि
- 5.6 पर्यावरण संरक्षण के सजग प्रयास

पर्यावरण प्रदूषण : कारण और निवारण **(Environmental Pollution : Causes and Remedies)**

इकाई-1 : पर्यावरण प्रदूषण : वर्तमान और भविष्य

- 1.1 पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ
- 1.2 पर्यावरण प्रदूषण की वर्तमान स्थिति
- 1.3 पर्यावरण प्रदूषण और भविष्य

इकाई-2 : पर्यावरण प्रदूषण : प्रकार और कारण

- 2.1 पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार
- 2.2 जल प्रदूषण : कारण
- 2.3 वायु प्रदूषण : कारण
- 2.4 ध्वनी प्रदूषण : कारण

इकाई-3 : पर्यावरण प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव

- 3.1 जैविक प्रदूषण और जलजनित रोग
- 3.2 रासायनिक प्रदूषण और दुष्परिणाम
- 3.3 वायु प्रदूषण जनित रोग
- 3.4 ध्वनी प्रदूषण और मानसिक समस्याएं

इकाई-4 : प्रदूषण निवारण कानून

- 4.1 प्रदूषण नियंत्रण कानून
- 4.2 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- 4.3 पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु ग्राम सभा के अधिकार

इकाई-5 : भारतीय मूल्य और लोक संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण

- 5.1 भारतीय मूल्य पारिस्थितिकी
- 5.2 भारतीय मूल्य और जैव विविधता
- 5.3 लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण
- 5.4 लोक संस्कृति और प्रदूषण रोकथाम

5.5 पर्यावरण संरक्षणके सामजिक प्रयास

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन : महत्त्व और प्रयास **(Management of Natural Resources : Importance and Efforts)**

इकाई-1 : प्राकृतिक संसाधन : पहचान और महत्त्व

- 1.1 प्राकृतिक संसाधन का अर्थ
- 1.2 प्राकृतिक संसाधनों की पहचान
- 1.3 प्राकृतिक संसाधनों महत्त्व
- 1.4 प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन का संकट

इकाई-2 : जल संकट : कारण और प्रभाव

- 2.1 जल संकट का अर्थ
- 2.2 जल संकट के कारण
- 2.3 जल संकट और प्राकृतिक असंतुलन
- 2.4 पेयजल संकट, कृषि जल संकट

इकाई-3 : जल संरक्षण और भू जल संवर्धन

- 3.1 जल संरक्षण और भू जल संवर्धन का अर्थ
- 3.2 जल संरक्षण के उपाय
- 3.3 भू जल संवर्धन के उपाय
- 3.4 जल संरक्षण और भू जल संवर्धन की लोक परम्परा

इकाई-4 : मृदा संरक्षण : आवश्यकता और उपाय

- 4.1 मृदा का अर्थ और महत्त्व
- 4.2 मृदा कटाव और उत्पादकता
- 4.3 मृदा कटाव और बाढ़ संकट
- 4.4 मृदा कटाव रोकने के उपाय

इकाई-5 : वन संरक्षण : महत्त्व और सामुदायिक प्रयास

- 5.1 वनों का महत्त्व
- 5.2 वन का घटना और जल संकट
- 5.3 वन्य जीवन का संकट
- 5.4 वन संरक्षण के शासकीय प्रयास
- 5.5 सामुदायिक सहभागिता आधारित वनीकरण और वन संरक्षण कार्य

वाटरशेड प्रबंधन : जल संकट का वैज्ञानिक समाधान (Watershed Management : Scientific Solution of Water Crises)

इकाई-1 : जल संकट : वैज्ञानिक विश्लेषण

- 1.1 जल संकट की वर्तमान स्थिति
- 1.2 जल संकट के कारण – जनसंख्या वृद्धि, कृषि रकबे का बढ़ना , कृषि में पानी की खपत बढ़ना, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन
- 1.3 जल स्रोत एवं जल संकट

इकाई-2 : जल संकट और वर्षा जल के प्रबंधन

- 2.1 जल के मूल स्रोत के रूप में वर्षा जल की पहचान
- 2.2 वर्षा जल की वर्तमान स्थिति
- 2.3 वर्षा जल के प्रबंधन की आवश्यकता

इकाई-3 : जल संकट का वैज्ञानिक समाधान : वाटरशेड मैनेजमेंट

- 3.1 वाटरशेड का अर्थ
- 3.2 वाटरशेड मैनेजमेंट का अर्थ और आवश्यकता
- 3.3 वाटरशेड मैनेजमेंट के मूलभूत सिद्धांत
- 3.4 वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य के चरण
- 3.5 वाटरशेड मैनेजमेंट के क्रियान्वयन का प्रभाव और परिणाम

इकाई-4 : वाटरशेड मैनेजमेंट योजना निर्माण

- 4.1 योजना का अर्थ और चरण
- 4.2 वाटरशेड क्षेत्र का चिन्हांकन
- 4.3 वाटरशेड सिद्धांत आधारित योजना निर्माण
- 4.4 पहाड़ी (तीव्र ढलान) क्षेत्र के कार्य
- 4.5 नाले पर किये जाने वाले कार्य
- 4.6 खेतों में किये जाने वाले कार्य

इकाई-5 : वाटरशेड मैनेजमेंट और सामुदायिक सहभागिता

- 5.1 सामुदायिक सहभागिता का अर्थ और महत्त्व
- 5.2 सामुदायिक सहभागिता योजना निर्माण
- 5.3 सामुदायिक सहभागिता आधारित क्रियान्वयन
- 5.4 सामुदायिक सहभागिता आधारित संचालन एवं रखरखाव

ऊर्जा संरक्षण और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विकास (Energy Protection and Unconventional Energy Resource Development)

इकाई-1 : उर्जा संरक्षण : आवश्यकता और उर्जा स्रोतों के प्रकार

- 1.1 उर्जा संरक्षण का अर्थ
- 1.2 उर्जा संरक्षण की आवश्यकता
- 1.3 उर्जा स्रोतों के प्रकार : परंपरागत और गैर परंपरागत

इकाई-2 : गैर परम्परागत उर्जा स्रोत : प्रकार और महत्त्व

- 2.1 गैर परंपरागत उर्जा स्रोत का अर्थ
- 2.2 गैर परंपरागत उर्जा स्रोत के प्रकार
- 2.3 गैर परंपरागत उर्जा स्रोत का महत्त्व

इकाई-3 : सौर उर्जा : महत्त्व और उपयोग के प्रकार

- 3.1 सौर उर्जा का परिचय
- 3.2 सौर उर्जा के उपयोग के प्रकार
- 3.3 नेट मीटरिंग योजना
रूप टॉप (छत पर) सौर उर्जा सयंत्र लगाकर विद्युत का उत्पादन तथा उपयोग शासन द्वारा दी जाने वाली सबसिडी और अन्य सुविधाये विद्युत पंपों हेतु सौर उर्जा का उपयोग

इकाई-4 : विद्युत प्रदाय संस्थाएँ और उनकी जिम्मेदारियाँ

- 4.1 विद्युत प्रदाय संस्थाओं का परिचय एवं भूमिका
- 4.2 विद्युत कनेक्शन प्रदान करना
- 4.3 गुणवत्ता पूर्ण विद्युत प्रदान करना
- 4.4 गुणवत्ता के मानक तथा क्षतिपूर्ति राशि का प्रदान करना
- 4.5 उचित दरों पर विद्युत प्रदान करना
- 4.6 मीटर संबंधी नियम और स्मार्ट मीटर
- 4.7 ऑनलाइन सुविधाये प्रदान करना
- 4.8 कॉल सेन्टर की सुविधा प्रदान करना

इकाई-5 : विद्युत उपभोक्ता के अधिकार और शिकायत निवारण फोरम

- 5.1 विद्युत उर्जा संरक्षण का अर्थ
- 5.2 विद्युत उर्जा संरक्षण के उपाय
- 5.3 विद्युत उर्जा संरक्षण के बिल पर प्रभाव

- 5.4 विभिन्न उपकरणों में उर्जा व्यय की जानकारी
- 5.5 विद्युत चोरी अथवा दुरुपयोग को रोकना

वैकल्पिक धारा-5 : स्वैच्छिकता एवं विकास

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--------------------------------------|---------|
| 1 | स्वैच्छिकता: अवधारणा एवं पृष्ठभूमि | 6 (6+0) |
| 2 | स्वैच्छिक संगठनों का गठन एवं प्रबंधन | 6 (6+0) |
| 3 | परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन | 6 (3+3) |
| 4 | आपदा प्रबंधन | 6 (3+3) |
| 5 | निगमिय सामाजिक उत्तरदायित्व | 6 (6+0) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|---|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> समाज में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वैच्छा से समाजहित के कार्य करने हेतु उत्सुक रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रशिक्षित और दक्ष बनाना इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य है। ऐसा वातावरण विकसित करना जिससे विकास एक जन आंदोलन बने और केवल सरकारी उत्तरदायित्व न रह जाये। यह भी जरूरी है। इस अकादमिक धारा में स्वैच्छिकता के आधार पर संचालित व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रोत्साहन, उनके मानकीकरण, उन्हें योजनाओं के संचालन में बराबर का भागीदार बनाकर शासकीय प्रयासों को अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने तक की पहल। इस पाठ्यक्रम के मूल में है। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> 16-सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। 17-कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना। 10-राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> समाज कल्याण विभाग योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग अनुसूचित जाति-जनजाति विकास विभाग |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> विवाहिता पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजनायें, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इत्यादि। स्वयंसेवी संगठनों के प्रोत्साहन की योजनायें, आपदा प्रबंधन के लिये निर्मित योजनायें। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> स्वैच्छिक संगठनों के निर्माण और संचालन की दक्षता आयेगी। विकास विषयक परियोजनाओं के लिये योजना निर्माण और संचालन क्रियान्वयन की दक्षता आयेगी। स्वैच्छिक प्रयासों से बदलाव के लिये अनुकूल |

| | |
|--|---|
| | <p>वातावरण तैयार करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने की क्षमता विकसित होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आपदा और प्रतिकूल परिस्थिति में राहत और बचाव कार्यों के संचालन का कौशल विकसित होगा। ऐसे समय में लोगों के साथ मिलकर अभावों और प्रतिकूलता में किस प्रकार कार्य हो। इसका कौशल और दक्षता भी विकसित होगी। |
|--|---|

स्वैच्छिकता : अवधारणा एवं पृष्ठभूमि **(Voluntarism : Concept and Background)**

इकाई-1 : स्वैच्छिकता : परिचय, स्वैच्छिक क्षेत्र एवं गतिविधि

- 1.1 अवधारणा, अर्थ, परिभाषा
- 1.2 स्वैच्छिक क्षेत्र, स्वैच्छिक गतिविधि वर्तमान सन्दर्भ में स्वैच्छिकता
- 1.3 स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता, विशेषता एवं भूमिका
- 1.4 स्वैच्छिक क्षेत्र: लोकतंत्र का मजबूत स्तम्भ, भारत में स्वैच्छिकता
- 1.5 शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेदारी, स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार

इकाई-2 : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 2.1 भारत में आजादी के पूर्व के स्वैच्छिक कार्य,
- 2.2 विश्व के प्रमुख स्वैच्छिक कार्य
- 2.3 आजादी के पश्चात किये गये स्वैच्छिक कार्य,
- 2.4 स्वैच्छिक कार्य का वर्तमान स्वरूप एवं परिदृश्य
- 2.5 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अधिकार आधारित सामाजिक विकास

इकाई-3 : स्वैच्छिक संगठनों का विजन और मिशन, नानाजी और टैगोर का दर्शन और प्रयोग

- 3.1 स्वैच्छिक संगठनों का विजन और मिशन
- 3.2 विजन निर्माण के तत्व एवं विजन की विशेषताएं
- 3.3 स्वैच्छिक संगठनों के मिशन का तात्पर्य
- 3.4 नानाजी देशमुख का चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय पर विजन
- 3.5 रवीन्द्रनाथ टैगोर का ग्राम विकास का दर्शन और प्रयोग

इकाई-4 : औपचारिक स्वैच्छिक कार्य

- 4.1 स्वैच्छिक संगठनों का अर्थ, परिचय, उद्देश्य
- 4.2 स्वैच्छिक संगठनों हेतु विधिक प्रावधान,
- 4.3 समाज कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं चुनौतियां
- 4.4 स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा उठाए गए कदम
- 4.5 पंचवर्षीय योजनाओं में स्वैच्छिक संगठन

इकाई-5 : केस अध्ययन

- 5.1 जन अभियान परिषद
- 5.2 नानाजी का आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन
- 5.3 सुरेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम मोहद जिला नरसिंहपुर में किया गया कार्य

- 5.4 अरुण त्यागी द्वारा सीधी एवं अन्य आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में किया गया कार्य
- 5.5 दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा चित्रकूट में विकास का समन्वित मॉडल

स्वैच्छिक संगठनों का गठन एवं प्रबंधन (Formation of NGO and Management)

इकाई-1 : आधारणा एवं पृष्ठ भूमि

- 1.1 स्वैच्छिक संगठनों की आधारणा एवं परिभाषा
- 1.2 स्वैच्छिक संगठनों की विशेषताएं एवं चुनौतियाँ
- 1.3 स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेदारी
- 1.4 स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना एवं गठन
- 1.5 स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए शासन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

इकाई-2 : स्वैच्छिक संगठनों का पंजीयन एवं वैधानिक प्रावधान

- 2.1 सोसाइटी पंजीयन अधिनियम/ नियम सम्बन्धित पंजीयन एवं गठन
- 2.2 ट्रस्ट अधिनियम/ नियम सम्बन्धित पंजीयन एवं गठन
- 2.3 कम्पनी अधिनियम/नियम सम्बन्धित पंजीयन एवं गठन
- 2.4 सहकारी संस्था अधिनियम/नियम सम्बन्धित पंजीयन एवं गठन

इकाई-3 : स्वैच्छिक संगठनों के संचालन हेतु नीति एवं अधिनियम

- 3.1 स्वैच्छिक क्षेत्रक हेतु राष्ट्रीय नीति एवं प्रादेशिक नीति
- 3.2 स्वैच्छिक संगठनों पर लागू होने वाली आयकर अधिनियम की धारा 12ए एवं 80जी के अर्न्तगत पंजीयन
- 3.3 विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 के अर्न्तगत पंजीयन

इकाई-4 : स्वैच्छिक संगठनों का संचालन एवं प्रबन्धन

- 4.1 स्वैच्छिक संगठनों में वित्तीय प्रबन्धन/ खाता संचालन- दस्तावेज संधारण/बजट लेखा/ वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक अंकेक्षण
- 4.2 शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति तथा कार्मिक प्रबंधन
- 4.3 वित्त की व्यवस्था/ विभाग, कोश की स्थापना एवं सामाजिक सहयोग

इकाई-5 : स्वैच्छिक संगठनों के दायित्व एवं कार्य

- 5.1 स्वैच्छिक संगठनों में कोष निर्माण एवं प्रबंधन
- 5.2 वित्तीय संसाधन हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोत
- 5.3 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका
- 5.4 स्वैच्छिक संगठनों हेतु क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 5.5 परदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, संगठनात्मक रणनीति

परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन (Project Planning and Management)

इकाई-1 : परियोजना परिचय

- 1.1 अर्थ एवं अवधारणा,
- 1.2 परियोजना के प्रकार,
- 1.3 परियोजना के उद्देश्य,
- 1.4 परियोजना हेतु पूर्व अवाश्यकता (Pre-Requisites)
- 1.5 परियोजना नियोजन के चरण ।

इकाई-2 : परियोजना प्रस्ताव निर्माण

- 2.1 सहभागी ग्रामीण आंकलन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक समस्या का अध्ययन
- 2.2 परियोजना प्रस्ताव निर्माण
- 2.3 परियोजना हेतु संगठनात्मक प्रबंधन
- 2.4 वित्तीय तकनीकी, आर्थिक, समाजिक व्यवहार्यता परीक्षण।
- 2.5 परियोजना हेतु बजट तैयार करना।

इकाई-3 : परियोजना क्रियान्वयन

- 3.1 सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण,
- 3.2 नेटवर्क विश्लेषण- पर्ट एवं सी.पी.एम,
- 3.3 सामुदायिक सहभागिता,
- 3.4 संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।

इकाई-4 : अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- 4.1 परियोजना अनुश्रवण का अर्थ एवं अवधारणा,
- 4.2 परियोजना अनुश्रवण की विधियाँ, आँकडा आधारित अनुश्रवण
- 4.3 परियोजना मूल्यांकन का अर्थ एवं अवधारणा, मापने योग्य सूचकांक (Measurable Indicators)
- 4.4 सामाजिक अंकेक्षण,
- 4.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में पी.आर.ए. का उपयोग, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन।

इकाई-5 : केस अध्ययन

- 5.1 किसी सामाजिक विकास परियोजना का अध्ययन
- 5.2 पी. आर.ए. के माध्यम से नियोजन एवं मूल्यांकन
- 5.3 किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित परियोजना का अध्ययन ।

आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

इकाई-1 : आपदा अर्थ एवं अवधारणा

- 1.1 आपदा की प्रकृति का प्रभाव। आपदा का वर्गीकरण, आपदा के प्रकार—मनाव, निर्मित आपदा। प्रकृति निर्मित आपदा। सुभेद्यता और आपदा, सुभेद्यता के कारण और प्रभाव। कुछ प्रमुख आपदा:— भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन। आपदा और विकास— अंतसंबंध और आयाम।
- 1.2 अपने ग्राम अथवा क्षेत्र में पूर्व के समय से कोई आपदा आई है क्या? इसका पता लगाना तथा सूचीबद्ध करना। उस आपदामें क्या-क्या जनहानि और धनहानि हुई थी इसको सूचीबद्ध करना।
- 1.3 अपने ग्राम में संभावित समस्त आपदाओं की पूर्ण कार्ययोजना तैयार होना चाहिए।
- 1.4 ग्रामवासियों की मनोभूमिका किसी भी आपदा से निपटने के लिये पूर्व से तैयार रहेगी।

इकाई-2 : आपदा प्रबंधन/अवधारणा और परिभाषा

- 2.1 आपदा प्रबंधन के उद्देश्य महत्व एवं आवश्यकता— आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया और चक्र— आपदा पूर्व अवस्था— न्यूनीकरण और निवारण, पूर्व तैयारी, पूर्व चेतावनी, आपदोपरांत अवस्था— प्रतिक्रिया, राहत एवं बचाव, रिकवरी, विश्लेषण, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास। समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन।
- 2.2 अपने ग्राम के वरिष्ठ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारियों पर विचार करना और सूचीबद्ध करना।
- 2.3 आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण ग्राम के युवओं को दिया जाना।
- 2.4 प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का दल ग्राम में ही उपलब्ध होगा।

इकाई-3 : राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयास।

- 3.1 आपदा न्यूनीकरण पर वैश्विक सम्मेलन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन।
- 3.2 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर एक लेख लिखना।
- 3.3 आपदा के समय जिन विभागों से समन्वय की आवश्यकता होती है। उनकी सूची टेलीफोन नम्बर सहित होना।
- 3.4 किसी भी आपदा के समय समन्वय की तैयारी।

इकाई-4 : आपदा प्रबंधन में भूमिका और कार्य

- 4.1 UNFCCC, UNDP, SAARC, UNICEF, UNDRP, WHO का आपदा प्रबंधन में भूमिका और कार्य। आपदा प्रबंधन में भूमिका—केन्द्र और राज्य सरकार, जिला प्रशासन, सीनीय प्रशासन, मीडिया, NGO's, शैक्षणिक संस्थान। आघात पश्चात देखभाल एवं परामर्शन, दुख परामर्शन।
- 4.2 आपदा प्रबंधन पर कार्य करने वाले राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जानकारी एकत्र करना।

इकाई-5 : आपदा प्रबंधन मुद्दे और चुनौतियां

- 5.1 भारत में आपदा प्रबंधन का वैधानिक ढांचा। आपदा का व्यक्ति, परिवार, बालक, महिला, वृद्धजन, दिव्यांग, अनाथ और परित्यक्त, मानसिक रूप से दुर्बल, शरणार्थी, प्रवासी पर प्रभाव। आपदा प्रबंधन में संचार, सहभागिता, जागरूकता, क्षमता निर्माण का महत्व। मानो—सामाजिक देखभाल एवं आघात प्रबंधन।
- 5.2 अपने ग्राम की आपदा प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करना।
- 5.3 आपदा प्रबंधन का पूर्वाभ्यास।

5.4 ग्रामवासियों को पूर्व से ही पता होगा की किसी भी आपदा के समय क्या करना है? और क्या नहीं करना है?

निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility)

इकाई-1 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय

- 1.1 अर्थ एवं परिभाषा,
- 1.2 ऐतिहासिक परिदृश्य,
- 1.3 व्यवसाय- समाज और सत्त विकास,
- 1.4 सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रादर्श- गाँधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत एवं सी.एस.आर. नियम 2014 ।
- 1.5 सी.एस.आर. का कम्पनी की ब्रांडिंग में उपयोग

इकाई-2 : कम्पनी अधिनियम 2013 एवं सी.एस.आर. नियम 2014

- 2.1 विभिन्न वैधानिक प्रावधानः
- 2.2 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति,
- 2.3 सी.एस.आर. समिति,
- 2.4 सी.एस.आर. नीति,
- 2.5 सी.एस.आर. कार्यन्वयन,
- 2.6 सी.एस.आर. रिपोर्टिंग,

इकाई-3 : सी.एस.आर. एवं सत्त विकास अन्तराष्ट्रीय फ्रेमवर्क

- 3.1 ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल,
- 3.2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस,
- 3.3 सत्त विकास लक्ष्य और सी.एस.आर. का संबन्ध,
- 3.4 सयूक्त राष्ट्र संघ और सी.एस.आर.,
- 3.5 सी.एस.आर. का वैश्विक परिदृश्य, एक व्यावसायिक औजार के रूप में सी.एस.आर., नवोन्मेशी सी. एस.आर. ।

इकाई-4 : सी.एस.आर. के मुख्य हितधारक

- 4.1 निवेशक, समुदाय, सरकार, कर्मचारी;
- 4.2 बाजार आधारित दबाव,
- 4.3 नागर समाज का दबाव,
- 4.4 कृषि, जल, प्राकृतिक संसाधन,पर्यावरण, जन-जातीय विकास इत्यादि में कम्पनियों का योगदान,
- 4.5 भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास व सामाजिक अंकेक्षण ।

इकाई-5 : केस अध्ययन

- 5.1 एन.टी.पी.सी.के सी.एस.आर. कार्यक्रम का केस अध्ययन
- 5.2 किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के सी.एस.आर. कार्यक्रम का केस अध्ययन ।

- 5.3 सी.एस.आर. हेतु कम्पनी एवं स्वैच्छिक संगठन के बीच समाज कल्याण हेतु गठजोड का केस अध्ययन
- 5.4 सी.एस.आर. पहल का प्रचार-प्रसार ।

वैकल्पिक धारा-6 : आजीविका एवं कौशल

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|-----------------------------|---------|
| 1 | उद्यमिता विकास | 6 (3+3) |
| 2 | सूक्ष्म वित्त प्रबंधन | 6 (3+3) |
| 3 | उपयुक्त प्रौद्योगिकी | 6 (3+3) |
| 4 | परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन | 6 (3+3) |
| 5 | विपणन प्रबंधन | 6 (3+3) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|---|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> ● आजीविका जीवन मशीन का ईंधन है। इसके बगैर विकास के किसी भी स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आजीविका के लिये केवल सरकार पर निर्भरता ना ही उचित है और ना ही वांछित। ● इस अध्ययन धारा का उद्देश्य उद्यमिता वृत्ति के विकास से रोजगार की संभावनाओं को तलाश करना और विकसित करना है। आसपास के जरूरतों के आधार पर रोजगार सृजन के अवसरों की पहचान करना है। आवश्यकता के अनुसार स्वयं में कौशल विकसित करना है जिससे रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं में वृद्धि हो। ● केन्द्रीय और प्रदेश शासन द्वारा रोजगार कौशल और उद्यमिता को बढ़ाने की अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इस अध्ययन धारा का उद्देश्य उनकी जानकारी से युवाओं को अवगत कराकर रोजगार के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन करना है। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● 4-समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना। ● 8-सभी के लिये सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग ● तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ● कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● छात्र-छात्राओं के लिये शिक्षा प्रोत्साहक योजनायें जैसे- गाँवों की बेटी, विवेकानन्द छात्रवृत्ति, प्रतिभा किरण योजना, विक्रमादित्य योजना, रोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण योजना इत्यादि। |

| | |
|-----------------------------|--|
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none">● कौशल विकास के अनेक आयामों की जानकारी होगी।● इच्छित विषय में कौशल विकसित कर सकेंगे या उपलब्ध कौशल का संवर्द्धन कर सकेंगे।● उद्यमिता वृत्ति का विकास होगा।● आसपास के वातावरण में रोजगार की संभावनाओं के सृजन और दोहन के विशेषज्ञ बन सकेंगे। |
|-----------------------------|--|

उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development)

इकाई-1 : उद्यम, उद्यमी, उद्यमिता एवं उद्योग

- 1.1 उद्यम, उद्यमी एवं उद्यमिता
- 1.2 उद्योग एवं उद्योगों का वर्गीकरण

इकाई-3 : उत्पादन, वित्त एवं विपणन प्रबंधन

- 2.1 उत्पादन प्रबंधन
- 2.2 वित्त प्रबंधन
- 2.3 विपणन प्रबंधन
- 2.4 आवश्यक गणनाएं

इकाई-3 : ई-गवर्नेन्स, विधिक प्रावधान, संस्थान व योजनायें

- 3.1 ई-गवर्नेन्स
- 3.2 विधिक प्रावधान
- 3.3 संस्थान व योजनायें

इकाई-4 : जीवन कौशल : कैरियर कौशल

- 4.1 जीवनवृत्त तैयार करने का कौशल
- 4.2 साक्षात्कार कौशल
- 4.3 समूह परिचर्चा कौशल
- 4.4 कैरियर के अवसरों की तलाश

इकाई-5 : आजीविका धारा

- 5.1 कौशल विकास की आवश्यकता, स्वरोजगार व उद्योगों में रोजगार का कौशल विकास से संबंध
- 5.2 कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों तथा क्षेत्रीय कौशल परिषदों का प्रारंभिक परिचय
- 5.3 चयनित आजीविका धारा के अनुरूप जॉब रोल का व्यावहारिक ज्ञान (न्यूनतम कौशल स्तर 3 से अधिकतम 4 तक)

सूक्ष्म वित्त प्रबंधन **(Micro Finance Management)**

इकाई-1 : सूक्ष्म वित्त का उद्भव, अवधारणा एवं स्रोत

- 1.1 सूक्ष्म वित्त की अवधारणा
- 1.2 सूक्ष्म वित्त का उद्भव एवं स्रोत

इकाई-2 : स्वयं सहायता समूह का गठन एवं प्रबंधन

- 2.1 स्वयं सहायता समूह का गठन
- 2.1 प्रबंधन

इकाई-3 : इकाई स्थापना, प्रोजेक्ट प्रोफाइल एवं सूक्ष्म वित्त से आर्थिक बदलाव के सफल मॉडल

- 3.1 इकाई स्थापना
- 3.2 प्रोजेक्ट प्रोफाइल
- 3.3 सूक्ष्म वित्त से आर्थिक बदलाव के सफल मॉडल

इकाई-4 : जीवन कौशल : टीम कौशल

- 4.1 प्रस्तुति कौशल
- 4.2 टीम कौशल के रूप में श्रवण व विचार-मंथन: विश्वास और सहयोग
- 4.3 सामाजिक और सांस्कृतिक शिष्टाचार
- 4.4 आंतरिक सम्प्रेषण

इकाई-5 : आजीविका धारा

- 5.1 चयनित आजीविका धारा का व्यावहारिक ज्ञान (न्यूनतम कौशल स्तर 3 से अधिकतम 6 तक पूर्व के कौशल स्तर अथवा उससे आगे)

उपयुक्त प्रौद्योगिकी (Appropriate Technology)

इकाई-1 : अवधारणा, विकास एवं आवश्यकता

- 1.1 अवधारणा एवं इतिहास
- 1.2 विकास में उपयुक्त प्रौद्योगिकी की भूमिका
- 1.3 उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लक्षण

इकाई-2 : उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग -1 (उर्जा एवं पर्यावरण)

- 2.1 उर्जा का विकास से संबंध
- 2.2 भोजन, कृषि एवं पशु पालन के क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी
- 2.3 परिवहन के क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी
- 2.4 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में उपयुक्त प्रौद्योगिकी

इकाई-3 : उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग-2 ;आवास कृषि, वनोपज एवं खाद्य प्रौद्योगिकी

- 3.1 भवन निर्माण के क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी
- 3.2 कृषि के क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी
- 3.3 वनोपज के क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी
- 3.4 खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी

इकाई-4 : जीवन कौशल (संप्रेषण कौशल)

- 4.1 श्रवण
- 4.2 वाचन
- 4.3 पठन
- 4.4 लेखन और लेखन के विविध प्रकार
- 4.5 डिजिटल साक्षरता
- 4.6 सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग
- 4.7 गैर-मौखिक संप्रेषण

इकाई-5 : आजीविका धारा

- 5.1 चयनित आजीविका धारा का व्यावहारिक ज्ञान (न्यूनतम कौशल स्तर 3 से अधिकतम 6 तक पूर्व के कौशल स्तर अथवा उससे आगे)

परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन (Project Planning and Management)

इकाई-1 : परियोजना का परिचय, वित्तीय नियामक एवं संस्थाओं की भूमिका

- 1.1 परियोजना की परिभाषा
- 1.2 परियोजना प्रबंधन
- 1.3 परियोजना विशेषताएं
- 1.4 परियोजना प्रबंधन के उद्देश्य
- 1.5 परियोजना प्रबंधन का महत्व
- 1.6 परियोजना जीवन चक्र और चरण
- 1.7 परियोजना लेखा परीक्षा
- 1.8 विभिन्न मानदण्डों पर आधारित परियोजनाओं का वर्गीकरण
- 1.9 परियोजना प्रबंधक की भूमिकाएं

इकाई-2 : परियोजना प्रबंधन क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन

- 2.1 परियोजना प्रबंधन की प्रक्रिया
- 2.2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपी आर)
- 2.3 परियोजना चयन मानदण्ड
- 2.4 तकनीकी मूल्यांकन में विचारित कारक
- 2.5 मांग विश्लेषण
- 2.6 मांग का अग्रिम अनुमान लगाने की तकनीकें
- 2.7 वित्तीय संभाव्यता का महत्व एवं सोपान
- 2.8 परियोजना लागत के संघटक तथा इसका अनुमान
- 2.9 कार्यगत पूंजी अनुमान
- 2.10 परियोजना नगदी प्रवाह
- 2.11 दीर्घ कालिक वित्त पोषण के स्रोत
- 2.12 कार्यगत पूंजी के लिए अल्पावधि स्रोत
- 2.13 वित्त पोषण के नवीन स्रोत
- 2.14 अनुपात विश्लेषण
- 2.15 पूंजी बजट के तकनीकें
- 2.16 परियोजना प्रबंध में जोखिम के स्रोत
- 2.17 प्रबंधन जोखिम

इकाई-3 : आदर्श परियोजना निर्माण प्रमुख घटक

- 3.1 कार्य बंद होने का ढांचा डब्ल्यू.बी.एस.
- 3.2 गेन्ट चार्ट
- 3.3 नेटवर्क
- 3.4 परियोजना नेटवर्क का अनुप्रयोग
- 3.5 आर्क पर कार्यकलाप नेटवर्क के लिए फ्लुकर्सन नियम
- 3.6 नेटवर्क निर्माण
- 3.7 क्रिटिकल महत्वपूर्ण पाथ पद्धति
- 3.8 स्लेक्श फ्लोट्स एवं उनके अनप्रयोग
- 3.9 सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण
- 3.10 सामाजिक लागत
- 3.11 सामाजिक लाभ
- 3.12 किसी परियोजना को पूरा होने के पहले समाप्त करने के कारण
- 3.13 परियोजना समाप्ति लेखा परीक्षा
- 3.14 परियोजना के विफलता के कारण
- 3.15 सफलता की कहानी

इकाई-4 : जीवन कौशल (नेतृत्व कौशल)

- 4.1 नेतृत्व और इसके महत्व को समझना
- 4.2 नेतृत्व के लक्षण और मॉडल
- 4.3 मूल नेतृत्व कौशल

इकाई-5 : आजीविका धारा

- 5.1 चयनित आजीविका धारा का व्यावहारिक ज्ञान (न्यूनतम कौशल स्तर 3 से अधिकतम 6 तक पूर्व के कौशल स्तर अथवा उससे आगे)

विपणन प्रबंधन (Marketing Management)

इकाई-1 : विपणन परिचय व वातावरण

- 1.1 परिचय व अवधारणा
- 1.2 विपणन वातावरण
- 1.3 ई-मार्केटिंग

इकाई-2 : उपभोक्ता व्यवहार व बाजार विभक्तीकरण

- 2.1 उपभोक्ता व्यवहार
- 2.2 बाजार विभक्तीकरण

इकाई-3 : विपणन मिश्रण

- 3.1 उत्पाद
- 3.2 मूल्य
- 3.3 वितरण माध्यम
- 3.4 संवर्द्धन
 - 3.4.1 विक्रय संवर्द्धन
 - 3.4.2 विज्ञापन
 - 3.4.3 व्यक्तिगत विक्रय

इकाई-4 : जीवन कौशल (प्रबंधकीय कौशल)

- 4.1 आधारभूत प्रबंधकीय कौशल
- 4.2 स्व प्रबंधन कौशल

इकाई-5 : आजीविका धारा

- 5.1 चयनित आजीविका धारा का व्यावहारिक ज्ञान (न्यूनतम कौशल स्तर 3 से अधिकतम 6 तक पूर्व के कौशल स्तर अथवा उससे आगे)

वैकल्पिक धारा-7 : स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|---|---------|
| 1 | मानव जीवन और स्वच्छता | 6 (6+0) |
| 2 | सूक्ष्म स्वच्छ भारत चरण-2 (अपशिष्ट प्रबंधन एवं ओडीएफ प्लस ग्राम) | 6 (3+3) |
| 3 | पेयजल प्रबंधन | 6 (6+0) |
| 4 | आजीवन स्वास्थ्य और भारतीय चिकित्सा पद्धतियां | 6 (3+3) |
| 5 | योग एवं स्वास्थ्य | 6 (2+4) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|---|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय मान्यता है कि स्वच्छता में ईश्वर का वास है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। अर्थात् स्वच्छ रहने पर हम बहुत सी बीमारियों से स्वतः बचे रह सकते हैं। अतः स्वच्छता एक पंथ दो काज की भावना को ही अभिव्यक्त करती है। ● जीवन शैली की विसंगतियों से अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। विशेषकर बच्चों और युवाओं में। अनियमित दिनचर्या और अनियंत्रित खानपान बीमारियों की जड़ में है। विदेशी चिकित्सा पद्धतियाँ उपचार तो कर रहीं हैं लेकिन दुष्प्रभाव भी छोड़ती हैं। ● इस अध्ययन धारा का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग से आजीवन आरोग्य के संकल्प की सिद्धि है। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● 2-भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। ● 3-स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। ● 6-सभी के लिये जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग ● रूरल हेल्थ मिशन ● लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ● पर्यावरण एवं ऊर्जा विभाग |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● आयुष्मान भारत योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, जननी सुरक्षा योजना, राज्य बीमारी सहायता योजना, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना, संजीवनी एंबुलेंस योजना, राष्ट्रीयता स्वच्छता मिशन की योजनाएं। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> ● स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भाव विकसित होगा। ● स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे। |

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● योग इत्यादि प्रक्रियाओं से आरोग्य और व्यक्तित्व दोनों प्राप्त करेंगे।● स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागी बनेंगे। |
|--|---|

मानव जीवन और स्वच्छता (Human Life and Sanitation)

इकाई-1 : परिचय, स्वच्छता एवं स्वच्छता कार्यक्रम का इतिहास

- 1.1 स्वच्छता क्या है ?
- 1.2 स्वच्छता और मानव स्वास्थ्य
- 1.3 स्वच्छता के आयाम
- 1.4 जीवन में स्वच्छता का महत्व
- 1.5 स्वच्छता कार्यक्रम का इतिहास

इकाई-2 : स्वच्छ भारत चरण-1

- 2.1 SBM-I का परिचय
- 2.2 SBM-I का उद्देश्य एवं लक्ष्य
- 2.3 SBM-I के मुख्य बिंदु एवं घटक
- 2.4 SBM-I में अपनाये गये तकनीकी विकल्प
- 2.5 SBM-I के जमीनी कार्यकर्ता एवं संस्थाओं की भूमिका
- 2.6 SBM-I की मुख्य उपलब्धियां

इकाई-3 : समुदाय आधारित स्वच्छता पद्धति

- 3.1 समुदाय आधारित स्वच्छता विधि (CAS) क्या है?
- 3.2 खुले में शौच OD पर पाबंदी क्यों लगनी चाहिए अर्थात इसके नुकसान?
- 3.3 समुदाय आधारित स्वच्छता विधि (CAS) क्या है?

इकाई-4 : संस्थागत स्वच्छता

- 4.1 संस्थागत स्वच्छता का परिचय
- 4.2 संस्थागत स्वच्छता के मुख्य घटक
- 4.3 स्वच्छ वातावरण निर्माण में संस्था प्रमुखों का दायित्व
- 4.4 ODF ग्राम में संस्था प्रमुखों की भूमिका

इकाई-5 : स्वच्छता एवं सामाजिक व्यवहार परिवर्तन

- 5.1 स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन के पहलू और इसकी आवश्यकता
- 5.2 स्वच्छ भारत मिशन और संचार
- 5.3 स्वच्छ भारत मिशन और संचार संबन्धित विशेष बिन्दु

इकाई-6 : स्वच्छता और कोविड 19 महामारी

- 6.1 कोविड 19 महामारी में स्वच्छता का महत्व

- 6.2 महामारीकाल में अपेक्षित स्वच्छ व्यवहार
- 6.3 व्यक्तिगत एवं संस्थागत स्वच्छता
- 6.4 समुदाय अभिप्रेरण एवं संचार गतिविधियों में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका

स्वच्छ भारत चरण-2 (अपशिष्ट प्रबंधन एवं ओडीएफ प्लस ग्राम) (Swacha Bharat Charan-2)

इकाई-1 : स्वच्छ भारत चरण-2

- 1.1 SBM-II का परिचय
- 1.2 SBM-II के मुख्य बिंदु एवं घटक
- 1.3 SBM-II का उद्देश्य एवं लक्ष्य
- 1.4 ODF + ग्राम की परिभाषा
- 1.5 गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करने के लिए चेकलिस्ट

इकाई-2 : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- 2.1 अपशिष्ट की परिभाषा
- 2.2 ठोस अपशिष्ट के प्रकार
- 2.3 घरेलू स्तर पर ठोस कचड़ा प्रबंधन की तकनीक (कचरा पृथक्करण)
- 2.4 ग्रामीण इलाकों में ठोस कचड़ा प्रबंधन के उपाय
- 2.5 अपशिष्ट का प्रबंधन निम्न चार सिद्धांतों के आधार

इकाई-3 : तरल अपशिष्ट प्रबंधन

- 3.1 तरल अपशिष्ट परिभाषा
- 3.2 अपशिष्ट जल के प्रकार
- 3.3 घरेलू अपशिष्ट जल का दो भागों में विभाजन
- 3.4 अपशिष्ट जल की मात्रा
- 3.5 वाटर प्रबंधन के मूल सिद्धांत
- 3.6 तरल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक

इकाई-4 : मल कीचड़ प्रबंधन

- 4.1 मल कीचड़ प्रबंधन की परिभाषा
- 4.2 एफएसएम की आवश्यकता और महत्व
- 4.3 मल कीचड़ प्रबंधन क्यों करना चाहिए?
- 4.4 मल कीचड़ संबंधित अन्य परिभाषा
- 4.5 मल कीचड़ प्रबंधन में शामिल होने वाले पहलू
- 4.6 मल कीचड़ प्रबंधन तकनीक के प्रकार
- 4.7 मल कीचड़ प्रबंधन की चुनौतियां

इकाई-5 : क्षमतावर्धन, सूचना, शिक्षा एवं संचार मुख्य बिन्दु एवं भूमिका

- 5.1 सूचना शिक्षा एवं संचार परिचय
- 5.2 सूचना शिक्षा एवं संचार महत्व

- 5.3 आई.ई.सी. के प्रकार
- 5.4 ओडीएफ प्लस के लिए मुख्य आई.ई.सी. संदेश
- 5.5 मुख्य संचार गतिविधियां सूची

पेयजल प्रबंधन (Drinking Water Management)

इकाई-1 : स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल

- 1.1 स्वच्छता और पेयजल परिचय एवं वर्तमान स्थिती
- 1.2 सुरक्षित पेयजलापूर्ति के प्रति वैश्विक प्रयास
- 1.3 सुरक्षित पेयजल की परिभाषा
- 1.4 पीने के पानी का महत्व
- 1.5 ग्रामीण भारत में सुरक्षित जलापूर्ति

इकाई-2 : ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं सतत आपूर्ति

- 2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
- 2.2 राष्ट्रीय जलनीति 2012
- 2.3 जलगुणवत्ता निगरानी तथा समीक्षा
- 2.4 सुरक्षित पेयजल की सतत आपूर्ति के लिए सुझाव
- 2.5 स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के लिये समुदाय की जिम्मेदारी

इकाई-3 : जल जीवन मिशन

- 3.1 जल जीवन मिशन पृष्ठभूमि
- 3.2 जल जीवन मिशन के उद्देश्य
- 3.3 जल जीवन मिशन के घटक
- 3.4 योजना के प्रकार
- 3.4 ग्राम पंचायत के लिए चयन मानदंड

इकाई-4 : स्रोत सशक्तिकरण एवं वर्षाजल संचयन

- 4.1 परिचय
- 4.2 स्रोत सशक्तिकरण की आवश्यकता एवं महत्व
- 4.3 स्रोत मजबूत बनाने के पारंपरिक उपाय
- 4.4 स्रोत सशक्तिकरण और संबंधित योजनाओं का अभिषरण

इकाई-5 : पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन

- 5.1 पेयजल की जांच
- 5.2 बायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाव के उपाय

आजीवन स्वास्थ्य और भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ (Life Long Health and Indian Medical System)

इकाई-1 : स्वास्थ्य

- 1.1 स्वास्थ्य की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा
- 1.2 स्वास्थ्य के आयाम
- 1.3 स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक
- 1.4 स्वस्थ रहने के उपाय एवं विधियाँ

इकाई-2 : प्राकृतिक चिकित्सा और स्वास्थ्य

- 2.1 प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास एवं परिभाषाएँ
- 2.2 प्राकृतिक चिकित्सा की मुख्य विशेषताएं
- 2.3 प्राकृतिक चिकित्सा के प्रकार
- 2.4 प्राकृतिक चिकित्सा के लाभ

इकाई-3 : भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ

- 3.1 आयुर्वेद चिकित्सा –पृष्ठभूमि, आयाम, उपयोगिता
- 3.2 प्राकृतिक चिकित्सा–पृष्ठभूमि, आयाम, उपयोगिता
- 3.3 योग चिकित्सा
- 3.4 भारत में प्रचलित अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ –यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी पृष्ठभूमि, आयाम, उपयोगिता

इकाई-4 : जीवन शैली एवं स्वास्थ्य

- 4.1 कार्य और निजी जीवन में संतुलन की कमी के कारण और निवारण
- 4.2 धूम्रपान, तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव
- 4.3 असंतुलित एवं अनियमित आहार के दुष्प्रभाव
- 4.4 कार्यशैली एवं कार्यक्षेत्र से जुड़े शारीरिक कष्ट एवं विकार
- 4.5 शारीरिक निष्क्रियता के कारण और निवारण
- 4.6 मानसिक तनाव के कारण और निवारण

इकाई-5 : जीवन शैली जन्य रोग

- 5.1 वैश्विक स्थिति एवं खतरे
- 5.2 मोटापा, वैश्विकदर, खतरे, निवारण
- 5.3 उच्चरक्तचाप कारण, खतरे, निवारण
- 5.4 मधुमेह कारण, खतरे और निवारण

- 5.5 हृदय सम्बन्धी विकार के कारण, खतरे और निवारण
- 5.6 मस्तिष्क सम्बन्धी विकार के कारण, खतरे और निवारण
- 5.7 जीवन शैली जन्य रोगों के चिकित्सा की सीमा

योग एवं स्वास्थ्य (Yog and Health)

इकाई-1 : योग का परिचय और स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्त्व

- 1.1 योग का परिचय
- 1.2 योग का उद्देश्य
- 1.3 योगकाअर्थएवंपरिभाषा
- 1.4 योग के आयाम
- 1.5 योग का महत्त्व

इकाई-2 : अष्टांग योग सम्पूर्ण स्वास्थ्य

- 2.1 अष्टांग योग का आशय
- 2.2 अष्टांगयोगकेअंग
- 2.3 अष्टांग योग की विधियां
- 2.4 अष्टांग योग का महत्त्व
- 2.5 अष्टांग योग के लाभ

इकाई-3 : षट्कर्म का उद्देश्य एवं उपयोगिता

- 3.1 षट्कर्म का परिचय, अर्थ, परिभाषा
- 3.2 षट्कर्म की आवश्यकता
- 3.3 षट्कर्म के उद्देश्य
- 3.4 षट्कर्म की विधियां

इकाई-4 : योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास

- 4.1 सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली
- 4.2 योग से प्रतिरोधक क्षमता का विकास
- 4.3 प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास
- 4.4 प्रतिरक्षा प्रणाली से आशय
- 4.5 प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने के उपाय

इकाई-5 : तनावमुक्त जीवन में योग का योगदान एवं अध्यात्म

- 5.1 तनाव मुक्त जीवन का महत्त्व
- 5.2 तनाव मुक्त जीवन के लिए योग
- 5.3 योग से जीवन आनंद प्राप्ति के उपाय
- 5.4 योग और अध्यात्म

वैकल्पिक धारा-8 : विधिक विशेषज्ञता

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--|---------|
| 1 | भारतीय संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया | 6 (6+0) |
| 2 | विधिक सेवायें एवं विधिक सहायता तंत्र | 6 (6+0) |
| 3 | महिला, किशोर एवं बाल अधिकारों का संरक्षण | 6 (6+0) |
| 4 | वंचित/विशेष वर्गों के लिए न्याय | 6 (3+3) |
| 5 | जन-अधिकारों का संरक्षण | 6 (3+3) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|---|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय संविधान को प्रत्येक भारतीय नागरिक को गरिमा और सम्मान से जीने का अवसर प्रदान करता है। कई परिस्थितियों में व्यक्तियों और व्यवस्थाओं के साथ न्याय नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में न्याय की शरण में जाना आवश्यक हो जाता है। ● न्यायिक प्रावधानों से ना केवल हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, बल्कि दूसरे के अधिकारों के प्रति दायित्व बोध भी जाग्रत होता है। ● इस अकादमिक धारा का उद्देश्य उन उपायों और व्यवस्थाओं से परिचित कराना है, जिससे कोई भी व्यक्ति अन्याय का प्रतिकार कर न्याय पा सकता है। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● 1-17 तक सभी लक्ष्यों से इस धारा का सम्बन्ध है। प्रावधानों के अनुसार लाभ न मिलने पर विधिक सहायता के लिये विवश होना पड़ता है। अतः सभी लक्ष्यों को केन्द्रित योजनाओं का लाभ ना मिलने पर विधिक सहायता आवश्यक होती है। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● विधि विभाग ● मानवाधिकार एवं अन्य संगठन ● राज्य स्तर पर विधिक सहायता तंत्र ● केन्द्र स्तर पर विधिक सहायता तंत्र |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● नालशा, सालसा, अभिरक्षा में कैदियों के अधिकार, बाल सुधार गृह, जेल सुधार इत्यादि से सम्बन्धित योजनाएँ। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> ● विधिक प्रावधानों की जानकारी हो सकेगी। ● विधिक सहायता दिलाने का कौशल विकसित होगा। ● विधिक प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के जानकार बनेंगे। ● जनहित के मुद्दों के लिये संघर्ष का भाव विकसित होगा। ● पैरा-लीगल वॉलेटियर के रूप में स्वयं को विकसित कर सकते हैं। |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● ग्रामीण स्तर पर लोक-अदालतों के माध्यम से विवादों के निपटारे में सहयोगी बनकर अपने क्षेत्र और गाँवों को विवाद मुक्त ग्राम बना सकते हैं। |
|--|---|

भारतीय संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया (Indian Constitution and Judicial Procedure)

इकाई-1 : भारतीय संविधान का परिचय

- 1.1 पृष्ठभूमि
- 1.2 प्रस्तावना और विशेषतायें
- 1.3 मौलिक अधिकार
- 1.4 मौलिक कर्तव्य
- 1.5 शासन प्रणाली – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका

इकाई-2 : न्याय तंत्र – सामान्य परिचय

- 2.1 सर्वोच्च न्यायालय – संरचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली
- 2.2 उच्च न्यायालय – संरचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली
- 2.3 जिला एवं सत्र न्यायालय
- 2.4 व्यवहार न्यायालय एवं न्यायिक दंडाधिकारी
- 2.5 न्यायालयों के अन्य स्वरूप— ग्राम, राजस्व, श्रम व अन्य

इकाई-3 : अपराधिक न्याय तंत्र

- 3.1 पुलिस
- 3.2 अभियोजन
- 3.3 न्यायालय
- 3.4 जेल व्यवस्था
- 3.5 दोषी/आरोपी/पीड़ित/गवाह के न्यायिक अधिकार

इकाई-4 : मानवाधिकार

- 4.1 अवधारणा
- 4.2 उद्भव
- 4.3 संविधान और मानवाधिकार
- 4.4 मानवाधिकार अधिनियम 1993
- 4.5 संरक्षक आयोग की भूमिका

इकाई-5 : साइबर अपराध और कानून

- 5.1 समसामयिक चुनौतियाँ
- 5.2 आई.टी. एक्ट
- 5.3 अपराधों की प्रकृति और विविध रूप
- 5.4 विविध प्रावधान
- 5.5 न्यायिक प्रक्रिया

विधिक सेवायें एवं विधिक सहायता तंत्र (Legal Services and Legal Support Mechanism)

इकाई-1 : परिचय और प्रावधान

- 1.1 विधिक सेवा एवं सहायता – अवधारणा और अर्थ
- 1.2 उद्भव और क्रमिक विकास
- 1.3 संवैधानिक प्रावधान
- 1.4 विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987
- 1.5 अन्य संबंधित प्रावधान और कानून

इकाई-2 : विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत प्रमुख संस्थायें

- 2.1 नालसा (एन.ए.एल.एस.ए.)
- 2.2 सालसा (एस.ए.एस.एस.ए.)
- 2.3 जिला स्तर (डी.एल.एस.ए.)
- 2.4 हाई कोर्ट स्तर
- 2.5 ताल्लुका/तहसील स्तर

इकाई-3 : विधिक सहायता के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसले

- 3.1 सेंटर फॉर लीगल रिसर्च बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1986SC1322
- 3.2 एम.एम.हसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर.1978 एस.सी.154
- 3.3 अन्य महत्वपूर्ण फैसले

इकाई-4 : पैरा-लीगल वालेंटियर

- 4.1 अवधारणा
- 4.2 योजना दस्तावेज 2009
- 4.3 नालसा : भूमिका और उत्तरदायित्व
- 4.4 विधिक साक्षरता
- 4.5 वंचित वर्गों के लिए न्याय पाने में सहायता

इकाई-5 : लीगल ऐड क्लिनिक

- 5.1 अवधारणा
- 5.2 संचालन
- 5.3 प्रावधान
- 5.4 वैकल्पिक व्यवस्थायें
- 5.5 लोक अदालत

महिला, किशोर एवं बाल अधिकारों का संरक्षण (Protection of Rights of Women and Child)

इकाई-1 : बाल समस्याओं के रूप – सुरक्षित बचपन की चुनौतियाँ

- 1.1 बाल विवाह
- 1.2 बाल तस्करी
- 1.3 बाल श्रमिक
- 1.4 बेसहारा, अनाथ बच्चे
- 1.5 बाल भिखारी
- 1.6 बाल वैश्यावृत्ति
- 1.7 बाल दुष्कर्म

इकाई-2 : बाल संरक्षण कानून

- 2.1 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986
- 2.2 बाल विवाह निषेध कानून 2006
- 2.3 शिक्षा का अधिकार 2009
- 2.4 पोस्को एक्ट
- 2.5 बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग

इकाई-3 : किशोर न्यायालय, किशोर के लिए न्याय और न्यायिक विरोधाभास

- 3.1 किशोर न्याय अधिनियम 2015
- 3.2 किशोर न्याय बोर्ड – प्रकृति और कार्य
- 3.3 सी.डब्ल्यू.सी. – संरचना, कार्यप्रणाली
- 3.4 बालगृहों का प्रबंधन/निगरानी

इकाई-4 : लैंगिक न्याय

- 4.1 लैंगिक संवेदनाशीलता
- 4.2 कार्यक्रमथल पर लैंगिंग उत्पीड़न
- 4.3 घरेलू हिंसा
- 4.4 दहेज
- 4.5 विवाह संबंधी विवाद

इकाई-5 : महिलाओं के विरुद्ध अपराध

- 5.1 भ्रूण हत्या
- 5.2 गैर-बराबरी
- 5.3 छेड़छाड़ और बलात्कार
- 5.4 अमानवीय व्यवहार
- 5.5 प्रदूषित मानसिकता

इकाई-6 : महिलाओं के संरक्षण हेतु विधिक प्रावधान

- 6.1 पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट 1961

- 6.2 समान मानदेय कानून 7976
- 6.3 मातृत्व सुविधायें 1976
- 6.4 घरेलू हिंसा से बचाव 2005
- 6.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव

वंचित/विशेष वर्गों के लिए न्याय (Justice of Weaker Sections)

इकाई-1 : अनुसूचित जाति/जनजाति के संरक्षण हेतु प्रावधान/कानून

- 1.1 पेसा एक्ट
- 1.2 नागरिक अधिकार अधिनियम 1955
- 1.3 आयोग की भूमिका और दायित्व
- 1.4 वनाधिकार अधिनियम 2006
- 1.5 अन्य प्रावधान

इकाई-2 : असंगठित श्रमिकों हेतु कानून

- 2.1 असंगठित श्रमिकों से संबंधित कानून
- 2.2 शासकीय सेवायें
- 2.3 सामाजिक सुरक्षा कानून
- 2.4 मजदूरी से संबंधित कानून

इकाई-3 : वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रावधान

- 3.1 वरिष्ठ नागरिकों की समस्यायें
- 3.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1999
- 3.3 गुजारा और कल्याण अधिनियम 2007
- 3.4 कल्याणकारी योजनायें
- 3.5 विधिक समस्यायें – एडवोकेसी

इकाई-4 : दिव्यांग / मानसिक रोगियों हेतु प्रावधान

- 4.1 अधिकार और संवेदनशीलता की उपेक्षा
- 4.2 अधिकारों का संरक्षण और प्रावधान
- 4.3 कल्याणकारी नीतियाँ एवं प्रावधान
- 4.4 मानसिक स्वास्थ्य एक्ट 1987

इकाई-5 : परिवार से जुड़े कानून

- 5.1 विरासत/वसीयत
- 5.2 विभाजन
- 5.3 अंगीकरण
- 5.4 अन्य संबंधिक कानून

जन-अधिकारों का संरक्षण (Protection of Peoples Right)

इकाई-1 : सूचना का अधिकार

- 1.1 अवधारणा, आवश्यकता और महत्व
- 1.2 सूचना अधिकार अधिनियम 2005
- 1.3 महत्वपूर्ण प्रावधान
- 1.4 लोक अधिकार संरक्षण में भूमिका
- 1.5 प्रक्रिया और प्रारूप

इकाई-2 : जनहित याचिका

- 2.1 प्रकृति, अवधारणा और अर्थ
- 2.2 उद्देश्य और परिधि (दायरा)
- 2.3 जनहित और न्यायिक सक्रियता
- 2.4 भारत में जनहित याचिकाओं का प्रभाव

इकाई-3 : लोक सेवाओं की गारण्टी

- 3.1 अधिनियम की आवश्यकता और उद्देश्य
- 3.2 मुख्य विशेषतायें एवं प्रावधान
- 3.3 अधिनियम का क्रियान्वयन
- 3.4 सेवाओं की सूची

इकाई-4 : उपभोक्ता संरक्षण – प्रावधान और प्रक्रिया

- 4.1 आवश्यकता और महत्व
- 4.2 उपभोक्ता के अधिकार
- 4.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
- 4.4 प्रावधान और प्रक्रिया

इकाई-5 : न्यायिक प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका

- 5.1 स्वयंसेवी संगठन और सामुदायिक/सामाजिक विकास
- 5.2 गठन हेतु वैधानिक प्रावधान
- 5.3 प्रबंधन और कार्यप्रणाली
- 5.4 न्यायिक प्रक्रिया में भूमिका

वैकल्पिक धारा-9 : संस्कृति, कला एवं देशज ज्ञान

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--------------------------------------|---------|
| 1 | कला एवं संस्कृति | 6 (6+0) |
| 2 | संस्कृति के मूलतत्त्व | 6 (6+0) |
| 3 | कला के विविध आयाम | 6 (3+3) |
| 4 | सांस्कृतिक परम्परा एवं देशज ज्ञान | 6 (3+3) |
| 5 | कला संस्कृति : संरक्षण एवं संवर्द्धन | 6 (6+0) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|---|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय परम्परा ज्ञान आधारित रही है। सदैव ज्ञान का सम्मान हुआ है। इतिहास के बीते कालखंड में हमने अपने स्वदेशी ज्ञान और तकनीक के वैभव को भुला दिया है। आज उसे जागृत कर प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ● विकास, कला और संस्कृति प्रोत्साहक न हो तो लंबे समय तक स्थाई नहीं रह सकता। आज अपेक्षा यह है कि हम आधुनिक से आधुनिक तो बनें लेकिन अपनी परम्पराओं को जीवित रखें। ● इस अध्ययन धारा का उद्देश्य कला संस्कृति और मूल्यों के प्रति युवाओं में आग्रह पैदा करने के साथ इससे प्रेरणा लेने के भाव को विकसित करना है। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● सतत विकास के 1-17 लक्ष्यों में सभी में किसी न किसी रूप में संस्कृति और कला का समावेश है, क्योंकि ये किसी भी मानव समाज की पहचान है। कला और संस्कृति के बगैर एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। कला और संस्कृति अपराध निरोधक और रचनात्मकता प्रोत्साहक होती हैं। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● संस्कृति विभाग ● जन-संपर्क विभाग ● उच्च शिक्षा विभाग ● लोक कला एवं आदिवासी संस्कृति के संरक्षण से सम्बन्धित निकाय |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ● कलात्मकता को प्रोत्साहन और सांस्कृतिक मूल्यों के लोकव्यापीकरण के लिये संस्कृति विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं। कला और संस्कृति के संरक्षण की योजनाएं। पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण की योजनाएं। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> ● भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा की जानकारी हो सकेगी। ● देशज ज्ञान के आधार पर स्थानीय समस्याओं के निराकरण में निष्णात हो सकेंगे। ● कला और संस्कृति के विभिन्न आयामों को जान सकेंगे। ● कलात्मक धरोहर के प्रति सजग और सचेष्ट होंगे। |

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">● सांस्कृतिक दृष्टि से अनुकूल व्यवस्थाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कौशल विकसित होगा। |
|--|--|

कला एवं संस्कृति (Art and Culture)

इकाई-1 : परिचय एवं अवधारणा

- 1.1 कला— अवधारणा एवं परिभाषा
- 1.2 कला का विकासक्रम
- 1.3 संस्कृति की अवधारणा परिभाषा
- 1.4 संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कार
- 1.5 संस्कृति का मानव जीवन पर प्रभाव

इकाई-2 : भारतीय संस्कृति के स्वरूप

- 2.1 भारतीय संस्कृति का परिचय
- 2.2 भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ
- 2.3 वैदिक संस्कृति एवं मानव मूल्य
- 2.4 सांस्कृतिक धरोहर एवं प्रतीक
- 2.5 भारतीय संस्कृति का वर्तमान परिदृश्य

इकाई-3 : कला के विविध स्वरूप

- 3.1 भारतीय कला का स्वरूप
- 3.2 कला : महत्व एवं विशेषताएँ
- 3.3 ललित कला : चित्र, मूर्ति, वास्तु, शिल्पादि
- 3.4 प्रदर्शन कला—गायन—वादन, नृत्य, नाट्य
- 3.5 कला की उपादेयता

इकाई-4 : लोक साहित्य

- 4.1 अवधारणा एवं परिभाषा
- 4.2 महत्व एवं विशेषताएं
- 4.3 लोक साहित्य के विविध स्वरूप
- 4.4 लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति
- 4.5 लोक साहित्य : संवर्द्धन एवं संरक्षण

इकाई-5 : देशज ज्ञान

- 5.1 अवधारणाएँ एवं परिचय
- 5.2 स्वरूप एवं प्रकार
- 5.3 परम्परा एवं देशज ज्ञान
- 5.4 देशज ज्ञान का महत्व एवं उपयोगिता
- 5.5 संरक्षण एवं संवर्द्धन

संस्कृति के मूल तत्व (Fundamentals of Culture)

ईकाई-1 : पृष्ठभूमि

- 1.1 ऐतिहासिक संदर्भ
- 1.2 भारतीय संस्कृति : विविधताएं
- 1.3 परम्परा एवं संस्कृति
- 1.4 संस्कृति के मूल तत्व
- 1.5 सांस्कृतिक पुनरुत्थान

ईकाई-2 : धर्म व दर्शन

- 2.1 धर्म : अवधारणा एवं परिभाषा
- 2.2 वैदिक एवं सनातन धर्म
- 2.3 दर्शन : परिचय एवं अवधारणा
- 2.4 दर्शन की विभिन्न धारायें
- 2.5 धर्म, दर्शन एवं लोकमंगल के प्रतीक

ईकाई-3 : जीवन मूल्य एवं उत्तरदायित्व

- 3.1 जीवन मूल्य : परिचय एवं अवधारणाएं
- 3.2 जीवन मूल्य के मूल तत्व
- 3.3 उत्तरदायित्व : परिचय एवं अवधारणाएं
- 3.4 सामाजिक उत्तरदायित्व
- 3.5 राष्ट्रीय उत्तरदायित्व

ईकाई-4 : जीवन शैली एवं योग

- 4.1 परिचय एवं अवधारणाएं
- 4.2 यौगिक परम्परा एवं योग के घटक
- 4.3 योगासन एवं प्राणायाम
- 4.4 भारतीय जीवन शैली
- 4.5 रीति-रिवाज, परम्पराएं एवं ग्रामीण खेल

ईकाई-5 : परम्परा एवं देशज ज्ञान

- 5.1 ऋषि कृषि एवं जैव विविधता
- 5.2 वैदिक शिक्षा एवं बौद्धिक सम्पदा
- 5.3 स्वास्थ्य एवं पारम्परिक चिकित्सा

- 5.4 लोकरीति एवं लोक कलाएं
- 5.5 देशज ज्ञान की उपादेयता

कला के विविध आयाम (Various Aspects of Art)

इकाई-1 : ललित कला का परिचय

- 1.1 ललित कला : उद्भव एवं विकास
- 1.2 आवश्यकता, महत्व एवं विशेषताएँ
- 1.3 ललित कला एवं समाज
- 1.4 आनन्द एवं मनोविनोद
- 1.5 सौन्दर्य एवं साज-सज्जा

इकाई-2 : दृश्यकला के विविध आयाम

- 2.1 परिचय एवं अवधारणा
- 2.2 विविध आयाम
- 2.3 चित्रकला
- 2.4 मूर्तिकला
- 2.5 अन्य कलाएं

इकाई-3 : प्रदर्शनकारी (मंचन) कला के विविध पक्ष

- 3.1 परिचय एवं अवधारणाएँ
- 3.2 विविध आयाम
- 3.3 संगीत
- 3.4 नृत्य
- 3.5 नाट्य

इकाई-4 : लोक साहित्य की विधाएँ

- 4.1 पृष्ठभूमि
- 4.2 लोक साहित्य की विधाएँ
- 4.3 लोककथा एवं लोकगाथा
- 4.4 लोकगीत, लोकनाट्य एवं अन्य
- 4.5 लोकोक्ति एवं कहावतें

इकाई-5 : कला का व्यावसायिक पक्ष एवं संरक्षण

- 5.1 वर्तमान परिदृश्य एवं कला
- 5.2 कला एवं देशज ज्ञान का व्यावसायिक प्रतिस्थापन
- 5.3 रोजगार के अवसर
- 5.4 संरक्षण एवं सम्वर्द्धन की विधियाँ
- 5.5 योजनाएँ एवं वित्त प्रदायी संस्थाएं

सांस्कृतिक परम्परा एवं देशज ज्ञान (Cultural Traditional and Indigenous Knowledge)

इकाई-1 : संस्कृति : अवधारणा, विशेषताएं एवं विविधताएं

- 1.1 संस्कृति की अवधारणा
- 1.2 भारतीय संस्कृति की विशेषताएं
- 1.3 संस्कृति के मूल तत्व एवं विविधताएं
- 1.4 धर्म, दर्शन एवं जीवन शैली
- 1.5 सांस्कृतिक परम्पराएं

इकाई-2 : कला : अवधारणा, विशेषताएँ एवं विविधताएँ

- 2.1. कला : अवधारणा एवं परिचय
- 2.2 कला : महत्व एवं विशेषताएँ
- 2.3 ललित कला की विविधताएँ
- 2.4 प्रदर्शन कला की विविधताएँ
- 2.5 लोककला की उपादेयता

इकाई-3 : लोक साहित्य : अवधारणा, विशेषताएँ एवं विविधताएँ

- 3.1 परिचय एवं अवधारणा
- 3.2 महत्व एवं विशेषताएं
- 3.3 लोक साहित्य के विविध स्वरूप
- 3.4 लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति
- 3.5 लोक साहित्य : संवर्द्धन एवं संरक्षण

इकाई-4 : देशज ज्ञान की उपादेयता

- 4.1 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देशज ज्ञान
- 4.2 देशज ज्ञान की चुनौतियां
- 4.3 संभावनाएं
- 4.4 उपादेयता
- 4.5 व्यावसायिकता

इकाई-5 : संकलन एवं दस्तावेजीकरण

- 5.1 परिचय एवं अवधारणा
- 5.2 आवश्यकता एवं महत्व
- 5.3 सर्वेक्षण एवं संकलन

5.4 शोध व अनुसंधान

5.5 प्रलेखीकरण

कला संस्कृति : संरक्षण एवं संवर्द्धन (Art Culture : Preservation and Promotion)

इकाई-1 : अवधारणा एवं औचित्य

- 1.1 संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता
- 1.2 संरक्षण की अवधारणा एवं विधियां
- 1.3 संवर्द्धन की अवधारणा एवं विधियां
- 1.4 संरक्षण एवं संवर्द्धन में अन्तर्संबंध
- 1.5 उपादेयता

इकाई-2 : लोककला एवं जनजातीय कला

- 2.1 परिचय एवं अवधारणा
- 2.2 कला एवं जनजातीय जीवन
- 2.3 विविध जनजातीय कला
- 2.4 आवश्यकता एवं महत्व
- 2.5 सामाजिक उपादेयता

इकाई-3 : पहचान, संकलन एवं प्रलेखन की विधियां

- 3.1 पहचान : अवधारणा एवं प्रविधि
- 3.2 संकलन : अवधारणा एवं प्रविधि
- 3.3 प्रलेखन : अवधारणा एवं प्रविधि
- 3.4 आवश्यक उपकरण
- 3.5 उपादेयता

इकाई-4 : संरक्षण एवं संवर्द्धन

- 4.1 पुरातात्विक संरक्षण
- 4.2 साहित्य संरक्षण
- 4.3 सांस्कृतिक संरक्षण
- 4.4 कलात्मक संरक्षण
- 4.5 संवर्द्धन एवं उपादेयता

इकाई-5 : विधि-अधिनियम एवं योजनाएं

- 5.1 संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधान
- 5.2 प्रमाणीकरण अधिनियम
- 5.3 वित्तप्रदायी संस्थायें एवं परियोजनायें

- 5.4 परियोजना प्रारूप एवं प्रक्रिया
- 5.5 चुनौतियां एवं संभावनायें

वैकल्पिक धारा-10 : सामाजिक समरसता

| क्रम | विषय / प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|---|---------|
| 1 | समाज और संस्कृति | 6 (6+0) |
| 2 | समाज और परम्परा | 6 (6+0) |
| 3 | समरसता के संस्थागत प्रयास | 6 (6+0) |
| 4 | सामाजिक समरसता एवं संविधान | 6 (6+0) |
| 5 | पाश्चात्य देशों में रंगभेद संघर्ष और परिणाम | 6 (6+0) |

अध्ययन धारा : परिचय और पृष्ठभूमि

| | |
|-----------------------------------|---|
| अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य | <ul style="list-style-type: none"> • युगों-युगों से सामाजिक समरसता भारतीय जन-जीवन की विशेषता रही है। वर्तमान में क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिये इसे चुनौती देने वाले व्यक्ति और संस्था बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हिलमिल कर रहने की हमारी कुशलता और सबको आत्मसात कर लेने की हमारी जीवन-शैली को सींचना बहुत आवश्यक है। • सामाजिक समरसता की धारा विकास की आधार भूमि के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। सामाजिक समरसता के बगैर ना तो कोई समाज उन्नति कर सकता है और ना तो विकास से प्राप्त उपलब्धियों को सहेज कर रख सकता है। • समरसता के अभाव में विखण्डन हिंसा और अलगाव का माहौल बनेगा, जो विकास के लिये किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं होगी। अतः समरसता के प्रोत्साहक तत्वों को प्रश्रय देना और तोड़ने वाली ताकतों को हतोत्साहित करने का भाव परोक्ष रूप से विकास के लिये अनुकूल वातावरण ही सृजित करेगा। |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> • सामाजिक समरसता के बगैर विकास की कोई भी योजनाएं अपना वांछित फल नहीं दे सकतीं। समरसता के माहौल में ही रचनात्मकता और विकास पनपता है। इसलिए परोक्ष रूप से सभी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समाज के विविध घटकों की समरसता अनिवार्य है। |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> • संस्कृति विभाग • धर्मस्व विभाग • आनंद विभाग |
| शासकीय योजनाओं से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> • समरसता प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक उपाय, निकाय और संकाय हैं, जिनके माध्यम से शासन की ओर से समरसता प्रोत्साहक उपाय निरंतर किये जाते हैं। |
| अध्ययन धारा से कौशल सृजन | <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय परिवेश में समरसता की प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे। |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● समरसता को खण्डित करने वाले तत्वों की पहचान कर सकेंगे। ● अपने परिवेश में समरसता प्रोत्साहक गतिविधियों के आयोजन में नेतृत्व कर सकेंगे। लोगों को सहभागी बना सकेंगे। ● समरसता मूलक समाज के निर्माण के महत्वपूर्ण और प्रशिक्षित घटक बनकर अपने सेवाएँ राष्ट्र को दे सकेंगे। |
|--|---|

समाज और संस्कृति **(Society and Culture)**

इकाई-1 : परिवार, ग्राम, समाज, राष्ट्र

- 1.1 व्यक्ति, परिवार, ग्राम, समाज, राष्ट्र आदि की आवश्यकता परिभाषा और विशेषतायें
- 1.2 सामूहिक परिवारों से ग्राम, ग्राम की परम्पराये,
- 1.3 परिवार, ग्राम और समाज अंतरसंबंध
- 1.4 राज्य और राष्ट्र का अंतरसंबंध, राज्य और राष्ट्र की संकल्पना

इकाई-2 : परस्पर पूरकता, पारस्परिक निर्भरता समाज की प्रकात्मता

- 2.1 पराम्परिक व्यवसायों की पूरकता और निर्भरता
- 2.2 ग्राम समाज जीवन में पूरकता के माध्यम
- 2.3 खानपान
- 2.4 वस्त्र
- 2.5 व्यवहार मेले
- 2.6 उपास्य देवी-देवता
- 2.7 मठ-मंदिर
- 2.8 तत्वज्ञान
- 2.9 परम्परा
- 2.10 जीवन की एकात्मता

इकाई-3 : संस्कार, संस्कृति, सांस्कृतिक जीवन प्रवाह

- 3.1 पारिवारिक संस्कार
- 3.2 संस्कृति क्या है
- 3.3 सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का हस्तांतरण
- 3.4 संस्कृति में परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय घटक

इकाई-4 : सांस्कृतिक जीवन की वर्तमान समस्यायें

- 4.1 संस्कारों का क्षरण
- 4.2 सामाजिक विघटन
- 4.3 नैतिक मूल्यों का ह्रास
- 4.4 सामाजिक असुरक्षा, अशिक्षा, गरीबी

इकाई-5 : प्रयोग

- 5.1 किसी चयनित ग्राम का क्षेत्र अध्ययन
- 5.2 अपेक्षित परिवर्तन की संभावनायें
- 5.3 ग्रामीण परम्परा एवं रूढियाँ और परिष्कार
- 5.4 जातिगत रूढियाँ एवं उनके सुधार
- 5.5 विभिन्न जातियों के सामाजिक संबंध

समाज और परम्परा **(Society and Traditions)**

इकाई-1 : पारंपरिक समाज संरचना

- 1.1 जातियों की उत्पत्ति
- 1.2 जातियों का विकास
- 1.3 जातियों की समाप्ति
- 1.4 वर्ण भेद, जाति भेद
- 1.5 जातिगत असमानता
- 1.6 अस्पृश्यता आदि का विवेचन और समीक्षा
- 1.7 संविधान प्रणित नई समाज व्यवस्था की शुरुआत
- 1.8 प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

इकाई-2 : विषमता के दुष्परिणाम

- 2.1 विषमता क्या है?
- 2.2 विषमता के विभिन्न रूप
- 2.3 सामाजिक भेदभाव तथा उसके दुष्परिणाम
- 2.4 विषमता के दुष्परिणाम: शोषण, गरीबी सामाजिक विभाजन
- 2.5 विषमता प्राकृतिक या मनुष्य निर्मित?
- 2.6 अस्पृश्यता के दुष्परिणाम
- 2.7 विशिष्ट प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)
- 2.8 विशिष्ट प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)
- 2.9 विशिष्ट प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

इकाई-3 : संत परम्परा में समरसता के प्रयास

- 3.1 भारत में संत परम्परा में समरसता
- 3.2 रामानंद की संक्षिप्त जीवनी एवं उनके शिष्य
- 3.3 प्रमुख शिक्षाएँ
- 3.4 समरसता के प्रसंग
- 3.5 संत शिरोमणि रविदास की संक्षिप्त जीवनी
- 3.6 प्रमुख शिक्षाएँ एवं पद
- 3.7 समरसता के प्रसंग
- 3.8 गुरु घासीदास की संक्षिप्त जीवनी
- 3.9 प्रमुख शिक्षाएँ/कार्य
- 3.10 समरसता के प्रसंग

इकाई-4 : प्रमुख शिक्षायें- गुरुनानक, विवेकानन्द, संत गाडगे महाराज, महात्मा गांधी

- 4.1 गुरुनानक संक्षिप्त जीवनी
- 4.2 प्रमुख शिक्षाएँ/कार्य
- 4.3 प्रमुख यात्रायें
- 4.4 विवेकानंद - संक्षिप्त जीवनी
- 4.5 समरसता संबंधी विचार
- 4.6 गाडगे महाराज- संक्षिप्त जीवनी
- 4.7 समरसता संबंधी कार्य/प्रमुख प्रसंग
- 4.8 महात्मा गांधी संक्षिप्त जीवनी- समरसता संबंधी विचार
- 4.9 महात्मा गांधी- समरसता संबंधी प्रसंग प्रायोगिक

इकाई-5 : प्रयोगिक

- 5.1 प्रचलित अस्पृश्यता का अध्ययन
- 5.2 महिने में एक बार ग्राम में जाकर भेदभाव और अस्पृश्यता के निर्मुलन हेतु भाषण
- 5.3 स्वच्छ ग्राम व्याख्यान और व्यवहार
- 5.4 एक मंदिर, एक समशान घाट, एक जलाशय का ग्राम सर्वेक्षण

समरसता के संस्थागत प्रयास (Institutional Efforts for Social Harmony)

इकाई-1 : महात्मा फूले – सत्य शोधक समाज, ऋषि दयानन्द– आर्य समाज, डॉ. हेडगेवार–राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

- 1.1 महात्मा फूले संक्षिप्त जीवनी
- 1.2 सत्य शोधक समाज के कार्य, स्त्री शिक्षा, वंचितों की शिक्षा
- 1.3 सादगी पूर्ण संस्कार
- 1.4 स्वामी दयानन्द की संक्षिप्त जीवनी
- 1.5 प्रमुख शिक्षाये एवं आर्य समाज के समरसता संबंधी कार्य
- 1.6 डॉ. हेडगेवार की संक्षिप्त जीवनी
- 1.7 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समरसता संबंधी सेवा कार्य
- 1.8 संघ शाखा द्वारा किये जा रहे समरसता संबंधी विभिन्न कार्य

इकाई-2 : डॉ. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर

- 2.1 संक्षिप्त जीवनी
- 2.2 अछूत कौन और कैसे
- 2.3 आर्य आक्रमण सिद्धांत का खण्डन
- 2.4 हिन्दू समाज सुधार के लिए किये गये आंदोलन
- 2.5 महाड जल तालाब आंदोलन
- 2.6 कालाराम मंदिर प्रवेश
- 2.7 श्रमिक कल्याण के लिए किये गये कार्य
- 2.8 महिला कल्याण और अधिकारों के लिए किये गये कार्य
- 2.9 वंचितों के लिये शिक्षा
- 2.10 भारत विभाजन और अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए किये गये कार्य

इकाई-3 : स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर, छत्रपति शाहूजी महाराज, सयाजी राव गायकवाड़ महाराज, श्री राम शर्मा आचार्य

- 3.1 वीर विनायक दामोदर सावरकर की संक्षिप्त जीवनी एवं समरसता में योगदान, जातिप्रथा, निर्मूलन, संबंधित साहित्य
- 3.2 छत्रपति शाहू जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी और कार्य, सर्व समावेशी गुरुकुल का प्रयास, वंचितों के लिए छात्रावास का निर्माण
- 3.3 श्री सयाजी राव गायकवाड़ की संक्षिप्त जीवनी एवं समरसता संबंधी कार्य, अस्पृश्यता निर्मूलन अध्यादेश
- 3.4 श्री राम शर्मा आचार्य संक्षिप्त जीवनी, समरसता संबंधी प्रमुख कार्य, गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना

इकाई-4 : समरसता आंदोलन के प्रमुख केन्द्र घटना क्रम

- 4.1 रायगढ़
- 4.2 कालाराम मंदिर
- 4.3 नाशिक: रत्नागिरी एवं अंडमान निकोबार
- 4.4 पुणे, नागपुर, टंकारा (गुजरात)
- 4.5 कोल्हापुर, ऊडूपी, बडौदा, पन्ना, जबलपुर
- 4.6 अरुविप्पुम (केरल)

इकाई-5 : प्रायोगिक

- 5.1 समरसता युक्त शोषण मुक्त गाँवों का अध्ययन

- 5.2 मंदिर प्रवेश के प्रयास
- 5.3 अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बारात घोड़े से निकालने पर रोकने तथा शादी समारोह में अलग भोजन करवाने की घटनाओं का अध्ययन और समाधान का प्रयास
- 5.4 गाँवों में कुटीर उद्योग और वंचितों की भागीदारी का सर्वेक्षण
- 5.5 बदलते आर्थिक परिस्थितियों में अनु. जाति, जनजाति की स्थिति का सर्वेक्षण

सामाजिक समरसता एवं संविधान (Social Harmony and Constitution)

इकाई-1 : समरसता संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- 1.1 संविधान की प्रस्तावना
- 1.2 मौलिक अधिकार
- 1.3 अस्पृश्यता अन्मूलन
- 1.4 शोषण की समाप्ति
- 1.5 अनुसूचित जातियों की व्याख्या
- 1.6 अनुसूचित जनजातियों की व्याख्या
- 1.7 अत्याचार एवं शोषण रोकने संबंधित विशिष्ट कानून
- 1.8 विधायिका में प्रतिनिधित्व/आरक्षण
- 1.9 प्रकरण अध्ययन

इकाई-2 : जाति निर्मूलन के उपाय

- 2.1 वैधानिक प्रावधान
- 2.2 सरत श्रेणियों का त्याग
- 2.3 सामूहिक भोज
- 2.4 महापुरुषों की जयंती
- 2.5 अर्तजातीय विवाह
- 2.6 जाति बंधन मुक्त पुरोहित्य कार्य
- 2.7 महात्मा फुले के प्रयोग
- 2.8 महर्षि दयानंद के प्रयोग
- 2.9 राजर्षि छत्रपति शाहूजी के प्रयोग
- 2.10 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयोग

इकाई-3 : आर्थिक विषमता दूर करने के उपाय

- 3.1 शिक्षा
- 3.2 कुटीर उद्योग
- 3.3 कौशल विकास
- 3.4 उद्यमिता
- 3.5 छोटे कारखानों का निर्माण
- 3.6 वित्तीय सहयोग
- 3.7 पारम्परिक व्यवसाय का आधुनिकीकरण आदि के प्रकरण, अध्ययन
- 3.8 कृषि एवं बागवानी
- 3.9 पशुपालन
- 3.10 प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

इकाई-4 : आरक्षण का इतिहास स्थिति आरक्षण और सामाजिक परिवर्तन

- 4.1 अनुसूचित जातियों की व्याख्या
- 4.2 अनुसूचित जनजातियों की व्याख्या
- 4.3 शोषण रोकने के कानूनी उपाय
- 4.4 विद्यार्थियों में आरक्षण
- 4.5 शासकीय सेवाओं में आरक्षण

इकाई-5 : प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) प्रयोगिक

- 5.1 परिवर्तन के लिये युवा संगठन
- 5.2 युवा संगठन के माध्यम से समाज परिवर्तन के कार्यक्रम
- 5.3 1969 उड़ुपी, धर्माचार्यों के सम्मेलन के संदेश पर गाँवों में चर्चा
- 5.4 2018 अयोध्या समरसता कुंभ के संदेश की गाँवों में चर्चा।

सामाजिक समरसता और वैश्विक परिदृश्य (Social Harmony and World View)

इकाई-1 : अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, जी.डब्ल्यू. कार्वर, नेल्सन मण्डेला, बुकर टी वांशिंगटन

1.1 इनकी संक्षिप्त जीवनी और कार्य

इकाई-2 : मुस्लिम समाज का पसमान्दा आन्दोलन

2.1 भारतीय मुसलमानों में भेदभाव के बिन्दु

2.2 भारतीय इसाइयों में भेदभाव के बिन्दु और आंदोलन

इकाई-3 : सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, और न्याय

3.1 सामाजिक न्याय

3.2 आर्थिक न्याय

3.3 राजनैतिक न्याय

इकाई-4 : सामाजिक समरसता में सहायक राज्य और केन्द्र की योजनायें

4.1 स्वच्छ भारत अभियान

4.2 जनधन योजना

4.3 शिक्षा का अधिकार

4.4 प्रधानमंत्री आवास योजना

4.5 कौशल विकास योजना

4.6 छात्रवृत्ति

4.7 निशुल्क कोचिंग

4.8 स्टैंडअप योजना

4.9 आयुष्मान योजना

इकाई-5 : प्रयोगिक

5.1 संविधान अध्ययन मंडल चलाना

5.2 सामाजिक समरसता को पुष्ट करने हेतु लेख-लेखन

5.3 धर्मग्रन्थों में समरसता विषयक बिन्दुओं का संचय एवं इन विषयों पर टर्म पेपर लिखना

5.4 दलित अत्याचार निवार

स्वतंत्र प्रमाण पत्र एवं पत्रोपाधि
(Stand Alone Certificate/Diploma Course)

| क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
|------|--|-----------|
| 1 | महिला सशक्तिकरण प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 2 | महिला सशक्तिकरण डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 3 | सतत विकास एवं सामुदायिक नेतृत्व प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 4 | सतत विकास एवं सामुदायिक नेतृत्व डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 5 | पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 6 | पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 7 | स्वैच्छिकता एवं स्वयंसेवी प्रयासों में प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 8 | स्वैच्छिकता एवं स्वयंसेवी प्रयासों में डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 9 | प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 10 | प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 11 | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र | 24 (9+15) |
| 12 | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 13 | पर्यावरण संरक्षण प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 14 | पर्यावरण संरक्षण डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 15 | विधिक जागरूकता प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 16 | विधिक जागरूकता डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 17 | संस्कृति एवं संस्कार प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 18 | संस्कृति एवं संस्कार डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 19 | सामाजिक समरसता प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 20 | सामाजिक समरसता डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 21 | आजीविका प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 22 | आजीविका डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 23 | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 24 | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 25 | पत्रकारिता एवं जनसंचार प्रमाणपत्र | 24+24=48 |
| 26 | पत्रकारिता एवं जनसंचार डिप्लोमा | 24 (9+15) |
| 27 | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र | 24+24=48 |
| 28 | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य डिप्लोमा | 24+24=48 |
| 29 | कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र | 24 (9+15) |
| 30 | कम्प्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा | 24+24=48 |

| | |
|---------------------------------|--|
| पाठ्यक्रम का नाम | महिला सशक्तीकरण में प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • विकास में प्रभावी भूमिका की तैयारी • महिलाओं में सुरक्षा का भाव विकसित करना • विकास के लिए शासकीय प्रावधानों की जानकारी • आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उद्यमिता विकास |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 6 माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. महिला सशक्तीकरण (3+3=6) 2. लैंगिक समानता एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध (3+3=6) 3. उद्यमिता विकास (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | लक्ष्य 5- लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तीकरण करना |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | महिला एवं बाल विकास विभाग |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | आंगनवाड़ी, बालवाड़ी महिला एवं बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | महिला सशक्तीकरण में पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • बाल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा • बाल विकास संबंधी आयामों का ज्ञान • बाल अधिकार और संरक्षण |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | आंगनवाड़ी, बालवाड़ी महिला एवं बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. बाल विकास सुरक्षा एवं शिक्षा, (03+03=06) 2. पोषण एवं स्वास्थ्य (3+3=6) 3. बाल सुरक्षा प्रावधान और चुनौतियां (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |

| | |
|---------------------------------|---|
| पाठ्यक्रम का नाम | सतत् विकास हेतु सामुदायिक नेतृत्व में प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> विकास की अवधारणा और आयामों की जानकारी समाज कार्य करने की पद्धतियों का ज्ञान आसपास के परिवेश में विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का कौशल |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> समाजकार्य का परिचय (3+3=6) सामुदायिक नेतृत्व (3+3=6) विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन (3+3=6) इंटर्नशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास के लिए निर्धारित समस्त 17 लक्ष्य |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | ग्रामस्तर पर कार्यरत समस्त शासकीय विभाग |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | सतत् विकास हेतु सामुदायिक नेतृत्व में पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने का कौशल संचार कौशल का विकास स्थानीय परिस्थितियों में सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> समाजकार्य की विधियां, (03+03=06) विकास के लिए संचार (3+3=6) सतत् विकास के आयाम (3+3=6) इंटर्नशिप (0+6=6) |

| | |
|---------------------------------|--|
| पाठ्यक्रम का नाम | पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज में प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> ● पंचायतीराज व्यवस्था का ज्ञान ● ग्रामसभा की कार्यप्रणाली का ज्ञान ● स्थानीय स्तर पर ग्रामविकास की योजनाओं का निर्माण और संचालन का कौशल |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायतीराज: अवधारणा और क्रियान्वयन (3+3=6) 2. विकेन्द्रीकृत नियोजन, बजट निर्माण और सहभागी विकास (3+3=6) 3. ग्रामीण प्रौद्योगिकी (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <ul style="list-style-type: none"> ●सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अन्त करना ●मुखमरी समाप्त करना |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम सभा, ग्राम सचिवालय तथा ग्राम व ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज में पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> ● सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने का कौशल ● सामाजिक अंकेक्षण का कौशल ● पंचायतीराज व्यवस्था में नवाचार |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम सभा, ग्राम सचिवालय तथा ग्राम व ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |

| | |
|------------|--|
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none">1. सामाजिक अंकेक्षण (03+03=06)2. पंचायतीराज की चुनौतियां (3+3=6)3. सतत् विकास के आयाम (3+3=6)4. इंटर्नशिप (0+6=6) |
|------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| पाठ्यक्रम का नाम | स्वैच्छिकता एवं स्वयंसेवी प्रयासों में प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> स्वैच्छिकता की आवधारणा की समझ स्वैच्छिक संगठनों की कार्यप्रणाली का ज्ञान स्वैच्छिक संगठन निर्माण और संचालन का कौशल |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> स्वैच्छिकता अवधारणा एवं पृष्ठभूमि (3+3=6) स्वैच्छिक संगठनों का गठन एवं प्रबंधन (3+3=6) परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन (3+3=6) इंटरनशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास लक्ष्य-16 सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। |
| भासकीय विभागों से संबद्धता | मध्यप्रदेश जनअभियान परिशद, राज्य नीति आयोग व अन्य शासकीय विभाग |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के एनजीओ कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | स्वैच्छिकता एवं स्वयंसेवी प्रयासों में पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> जनजातियों के बीच कार्य करने का कौशल आपदा प्रबंधन के आयामों की जानकारी निगमीय उत्तरदायित्व के सहयोग से समाज कार्य |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के एनजीओ कार्यालय |

| | |
|------------|--|
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none">1. जनजातीय विकास (03+03=06)2. आपदा प्रबंधन (3+3=6)3. निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (3+3=6)4. इंटरनशिप (0+6=6) |
|------------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| पाठ्यक्रम का नाम | प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि में प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> ● प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सहित कृषि के विविध आयामों की जानकारी ● पशुधन प्रबंधन का कौशल ● आसपास के परिवेश में विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का कौशल |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि प्रणाली और सतत कृषि (3+3=6) 2. जैविक खेती (3+3=6) 3. कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <p>लक्ष्य 2— भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल</p> <p>लक्ष्य 12—सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कृषि संस्थान/समितियां |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि में पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> ● उद्यानिकी एवं अन्य आयामों का ज्ञान ● पशुधन प्रबंधन का कौशल ● कृषि के प्राकृतिक घटकों का ज्ञान एवं प्रबंधन कौशल |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कृषि संस्थान/समितियां |

| | |
|------------|---|
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none">1. उद्यानिकी एवं विकास (03+03=06)2. पशुधन प्रबंधन (3+3=6)3. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन (3+3=6)4. इंटरनशिप (0+6=6) |
|------------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| पाठ्यक्रम का नाम | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> ● स्वच्छता की आवश्यकता की महत्ता का ज्ञान ● अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी व कौशल ● पेयजल प्रबंधन की जानकारी व कौशल |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य (3+3=6) 2. अपशिष्ट प्रबंधन (3+3=6) 3. पेयजल प्रबंधन (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <p>लक्ष्य 3- स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना</p> <p>लक्ष्य 6- सभी के लिए जल और स्वस्थता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना</p> |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्थानीय निकाय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य की महत्ता का ज्ञान ● आजीवन आरोग्य की अवधारणा का ज्ञान ● योग से आरोग्य |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |

| | |
|------------|--|
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none">1. आजीवन आरोग्य और भारतीय चिकित्सा पद्धतियां (03+03=06)2. योग एवं स्वास्थ्य (3+3=6)3. पोषण एवं स्वास्थ्य (3+3=6)4. इंटरनशिप (0+6=6) |
|------------|--|

| पाठ्यक्रम का नाम | पर्यावरण संरक्षण में प्रमाणपत्र |
|--------------------------------|---|
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> विकास की अवधारणा और आयामों की जानकारी समाज कार्य करने की पद्धतियों का ज्ञान आसपास के परिवेश में विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का कौशल |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> पर्यावरण और सतत विकास (3+3=6) पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण (3+3=6) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन (3+3=6) इंटरनशिप (0+6=6) |
| सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता | <p>लक्ष्य 7—सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद सतत और आधुनिक उर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना</p> <p>लक्ष्य 13— जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करना</p> |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | पर्यावरण विभाग, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पर्यावरण संबंधी संगठन |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के एनजीओ व संबंधित शासकीय निकायों के कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | पर्यावरण संरक्षण में पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने का कौशल संचार कौशल का विकास स्थानीय परिस्थितियों में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के एनजीओ व संबंधित शासकीय निकायों के कार्यालय |

| | |
|------------|--|
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. वाटरशेड प्रबंधन(03+03=06) 2. उर्जा संरक्षण (3+3=6) 3. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (3+3=6) 4. इंटरनशिप (0+6=6) |
|------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| पाठ्यक्रम का नाम | विधिक जागरुकता प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • विधिक प्रावधानों की विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी • विधिक सहायता तंत्र का ज्ञान • आसपास के परिवेश में लोगों को विधिक सहायता करने की योग्यता का विकास |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया (3+3=6) 2. विधिक सेवायें एवं विधिक सहायता तंत्र (3+3=6) 3. सतत् विकास के आयाम (3+3=6) 4. इंटरनशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास के लिए निर्धारित समस्त 17 लक्ष्य |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | ग्रामस्तर पर कार्यरत समस्त शासकीय विभाग एवं विधिक निकाय |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |

डिप्लोमा स्तर

| | |
|--------------------------|--|
| पाठ्यक्रम का नाम | विधिक विशेषज्ञता पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • विधिक प्रावधानों की विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी • विधिक सहायता तंत्र का ज्ञान • महिला एवं बाल अपराधों के प्रति चेतना का विकास |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. महिला किशोर व बाल अधिकारों का संरक्षण (03+03=06) 2. वंचित/विशेष वर्गों के लिए न्याय (3+3=6) 3. जनअधिकारों का संरक्षण (3+3=6) 4. इंटरनशिप (0+6=6) |

| | |
|---------------------------------|---|
| पाठ्यक्रम का नाम | संस्कृति एवं संस्कार प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संस्कृति के विविध आयामों की जानकारी • संस्कृति के मूल तत्वों का ज्ञान • भारतीय जीवन शैली में संस्कार और उनका महत्व |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. कला एवं संस्कृति (3+3=6) 2. संस्कृति के मूल तत्व (3+3=6) 3. विकास के लिए संचार (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास के लिए निर्धारित समस्त 17 लक्ष्य |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | ग्रामस्तर पर कार्यरत समस्त शासकीय विभाग |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | संस्कृति एवं संस्कार पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संस्कृति के विविध आयामों की जानकारी • संस्कृति के मूल तत्वों का ज्ञान • भारतीय जीवन शैली में संस्कार और उनका महत्व • कला तत्वों के संरक्षण-संवर्द्धन का ज्ञान |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. कला के विविध आयाम (3+3=6) 2. कला-संस्कृति : संरक्षण एवं संवर्द्धन (03+03=06) 3. सांस्कृतिक परम्परा एवं देशज ज्ञान (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |

| | |
|---------------------------------|---|
| पाठ्यक्रम का नाम | सामाजिक समरसता प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> सामाजिक समरसता की अवधारणा और आयामों की जानकारी समाजिक समरसता का विकास के संदर्भ में महत्व संवैधानिक उत्तरदायित्व एवं समरसता |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> समाज और संस्कृति (3+3=6) संस्कृति के मूल तत्व (3+3=6) समरसता के संस्थागत प्रयास (3+3=6) इंटरनशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास के लिए निर्धारित समस्त 17 लक्ष्य |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | ग्रामस्तर पर कार्यरत समस्त शासकीय विभाग |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | सामाजिक समरसता पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> सामाजिक समरसता की अवधारणा और आयामों की जानकारी समाजिक समरसता का विकास के संदर्भ में महत्व संवैधानिक उत्तरदायित्व एवं समरसता समरस समाज के निर्माण में उत्प्रेरक की भूमिका |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> सामाजिक समरसता एवं संविधान (03+03=06) समरसता का वैश्विक संदर्भ (3+3=6) वंचित वर्गों के लिए न्याय (3+3=6) इंटरनशिप (0+6=6) |

| | |
|---------------------------------|--|
| पाठ्यक्रम का नाम | आजीविका में प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • आजीविका की अवधारणा और आयामों की जानकारी • उद्यमिता वृत्ति का विकास • कौशल संवर्द्धन एवं कौशल उन्नयन। |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. उद्यमिता विकास (3+3=6) 2. सूक्ष्म वित्त प्रबंधन (3+3=6) 3. परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास के लिए निर्धारित समस्त 17 लक्ष्य |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | ग्रामस्तर पर कार्यरत समस्त शासकीय विभाग |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | आजीविका में पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • आजीविका की अवधारणा और आयामों की जानकारी • उद्यमिता वृत्ति का विकास • कौशल संवर्द्धन एवं कौशल उन्नयन। • विपणन प्रबंधन का ज्ञान |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. कौशल धारा से एक प्रश्नपत्र (03+03=06) 2. कौशल धारा से दूसरा प्रश्नपत्र (3+3=6) 3. विपणन प्रबंधन (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |

| | |
|---------------------------------|--|
| पाठ्यक्रम का नाम | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग प्रमाण पत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> ● प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की अवधारणा और आयामों की जानकारी ● अष्टांग योग : परिचय एवं अभ्यास ● जीवन-शैली जनित व्याधियों के निदान का व्यवहारिक ज्ञान |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ : परिचय एवं प्रयोग 2. योग का दार्शनिक विवेचन (3+3=6) 3. पातंजल योग एवं चेतना (3+3=6) 4. योग अभ्यास (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास के लिए निर्धारित समस्त 17 लक्ष्य |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | ग्रामस्तर पर कार्यरत समस्त शासकीय विभाग |
| इंटरशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> ● प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की अवधारणा और आयामों की जानकारी ● अष्टांग योग : परिचय एवं अभ्यास ● जीवन-शैली जनित व्याधियों के निदान का व्यवहारिक ज्ञान |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटरशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत (03+03=06) 2. योग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (3+3=6) 3. आहार विज्ञान (3+3=6) 4. अभ्यास कार्य (0+6=6) |

| | |
|---------------------------------|--|
| पाठ्यक्रम का नाम | पत्रकारिता एवं जनसंचार प्रमाणपत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> जनसमस्याओं की अवधारणा और आयामों की जानकारी जनमाध्यमों के जरिये समस्याओं के निदान का कौशल जनमाध्यमों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की योग्यता का विकास |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छ: माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> विकास के लिए संचार (3+3=6) समाचार संकलन एवं लेखन (3+3=6) संपादन एवं प्रस्तुतिकरण (3+3=6) इंटरनशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास के लिए निर्धारित समस्त 17 लक्ष्य |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | ग्रामस्तर पर कार्यरत समस्त शासकीय विभाग |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | पत्रकारिता एवं जनसंचार पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> जनसमस्याओं की अवधारणा और आयामों की जानकारी जनमाध्यमों के जरिये समस्याओं के निदान का कौशल जनमाध्यमों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की योग्यता का विकास |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटरनशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> दृश्य-श्रव्य संचार (03+03=06) जनसंपर्क और विज्ञापन (3+3=6) ग्रामीण संचार (3+3=6) इंटरनशिप (0+6=6) |

| | |
|---------------------------------|--|
| पाठ्यक्रम का नाम | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • स्वच्छता की अवधारणा और आयामों की जानकारी • स्वच्छ भारत मिशन के विविध घटकों का ज्ञान • स्वच्छता और स्वास्थ्य के अंतर्सम्बन्ध का ज्ञान |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वच्छता और स्वास्थ्य (3+3=6) 2. अवशिष्ट प्रबंधन (3+3=6) 3. पेयजल प्रबंधन (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास के लिए निर्धारित समस्त 17 लक्ष्य |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | ग्रामस्तर पर कार्यरत समस्त शासकीय विभाग |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • स्वच्छता की अवधारणा और आयामों की जानकारी • स्वच्छ भारत मिशन के विविध घटकों का ज्ञान • स्वच्छता और स्वास्थ्य के अंतर्सम्बन्ध का ज्ञान |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. आजीवन स्वास्थ्य एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ (03+03=06) 2. योग एवं स्वास्थ्य (3+3=6) 3. योग एवं आहार (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |

| | |
|---------------------------------|---|
| पाठ्यक्रम का नाम | कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की अवधारणा और आयामों की जानकारी • कम्प्यूटर अनुप्रयोग • आजीविका के रूप में कम्प्यूटर का प्रयोग |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | छः माह से 2 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. फण्डामेंटल आफ कम्प्यूटर एवं आई.टी. (3+3=6) 2. एम.एस. आफिस (3+3=6) 3. डी.टी.पी. (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |
| सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्धता | सतत् विकास के लिए निर्धारित समस्त 17 लक्ष्य |
| शासकीय विभागों से संबद्धता | ग्रामस्तर पर कार्यरत समस्त शासकीय विभाग |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| डिप्लोमा स्तर | |
| पाठ्यक्रम का नाम | कम्प्यूटर एप्लीकेशन पत्रोपाधि |
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"> • कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की अवधारणा और आयामों की जानकारी • कम्प्यूटर अनुप्रयोग • आजीविका के रूप में कम्प्यूटर का प्रयोग |
| न्यूनतम अर्हता | 10+2 इण्टरमीडिएट+प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधित धारा में |
| न्यूनतम और अधिकतम अवधि | 1 वर्ष से 3 वर्ष |
| कुल क्रेडिट | 24 (24+24=48) |
| इंटर्नशिप/व्यवहारिक कार्य | ग्राम/ब्लॉक स्तर के शासकीय कार्यालय |
| प्रश्नपत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. ऑपरेटिंग सिस्टम (03+03=06) 2. प्रोग्रामिंग यूजिंग सी (3+3=6) 3. कम्प्यूटर नेटवर्कस (3+3=6) 4. इंटर्नशिप (0+6=6) |

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा एप्प की जानकारी

12. URL: <http://cmcldpmp.mpjapmis.org/index.php/hi/mobile-app-new> and guideline
13. यह एक सॉफ्टवेयर आधारित प्लेटफार्म है, जिसकी मदद से एडमिनिस्ट्रेशन , ऑटोमेशन और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में कई तरह के कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम और जानकारी देने और जांच करने को सफल बनाया जाता है। जिसकी मदद से शैक्षणिक संस्थाएं छात्रों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें जांच करने में सक्षम बनती हैं।
14. इसके अलावा इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे सदस्य अपने द्वारा की गई गतिविधियों के नतीजों से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि, वे किस विधा में अच्छे हैं और किस विधा में उन्हें बेहतर करने की जरूरत है। इस प्रक्रिया से सभी संस्थाएं सीखने की tracking of all activities गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं और प्रगति को माप सकते हैं ।

लर्निंग मैनेजमेंट मोबाइल ऐप का उपयोग करने के दिशानिर्देश:

- छात्र सीएमसीएलडीपी पोर्टल (<http://cmcldpmp.mpjapmis.org/index.php/hi/>) से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ।
- ऐप डाउनलोड करने के बाद, उपयोगकर्ता मोबाइल डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकता है ।
- ऐप को सफलतापूर्वक इंस्टॉल करने के बाद, प्रवेशित छात्र अपने अध्ययन के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं , इस हेतु स्टूडेंट अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो की यूजरनाम, तथा पासवर्ड "123456" डालकर लॉगिन कर सकते हैं ।
- रजिस्ट्रेशन नंबर वही यूज करें जो आपको BSW प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया था | उदाहरण : JAP73XXX
- लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं।
- अभी यह पायलट प्लेटफार्म दिया जा रहा है, जिससे आप मॉड्यूल का अभ्यास कर सकते हैं, और जान सकते हैं की आपको किस तरह से कोर्स के अध्ययन के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही आप अपना फीडबैक भी दें, जिस से हम इस प्लेटफार्म को और बेहतर एवं व्यवस्थित बना सकते हैं ।